संख्या–534 / XV–2 / (8)05

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
डेयरी विकास विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 24–10–2008

विषय :– मिनिस्टीरियल संवर्ग के ढांचे के पुर्नगठन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के ज्ञाप संख्या–73 / डेरी / 2004 / 2(62) / 2001 दिनांक 9–2–2004 के क्रम में डेयरी विकास विभाग के संरचनात्मक ढांचे में अनुसचिवीय अधिष्ठान के पदों का निम्नानुसार आंशिक संशोधन कर विभाजन किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	प्रशासनिक अधि0(ग्रेड–1)	5500–9000	01
2.	प्रशासनिक अधि0(ग्रेड–11)	5000.–8000	02
3.	मुख्य सहायक	4500–7000	07
4.	प्रवर सहायक	4000–6000	09
5.	कनि0सहा0	3050–4590	10
	योग–		29

2– उपरोक्तानुसार पदों का का नाम व वेतनमान का संशोधन संगत सेवानियमों में तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1249 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 01 अक्टूबर 2008 के द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
ह / –
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

सख्या–534 / XV–2(8)05,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।
3– वरि0 कोषाधिकारी / समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4– दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5– वित्त विभाग–4 एवं 7 / कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– निजी सचिव, दुग्ध मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
7– निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी को गजट में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 100 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु ।
8– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
ह / 0
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास विभाग
संख्याः364/उत्तरांचल राज्य/75
लखनऊः दिनांकः16 जनवरी,2001

कार्यालय ज्ञाप

नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए प्रदेश के विभिन्न मानव संसाधन तथा वित्तीय संसाधनों के प्रयोग के लिए दुग्ध सचिव के अर्धशासकीय पत्रांक सं0 143/28–12–2000–1–राज्य /2000 दिनांक 06.09.2000 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थायी आवंटन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1, पत्र संख्या–1134/का0–1/13(12)/2000 दिनांक 06 नवम्बर, 2000 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में नवगठित उत्तरांचल राज्य के लिए दुग्ध विकास विभाग के अधीन निम्नलिखित संवर्ग के पदों को स्थायी रूप से आवंटित किया जाता है।

क0सं0	पद का नाम	वेतनमान	उत्तरांचल राज्य हेतु आवंटित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ सहायक /रोकड़िया	4000–6000	02
2.	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	03
3.	लेखाकार	4500–7000	01
4.	सहायक लेखाकार	4000–6000	02
5.	आशुलिपिक	4000–6000	04
6.	लेखालिपिक	4000–6000	07
7.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	5000–8000	21
8.	दुग्ध निरीक्षक	4500–7000	15
9.	कनिष्ठ सहायक	3050–4590	11
10.	अन्वेषक कम संगणक	4500–7000	01
11.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	3200–4900	75
12.	सहयोगी	2550–3200	25
13.	चालक	3050–4590	17
	कुल पद		**184**

1. मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1 के उल्लेखित पत्र दिनांक 06 नवम्बर,2000 के प्रस्तर–7(1) के अधीन उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्प देने वाले संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य हेतु तात्कालिक प्रभाव से स्थायी रूप से आवंटित किया जाता है।
2. तात्कालिक प्रभाव से उल्लेखित कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश राज्य से कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा।
3. इस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य में तैनात कर्मचारी तत्काल कार्यमुक्त होकर नवगठित उत्तरांचल राज्य में अपनी योगदान आख्या उत्तरांचल राज्य के मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी श्रीनगर–गढ़वाल को प्रस्तुत करेंगे।
4. नवगठित उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों की तैनाती का अधिकार उत्तरांचल राज्य का होगा।

(आलोक सिन्हा)
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्याः /तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उत्तरांचल/दुग्ध विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. सचिव, कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को चार प्रतियों में।
5. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन देहरादून।
6. पुर्नगठन आयुक्त, उत्तरांचल विकास भवन जनपद मार्केट हजरतगंज लखनऊ।
7. श्रीमती हेमलता ढ़ैडियाल संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी 529 जवाहर भवन लखनऊ।
8. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
9. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाविकास अधिकारी।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 12–(1) /XV–2/7(16)05

प्रेषक,

राजीव चन्द्र,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनःदिनांक 15 जनवरी 2009

विषयः–दुग्ध विकास विभाग में वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लेखा संवर्ग के पदों के संबंध में लिये गये निर्णय का कियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से दुग्ध विकास विभाग में लेखा संवर्ग के लिए दुग्ध विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–2489/53–2–2004–3 (73) /01 दिनांक 17 अगस्त 2004 के द्वारा ली गयी व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड राज्य डेरी विकास विभाग के लेखा संवर्ग हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. डेरी विकास विभाग में लेखा लिपिक/रोकड़िया (वेतनबैंड–1 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2400/–)(वेतनमान रू0 4000–6000) के सभी पदों को सहायक लेखाकार वेतनमान रू0 4500–7000 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800/– के पदों में संविलियन कर ''सहायक लेखाकार'' पदनाम से वेतनमान रू0 4500–7000 रखा जाय । भविष्य में लेखालिपिक/रोकड़िया पदनाम से कोई नियुक्ति/पदोन्नति नहीं की जायेगी।
2. विभाग में लेखा संवर्ग में न्यूनतम पद पर सहायक लेखाकार वेतनमान(रू0 4500–7000 रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2800/–) का होगा जिसे स्नातक(कामर्स) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टैन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' लेविल का सर्टिफिकेट अर्हताधारियों में से ही सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। वर्तमान में ऐसे पदधारक जिन्हें कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान नहीं है,उन्हें समयबद्व रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा प्रथम विभागीय परीक्षा पास करने पर इस प्रतिबन्ध के साथ लेखाकार पदनाम एवं रू0 5500–9000 (वेतनबैंड–2 रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4200/–) वेतनमान अनुमन्य होगा कि किसी भी समय लेखाकार के पद के पदधारकों की संख्या सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पदों की सम्मिलित संख्या के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।
4. शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप लेखा संवर्ग के पदों हेतु निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी नामित किया जाता है।
5. उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित विभागीय परीक्षा के संचालन एवं पाठयक्रम निर्धारण हेतु वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारण के उपरान्त उस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
6. उक्तानुसार पदनाम,वेतनमान एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु संबंधित नियमावली में आवश्यक संशोधन कर लिया जायेगा।
7. उक्त व्यवस्था दिनांक 17 अगस्त 2004 से ही प्रभावी मानी जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–143/ XXVII {7}/2008 दिनांक 17 दिसम्बर,2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,
ह0/–
(राजीव चन्द्र)
सचिव

संख्या– 12–(1)/XV–2/7(16)05तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,देहरादून ।
2. मण्डलायुक्त, कुंमाऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अनुभाग–7
7. बजट राजकोषीय अधिकारी,उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक,एन0आई0सी0,सचिवालय,देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/–
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

संख्या–181/ब.ग्रा.वि./डेयरी/2002

प्रेषक

अनिल कुमार शर्मा
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में

निदेशक,
डेरी विकास उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी अनुभागः देहरादूनः दिनांकः 13 फरवरी ,2003

विषयः– समता समिति,उत्तर प्रदेश (1989) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल में विभिन्न पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1481/28–8–89–4(30–दु0)88 दिनांक 28–7–90, शासनादेश संख्या–1471/28–8–90–4(8–दु0)88 दिनांक 8–11–90 एवं शासनादेश संख्या–3848 / 28–8–87–4(6–दु0)84 दिनांक 18–8–87, के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों हेतु गठित समता समिति(1989) की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए बनाई गयी मुख्य सचिव की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उक्त शासनादेश दिनांक 28–7–90,8–11–90 एवं 18–8–87 के सम्मुख अंकित लेखाकार/सहायक लेखाकार पदनामों के सम्मुख अंकित की गयी प्रविष्टियों के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक में उल्लेखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 28–7–90,8–11–90 एवं 18–8–87 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–2234/वि.अनु.–3/02दिनांक 6–2–2003 में प्राप्त हुई उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,
ह0–
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

संख्या–181/व.ग्रा.वि./डेयरी/2002 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सहायक निदेशक/उप निदेशक, डेरी विकास, उत्तरांचल पौडी,हल्द्वानी एवं देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/उत्तरांचल, देहरादून ।
3. कोषाधिकारी, नैनीताल,पौडी एवं देहरादून ।
4. वित्त वेतन ायोग, अनुभाग–3 ।
5. वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–1/2 ।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग–4।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
8. निदेशक, अधिष्ठान,पुनरीक्षण व्यूरो उत्तरांचल वित्त विभाग, सचिवालय,देहरादून ।
9. दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास उत्तरांचल, देहरादून ।

ह0–
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–181/व0ग्रा0वि0/डेयरी/2002 दिनांक 13–02–2003 का संलग्नक

शा0सं0 1481 दिनांक 28.7.90, 1471 दि0 8.11. 90 एवं 3848 दि0 18.8.87 का क्रम	पदनाम एवं सेवा	वर्तमान वेतनमान /समयमान वेतनमान	पदों की संख्या				पुनरीक्षित वेतनमान	अभ्युक्ति यदि कोई हो
			दि0 31.03.89		दि0 31.3.91			
			स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई		
04	लेखाकार	1400–2300/1400–2600	–	–	–	01	1400–40–1800–द0रो0–50–2300	थ्दनांक 31–3–89 एवं 31–3–91 को लेखाकार के पदनाम से वेतनमान 1400–2600 में दो पद 80 प्रतिशत के अनुसार होगें एवं सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान 1200–2040 में एक पद 20 प्रति0 के अनुसार होगें।
08	सहा0 लेखा0(मु0)	1200–2040/1400–2300	–	–	–	01	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	
07	सहा0लेखा0 (मण्ड.)	470–735/620–820	–	01	–	–	1200–30–1560–द0रो0–40–2040	

टिप्पणीः– उपर्युक्त पुनर्गठन के लेखा संवर्ग के पदों पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31–3–89 को एक पद एवं दिनांक 31–3–91 को दो पद, कुल पदों की संख्या 03 के 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत के आधार पर दिया गया है ।

ह0–

(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

संख्या 181/XV/डेरी/2005

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव(डेरी),
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल,
हल्द्वानी(नैनीताल)

पशुपालन, मत्स्य एवं डेरी अनुभाग देहरादून दिनांक 31 मार्च 2005

विषयः— 80:20 प्रतिशत के अन्तर्गत श्री शीशराम, सहायक लेखाकार की लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान प्रतिस्थापित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1810/स्था/04—05 दिनांक 25—02—2005 के क्रम में शासनादेश संख्या—73/डेरी/2004 दिनांक 09 फरवरी 2004 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल उक्त शासनादेश दिनांक 09 फरवरी 2004 द्वारा सृजित लेखाकार/सहायक लेखाकार पदों की कुल संख्या 05 के समक्ष श्री शीशराम, सहायक लेखाकार को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान रू0 5000—150—8000 प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

डेरी विकास विभाग में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के कुल 05 पदों में 80:20 प्रतिशत के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शासनादेश दिनांक 09 फरवरी 2004 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक—यथोपरि

भवदीया,
ह0—
(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

संख्या 181/XV—1/डेरी/2005 दिनांक 31 मार्च 2005

शासनादेश संख्या जिसके अन्तर्गत पद स्वीकृत हुए है	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभियुक्ति
शासनादेश संख्या—73/ डेरी/2004 दिनांक 09 फरवरी 2004	1.सहायक लेखाकार 2.लेखाकार	4500—7000 5000—8000	03 02	सहायक लेखाकार एवं लेखाकार की सम्मिलित संख्या कुल 05 पदों में 80 प्रतिशत के अनुसार 04 पद लेखाकार पदनाम से वेतनमान रू0 5000—8000 के होगें तथा 20 प्रतिशत के अनुसार 01 पद सहायक लेखाकार के पदनाम से वेतनमान रू04500—7000 का होगा।

टिप्पणी— शासनादेश संख्या—181/व0ग्रा0वि0/डेरी/2002 दिनांक 13 फरवरी 2003 द्वारा पूर्व नियम 80:20 नियम 80:20 प्रतिशत के अन्तर्गत 02 सहायक लेखाकारों को लेखाकार पदनाम एवं वेतनमान प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

ह0/—
(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

संख्या–1660/XV-2/2(8)/2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
हल्द्वानी, नैनीताल।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 25 जून, 2010

विषय :– मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के ढॉचे के पुर्नगठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3827/स्था0/मिनि0पुर्नगठन/2009–10 का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0– 183/XXX(2)/2010 दिनांक 11.02.2010 के क्रम में डेयरी विकास विभाग के संरचनात्मक ढॉचे में अनुसचिवीय अधिष्ठान के पदो के निम्नानुसार विभाजन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	कनिष्ठ सहायक	9
2	प्रवर सहायक	9
3	मुख्य सहायक	5
4	प्रशासनिक अधिकारी	5
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1
	योग :–	29

2. पदो के विभाजन के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का एक पद इस शर्त के अधीन प्रदत्त किया जा रहा है कि एक कार्यालय में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियाल कार्मिक के पद होने आवश्यक हैं

3. निदेशक, डेरी द्वारा निदेशालय, नोडल कार्यालय तथा जनपदवार पदों की फॉट कर शासन को भी अवगात कराया जायेगा।

4. उक्तानुसार पदों का संशोधन संगत सेवानियमों में तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय
ह0–
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या–1660/XV-2/2(8)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाउॅ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–4 एवं 7/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, दुग्ध मंत्री ली को मा0 मंत्री जी के संज्ञान में जाने हेतु।
6. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूडकी को गजट में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 100 प्रतियॉ उपलब्ध कराने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0–
(एस0के0 पंत)
अनु सचिव

संख्या–527/XV-2/2(02)/2012

प्रेषक,

आर0के0सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
हल्द्वानी, नैनीताल।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 सितम्बर, 2012

विषय :– डेरी विकास विभाग में श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों की चरित्र पंजिका प्रविष्ट अंकन करने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास विभाग के श्रेणी 'क' एवं 'ख' के के अधिकारियों की चरित्र पंजिका प्रविष्टि अंकन करने की प्रक्रिया का निर्धारण से सम्बन्धित समस्त पूर्व के आदेशों को अतिक्रमित करते हुए संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक की चरित्र पंजिका प्रविष्टि अंकन करने की प्रक्रिया का श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार निर्धारण करते हैः–

क्र0सं0	अधिकारी (पदनाम)	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	सहायक निदेशक	मुख्य विकास अधिकारी	सम्बन्धित अधिकारी	निदेशक
2	उप निदेशक	संयुक्त निदेशक	निदेशक	सचिव (डेरी)
3	संयुक्त निदेशक	निदेशक	सचिव	विभागीय मंत्री जी

यह व्यवस्था दिनांक 01.04.2012 से लागू।

भवदीय

ह0–
(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)

संख्या–527/XV-2/2(02)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड,
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी दुग्ध विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0–
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग–2
संख्या–1510 / xv-2 / 06(10)2010
देहरादूनः दिनांक 9 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव, न्याय एवं परामर्शी विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–95 / xxxvi(2) / 10–3–एक(1) / 2004, दिनांक 28.05.2010 द्वारा रिट याचिकों में प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय व अन्तरिम आदेशों के पालन अथवा उनके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने के लिए मत्स्य एवं डेरी विभाग में निम्नानुसार नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं–

क0सं0	विभाग का नाम	नामित अधिकारी का नाम	दूरभाष सं0
1.	मत्स्य विभाग	श्री बी0पी0 मधवाल, उप निदेशक, देहरादून	9412992904
2.	डेरी विकास विभाग	श्री संजय उपाध्याय, उप निदेशक, हल्द्वानी (नैनीताल)	9319925236

उपरोक्तानुसार नामित विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने तथा मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरित व अन्तिम आदेशों के पालन अथवा उनके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने की ससमय कार्यवाही की जायेगी।

/
विनोद फोनिया
सचिव

संख्या–1510 / xv-2 / 06(10)2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, न्याय एवं परामर्शी विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित करने हेतु।
2. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. सम्बन्धित अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0– /
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

शासन के पत्र सं0–235/XLIII-1/2012–02(18)2012, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, देहरादूनःदिनांक 19 नवम्बर, 2012 एवं पत्र सं0–1191/XV-2/06(10)/2010, पशुपालन अनुभाग–2, देहरादूनःदिनांक 28 जनवरी, 2013 के क्रम में उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 के अध्याय–2–के प्रस्तर–4–में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड में राज्य सरकार के विरूद्ध योजित होने वाले वादों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु **श्री संजय उपाध्याय, निदेशालय, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)** को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है तथा श्री उपाध्याय को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड वादकारिता नीति, 2011 में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

ह0–
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
निदेशक

कार्यालय निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांकःसी–2810/विधि–रिट/सामा.पत्रा./नोमिनेशन/2012–13 दिनांक 23फरवरी, 2013

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित अधिकारी को अनुपालनार्थ।
2. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
3. उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं संपर्क कार्यालय, देहरादून।
4. अपर सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

ह0–
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या–सी–2309/विधि/उप0संशो0/ समिति/ 2003–04 दिनांक 16 फरवरी, 2004 द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियां स्थापित/प्रभावी की गई थी।

उपरोक्त उपविधियां स्थापित होने के पश्चात् उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 प्रभावी होने व प्रदेश का नाम बदलकर उत्तराखण्ड किए जाने तथा उपविधियों में कतिपय विसंगतियां हो जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या–सी–1772/ उप0विधि0 संशो0/समिति/2007–08 दिनांक 26 फरवरी, 2007 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की उपविधियों में अपेक्षित संशोधनों का नोटिस प्रारूप संलग्न करते हुए सभी सम्बन्धित को इस आशय से भेजा गया कि वे इस सम्बन्ध में भलीभांति विचार कर लें और यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से उपलब्ध करायें।

निर्धारित अवधि अन्तर्गत किसी भी जनपद से कोई भी आपत्ति प्राप्त न होने के कारण परिपत्र संख्या–सी–230/विधि/उप0संशो0/2007–08 दिनांक 27 अप्रैल, 2007 द्वारा सुनवाई का एक अवसर और प्रदान करते हुए पुनः यह अपेक्षा की गयी थी कि वे अपनी लिखित आपत्ति, यदि कोई हो तो, दिनांक 15–05–07 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियां अन्तिम रूप से जारी करने की शक्ति निबन्धक, दुग्ध सहकारी समिति उत्तराखण्ड में निहित है। अतः प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त, मैं, पी0एस0 कुटियाल निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, सहकारी समिति अधिनियम–2003 की धारा 14(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियां प्रभावी/स्थापित करता हूं।

उपविधियां

(जून 2007 तक संशोधित)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड

2007

निदेशक, डेरी विकास विभाग
(निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ)
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.
की

आर्दश उपविधियाँ
(जून 2007 तक संशोधित)

नाम और पता

1. समिति का नाम ..... दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि. होगा। इसका रजिस्टर्ड किया हुआ पता जिसका कार्यालय ग्राम .... तहसील ..... जिला ..... में स्थित होगा। समिति के मुख्यालय में कोई भी परिवर्तन, बिना समिति की उपविधियों में संशोधन किए हुए नहीं किया जा सकता है और इसकी सूचना निबन्धक को 30 दिनों के अन्दर देना अनिवार्य होगा।

2. इन उपविधियों में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न होः–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य; **उत्तराखण्ड** सहकारी समिति अधिनियम 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05–2003)से है।

(2) "नियम" का तात्पर्य; अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है।

(3) "उपविधि" का तात्पर्य; इस समिति की तत्समय प्रचलित पंजीकृत उपविधि से है।

(4) "निबन्धक" का तात्पर्य; निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियां (**निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड**) अथवा डेरी विकास विभाग के वे राजपत्रित अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निबंधक के सम्पूर्ण अथवा कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हों।

(5) **"दुग्ध समिति" का तात्पर्य;** ऐसी सहकारी समिति से है जिसके साधारण सदस्य एक या अधिक ऐसे क्रिया कलापों में लगे हो, जो दुग्ध उत्पादन, उसकी प्राप्ति और प्रसंस्करण या दुग्ध उत्पाद के निर्माण, दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के विक्रय या दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित हों।

(6) "क्षेत्र" का तात्पर्य; समिति के उस कार्य क्षेत्र से है जिसका उल्लेख उप–विधि संख्या–4 में किया गया है।

(7) "प्रबंध समिति" का तात्पर्य; इस समिति की प्रबन्ध समिति से है, जिसका संगठन उपविधियों के अनुसार किया गया हो और उसे अधिनियम की धारा–29 के अधीन समिति के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा गया है।

(8) "वर्ष" का तात्पर्य; सहकारी वर्ष से है, जो एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा, परन्तु निर्वाचित सदस्यों, पदाधिकारियों के प्रथम वर्ष से कार्यकाल की गणना के प्रयोजनार्थ निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 12 माह होगा।

(9) **"सदस्य" का तात्पर्य;** ऐसे व्यक्ति से है जो किसी समिति के निबन्धन के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हुआ हों अथवा ऐसे व्यक्ति से है, जिसे तत्समय प्रचलित अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के अनुसार ऐसे निबन्धन के पश्चात् सदस्य बनाया गया हो।

(10) **"दुग्ध संघ" का तात्पर्य;** उस केन्द्रीय सहकारी दुग्ध समिति से है, जिसके साधारण सदस्य के रूप में दुग्ध सहकारी समिति हो।

(11) "फेडरेशन" का तात्पर्य; उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) से है।

(12) "दुग्ध उत्पादक" का तात्पर्य; उस व्यक्ति विशेष से है जो स्वयं दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) का मालिक हो और स्वयं ही समिति के कार्य क्षेत्र में रहकर दुधारू पशुओं की देखभाल करता हो तथा दुधारू पशुओं से उत्पादित दुग्ध या दुग्ध पदार्थ का कार्य करता हो।

(13) **"अन्य पिछड़े वर्ग" का तात्पर्य;** उस नागरिक से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित किया जाय।

(14) **"निर्बल वर्ग" का तात्पर्य;** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों एवं महिलाओं से है।

(15) **"परिवार" का तात्पर्य;** आश्रित पिता, आश्रित माता, आश्रित अव्यस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा अथवा तलाकशुदा आश्रित बहिन से है।

नोटः– इन उपविधियों में प्रयोग किये गये अपारिभाषित शब्दों का तात्पर्य; उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधियिम एवं नियमावली में परिभाषित शब्दों से होगा।

उद्देश्य

3. इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।

(क) मुख्यः

(1) सदस्यों में मितव्ययता, अपनी मदद अपने आप करने और एक–दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहन देना तथा इसके लिए आवश्यक योजनाएं बनाना और दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित कराने के बाद उन्हें कार्यान्वित करना।

(2) दुग्ध संघ द्वारा दूध के अधिक लाभदायक क्रय–विक्रय सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

(3) सदस्यों को स्वच्छ एवं शुद्ध दूध उत्पादन की वैज्ञानिक विधि की जानकारी कराना एवं समिति को शुद्ध एवं स्वच्छ दूध देने को प्रेरित करना।

(ख) गौणः

(1) सदस्यों को अच्छी नस्ल के दुधारू पशु (भैंस व गाय) खरीदने में सलाह देना।

(2) सदस्यों को दुधारू पशुओं के रख–रखाव, चारा पैदा करने या संतुलित पशु आहार क्रय करने आदि के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था कराना।

(3) दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं नस्ल में सुधार लाने एवं उसको बनाए रखने हेतु आवश्यक दुग्धशाला प्रसार एवं पशुपालन सम्बन्धी कार्य करना।

(4) सदस्यों को दुग्ध वसा एवं वसा रहित ठोस आदि की जानकारी देना।

(5) ऐसे सभी कार्य करना, जिससे ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलें।

4. इस समिति का कार्य क्षेत्र ..... ग्राम सभा/ग्राम/ग्रामों तक सीमित रहेगा।

सदस्यता

5. (क) कोई भी व्यक्ति जिसका चाल–चलन अच्छा हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो, 18वर्ष से अधिक आयु का हो और जो इस समिति के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहता हो और दुग्ध उत्पादक हो और समिति को दूध देता हो, समिति का साधारण सदस्य बनाया जा सकता है। **प्रतिबन्ध यह है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को सदस्य बनाया जायेगा। ऐसा सदस्य बनाने से पूर्व उसे प्रथम तीन माह के लिए नाम मात्र का सदस्य बनाया जायेगा**।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह होगा कि कोई दुग्ध उत्पादक समिति की साधारण सदस्यता के लिए पात्र न होगा यदिः–

(1) **उसने समिति का हिस्सा न खरीदा हो।**

(2) उसने समिति के प्रवेश शुल्क का भुगतान न किया हो।

(3) उसने समिति को प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम 180 दिन तथा 300 लीटर दूध देने का आश्वासन न दिया हो।

(4) उसने समिति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न किया हो।

(ख) यदि कोई साधारण सदस्य खण्ड (क) के प्रतिबन्ध 1, 2 अथवा 4 की कोई अनर्हता रखता है या अर्जित करता है, या उसने पूर्व सहकारी वर्ष में समिति को 180 दिन तथा 300 लीटर से कम दूध दिया हो, तो ऐसे सदस्य को जिसने हिस्सा क्रय किया हो तथा प्रवेश शुल्क दिया हो, समिति निम्न सुविधाएं प्रदान कर सकती है।

(1) बोनस की प्राप्ति।

(2) हिस्से पर लाभांश।
(3) घास, चारा बींज, पशु उपचार हेतु दवाई आदि पर अनुदान।

(ग) कोई भी व्यक्ति जिसमें उपविधि 5(क) में दी गयी योग्यता हो, तीन माह के लिये नाम मात्र का सदस्य बनाया जा सकता है।

(घ) कोई भी व्यक्ति समिति विशेष का सदस्य न हो सकेगा यदिः–
(1) उसने अपने दिवालिया होने की नोटिस दे रखी हो या अनुमुक्त दिवालिया हो, या
(2) उसके विरूद्ध विश्वासघात करके या जानबूझ कर उपेक्षा करके किसी सहकारी समिति की परिसम्पत्तियों को हानि पहुंचाने या उक्त समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग करने या उसे कपट पूर्वक रोक रखने के लिए धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन अधिभार का आदेश दिया गया हो तथा ऐसा आदेश किसी अपील में यदि आपत्ति की गयी हो, स्वीकार न किया गया हो और यदि कोई अपील न की गयी हो, या ऐसी अपील करने की अवधि समाप्त हो गयी हो।
प्रतिबन्ध यह है कि अधिभार के आदेश के कारण अनर्हता, ऐसे आदेश के दिनांक से 3 वर्ष के पश्चात् तथा सम्पत्ति को क्षति या व्यक्ति को चोट पहुंचाने से उत्पन्न अनर्हता या विमुक्ति या प्रभावित और दोष सिद्ध की दशा में सजा पूरी कर लेने पर या अर्थ दण्ड का भुगतान कर देने पर लागू न होगी, या
(3) उसने किसी दुग्ध सहकारी समिति की सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी हो या समिति के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के शरीर को चोट पहुंचाई हो जिसके लिए उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन फौजदारी की कार्यवाही की गयी हो, या
(4) समिति को दूध देने के अतिरिक्त वह स्वयं कोई दुग्ध का व्यापार करता हों।

6. प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबंधन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात् प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से उन व्यक्तियों में से सदस्य बनाये जा सकते हैं, जो उपविधि 5 के अनुसार सदस्यता की आवश्यक अर्हताएं रखते हों। प्रबंध समिति द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से इन्कार करने पर उस व्यक्ति को निर्णय होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कारण बताते हुए संसूचित करना होगा जिसके विरूद्ध संसूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के अन्दर निबन्धक को अपील की जा सकेगी।

7. प्रत्येक सदस्य को 5 रू0 प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसे किसी भी दशा में सदस्य वापस पाने का अधिकारी न होगा।

8. (क) समिति की सदस्यता स्वीकृत किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उपविधियों और किसी संशोधन के मानने के लिए बाध्य होगा। ऐसा घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होगा।
(ख) प्रारम्भिक सदस्यों से भी समिति के निबन्धन के एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। ऐसा न करने की दशा में वे समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने के पात्र होंगे।
(ग) हर एक सदस्य, समिति की सामान्य निकाय में, जो व्यवसाय सम्बन्धी नियम उपस्थिति सदस्यों के 2/3 मत से पारित होंगे और जिनकी स्वीकृति निबंधक से मिल गई होगी, से बाध्य समझा जायेगा। ऐसे नियमों की अवहेलना करने पर वह समिति से निकाला जा सकता हैं।

9. किसी सदस्य को तब तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उसने उपविधि 7 व 8 के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये हों तथा प्रवेश शुल्क न चुकता कर दिया हो।

10. समिति की माँग पर सदस्य को अपनी पूंजी ऋण अथवा अन्य जिम्मेदारियों की पूरी व सही सूचना देनी होगी।

11. नियमों में की गई तदर्थ व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नामित करेगा, जिसे सदस्य की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से और अन्य प्रकार का धन जो समिति से पाना हो, दिया जा सके। नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, सदस्य इसकी सूचना समिति को देगा और दूसरे व्यक्ति को नामित करेगा। नामित करने के लिए दो गवाहों का होना आवश्यक होगा। यदि नामित व्यक्ति की मृत्यु, नामित करने वाले सदस्य के हिस्से या अन्य धन की वापसी के पूर्व हो जाती है तो ऐसे सदस्य के हिस्सों की या अन्य धन की वापसी उस व्यक्ति को ही की जायेगी, जिसे समिति की प्रबन्ध समिति मृत सदस्य का वास्तविक उत्तराधिकारी समझे। नाबालिग को उसके संरक्षक द्वारा मृत सदस्य का रूपया वापस दिया जायेगा।

12. कोई भी सदस्य भर्ती की तिथि से एक वर्ष के अन्दर समिति से त्यागपत्र नहीं दें सकेगा। ऐसी अवधि बीतने के बाद यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत न हो, समिति को कम से कम एक मास की नोटिस देने के बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। सदस्यता छोड़ देने की नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी, परन्तु इस तरह सदस्यता समाप्त होने पर सदस्य उन दायित्वों से मुक्त नहीं समझा जायेगा, जो उन अधिनियम, **नियम** और उपविधियों के अनुसार लिये हो।

13. (क) निम्नलिखित किसी/किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी साधारण सदस्य समिति की सदस्यता से अनर्ह हो जायेगा, यदिः–
(1) वह समिति का बकायेदार हो या,
(2) वह अर्हताओं की पूर्ति न करता हो या उसने नियमों अथवा इन उपविधियों के अधीन व्यवस्थित अनर्हता अर्जित कर ली हो, या
(3) वह विकृत–चित का हो जाय, या
(4) वह दूध में मिलावट करे, या
(5) उसने समिति की उपविधियों का उल्लघंन कर समिति को हानि पहुंचाई हो, या
(6) उसने इन उपबन्धों के अनुसरण में गलती की हो या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया हो जिसके कारण उसे अनुचित लाभ हुआ हो अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाईयां पहुंचाई हो, या
(7) उसके पास कोई गाय/भैंस हो और वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को दूध बेंचे या वह दूध उत्पादों का व्यापार करता हो या करने लगे, या
(8) (क) वह बार–बार प्रबन्ध समिति के सुझावों व प्रस्तावों का उल्लंघन करें, उपरोक्त कोई अनर्हता अर्जित करने पर उसे अधिनियम तथा नियम या इन उपविधियों में निर्धारित रीति के अनुसार सदस्यता से हटाया जा सकता है।
(ख) खंड 'क' के अन्तर्गत हटाये गये अथवा निकाले गये सदस्य को निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिन के अन्दर नियमों में निर्धारित रीति से अपील करने का अधिकार होगा।
(ग) हटाये अथवा निकाले गये सदस्य पर यदि समिति का ऋण अथवा और कोई रूपया निकलता हो तो समिति ऐसी समस्त धनराशियों को एक मुश्त वसूल कर सकती है।

14. कोई व्यक्ति जो इस समिति की सदस्यता से हटाया अथवा निकाला गया हो, हटाये अथवा निकालने के आदेश के प्रभावी होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर समिति में पुनः सदस्य न हो सकेगा और फिर से वह सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त समिति के अधीन कोई पद ग्रहण करने अथवा प्रबन्ध समिति में निर्वाचन के लिए खड़े होने का पात्र नहीं होगा।

पूंजी

15. (क) समिति की पूंजी निम्नलिखित मे एक या एक से अधिक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैः–
(1) प्रवेश शुल्क।
(2) हिस्से की पूंजी।
(3) ऋण
(4) अमानतें
1. सदस्यों से,
2. गैर सदस्यों से, जो समिति के कार्य क्षेत्र में रहते हों।
(5) दान
(6) विशेष चन्दे।
(7) रक्षित तथा अन्य कोष।
(8) अवितरित लाभ।
(9) अनुदान।
(10) जुर्माना।

(ख) समिति की पूंजी सहकारी अधिनियम की धारा–59 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार विनियोजित की जायेगी।

नोटः– दूध संग्रह करने हेतु बने या बनाए जा रहे भवन, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र आदि समिति के परमाधिकार में आते हैं।

16. समिति की **हिस्सा** पूंजी 20 रू0 प्रति हिस्से की दर से जो व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा खरीदे जायेंगे, से बनेगी।

17. (1) **हिस्से का पूरा मूल्य, हिस्सा** खरीदते समय एक साथ ही जमा करना होगा।
(2) प्रत्येक सदस्य का प्रत्येक हिस्से हेतु एक हिस्सा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। प्रत्येक प्रमाण पत्र का क्रमांक भिन्न–भिन्न होगा।

18. सदस्य बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक हिस्सा खरीदना होगा परन्तु कोई भी व्यक्तिगत सदस्य समिति की कुल हिस्सा पूंजी का 1/10 भाग अथवा पॉच हजार रूपया इनमें से जो कम हो, से अधिक के हिस्से नहीं खरीद सकेगा।

19. समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने, निकाल दिए जाने अथवा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप सदस्यता समाप्त होने की दशा में किसी व्यक्तिगत सदस्य के हिस्से को, सम्बन्धित सदस्य अथवा मृत सदस्य के द्वारा नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी अथवा विधिक प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति का वह सभी ऋण जो सदस्य को स्वयं देना हो अथवा किसी अन्य सदस्य के जमानती की हैसियत से देना है, चुका नहीं दिया जाता और अधिनियम की धारा–25 के अनुसार निर्धारित दो साल की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती। समिति को ऐसे हिस्से के रूपये पर उस तिथि तक ब्याज नहीं देना होगा जो उसने रूपया वापस करने के लिए निश्चित की हो। इस ब्याज की दर लाभांश की दर से अधिक न होगी जो समिति ने पिछली बार दिया हो।

उत्तरायित्व

20. सदस्यों का उत्तदायित्व उनके द्वारा धारित अंशों की शेष धनराशि यदि कोई हो, तक सीमित होगा।

संगठन व प्रबन्ध (सामान्य निकाय)

21. समिति का अन्तिम प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा, **जो कि उपविधियों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह** सदस्यों से बनेगी।

22. प्रबन्ध समिति जब अधिनियम/नियमों एवं उपनियमों के अनुरूप समिति के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति नहीं करती है तो ऐसी दशा में निबन्धक के निर्देशों से बुलाई गयी सामान्य निकाय की बैठक की प्रतिपूर्ति सामान्य निकाय के कुल स्थानों के आधे से अधिक होगी और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव ही मान्य होंगे।

सामान्य निकाय की बैठकें निम्न प्रकार आयोजित की जाएंगीः–

(1) **साधारण समान्य बैठक–**
प्रबन्ध समिति, दुग्ध समिति के कार्य सम्पादन के लिए जब आवश्यक हो सामान्य निकाय की बैठक बुलायेगी, जिसे "साधारण सामान्य बैठक" कहा जायेगा।

(2) **वार्षिक सामान्य बैठक–**
प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किए जाने और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु 30 नवम्बर तक अथवा निबंधक द्वारा बढ़ायी गयी अवधि के अन्दर चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, समिति अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी।
(1) अधिनियम की धारा–32(2) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए प्रबन्ध समिति वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, स्थान तथा समय निश्चित करेगी। बैठक सम्बन्धी नोटिस के साथ एजेण्डा भी भेजा जाएगा।
(2) समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी।

(क) पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किए गए समिति के कार्य–कलापों का अनुमोदन।
(ग) अधिनियम, **नियम तथा उपविधियों** के प्राविधानों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन, यदि होना हो।
(घ) वर्ष के संतुलन पत्र (बैलेन्सशीट) और वार्षिक प्रतिवेदन पर नियमों के अनुसार विचार।
(ङ) वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर नियमों के अनुसार विचार।
(च) नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए आगामी वर्ष के लिए समिति का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।
(छ) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के अनुसार शुद्ध लाभ का निस्तारण।
(ज) आगामी वर्ष के बजट पर विचार।
(झ) दुग्ध संकलन की आवश्यक व्यवस्था करना तथा दुग्ध संघ से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संकलित दूध के परिवहन की व्यवस्था करना।
(ञ) दुग्ध संघ की उपविधियों में निर्धारित समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों के पालन की व्यवस्था करना।
(ट) आन्तरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति।
(ठ) किसी अन्य विषय पर विचार जो सामान्य निकाय आवश्यक समझे।

(3) **असाधारण सामान्य बैठक–**
निबंधक, अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर प्रबंध समिति एक माह के अन्दर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबंध समिति द्वारा उक्त बैठक न बुलाने पर निबंधक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान, तिथि तथा समय पर जिसका वह निर्देश दें, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

ऐसी बैठक को वे सभी अधिकार होंगे और उन्हीं नियमों के अधीन होंगे जो इन उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को है, किन्तु इस प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार करना होगा, जिसका उल्लेख अधियाचन में किया गया हो।

23. अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगेः–
(1) निबन्धक या उसके अधीन किसी अधिकारी द्वारा समिति निरीक्षणों पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के साथ विचार करना।
(2) नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सभापति/उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करना।
(3) पिछली बैठक की तिथि से समिति की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करना।
(4) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम अपनाना।
(5) वैधानिक निरीक्षण एवं जाँच प्रतिवेदनों पर विचार।
(6) अधिनियम तथा नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपविधियों में संशोधन करना तथा नई उपविधियों को बनाना/अपनाना।
(7) आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।
(8) उपविधि 22(2) के सभी कार्य करना।
(9) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के उपबन्ध के अनुसार प्रबन्ध समिति के निर्णयों पर अपील सुनना।
(10) ऐसे अन्य आवश्यक विषय जो प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाये, पर विचार।

24. सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई की अनुमति से कोई भी सदस्य ऐसे विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि उल्लेख बैठक सम्बन्धी नोटिस में न किया गया हो; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस विषय का सम्बन्ध किसी सदस्य को निकालने या उपविधियों में संशोधन से न हो।

25. सामान्य निकाय की बैठक बुलाने के लिए साधारणतया सात दिन की नोटिस दी जायेगी, किन्तु ऐसी बैठकें जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो अथवा समिति के विभाजन या समामेलन का विषय विचारणीय हो, के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा।

26. सामान्य निकाय की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की संख्या की 40 प्रतिशत होगी। यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक की गणपूर्ति मूल गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों के संख्या की आधी होगी।

27. सामान्य निकाय के सदस्यों को बैठकों की सूचना लिखित नोटिस भेजकर अथवा समिति के कार्य क्षेत्र में ढिंढोरा पीटकर व किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर नोटिस चिपका कर दी जायेगी, किन्तु नोटिस द्वारा सूचना भेजने में कोई त्रुटि रह जाने पर बैठकों की कार्यवाही केवल इसी आधार पर अवैध न होगी।

28. सभापति सामान्य निकाय की समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा इन बैठकों का सभापतित्व किया जायेगा, किन्तु ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों चुनाव होना हो, का सभापतित्व ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा जो स्वयं किसी पद के लिए प्रत्याशी हो।

29. सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य का केवल एकमत होगा। किसी दूसरे व्यक्ति को अनुपस्थिति सदस्यों का वोट देने का अधिकार न होगा।

30. समिति के सचिव का कर्तव्य होगा, कि वह सामान्य निकाय के ऐसे सदस्यों की सूची रखे जिन्हें बैठकों में मतदान का अधिकार हो। यह सूची प्रत्येक बैठक की नोटिस जारी करने के दिन तक पूर्ण कर ली जायेगी, जो सदस्यों को निःशुल्क दिखलाई जायेगी, यदि कोई सदस्य इस सूची की प्रति प्राप्त करना चाहे तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकेगा। ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो, की नोटिस जारी होने के बाद कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

31.(क) ऐसे विषयों के अतिरिक्त, जिनके लिए अधिनियम तथा नियमों में विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था की गयी है, सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह विषय पदाधिकारियों के चुनाव का है तो सभापति अपना निर्णायक मत नहीं देगा, अपितु उसका निर्णय लाटरी डालकर किया जायेगा।
(ख) सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियाँ इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगीं और कार्य वृतियों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तथा प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगें।

<u>प्रबन्ध समिति</u>

32. प्रबन्ध समिति, समिति के सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

33. (1) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए प्रबन्ध समिति में कुल 9 निर्वाचित सदस्य होंगे जो **सामान्य निकाय द्वारा** चुने जायेंगें।
(2) प्रबन्ध समिति में तीन स्थान, जिसमें एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, एक स्थान–नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो और एक स्थान–महिला के लिए आरक्षित होंगे।
(3) किसी भी कारण से प्रबन्ध समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों का निर्वाचन न हो सके, जितने के लिए स्थान आरक्षित है या यदि उनमे कोई रिक्ति होती है, वहां प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसे वर्ग के पात्र व्यक्तियों को ऐसी समिति की प्रबन्ध समिति में **सहयोजित करके, यथा स्थिति, रिक्ति या कमी को पूरा किया जा सकता है**।

34. प्रबन्ध समिति के चुने गये सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा तथा निर्वाचित किसी भी सदस्य/सभापति/उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ–साथ समाप्त होगा।

35. प्रबन्ध समिति के अवकाश प्राप्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।

36. यदि प्रबन्ध समिति के किसी चुने हुए सदस्य का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाये तो वह प्रबन्ध समिति के शेष सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों में से जो समिति की सदस्यता के लिए पात्र हो, शेष अवधि के लिए आमेलन द्वारा भरा जायेगा।

37. (1) कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध समिति का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदिः–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।
(ख) वह दिवालिया घोषित हो।
(ग) वह विकृत चित्र, बहरा और गूंगा या अंधा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो।
(घ) उसे पिछले पांच वर्षो की अवधि में निबंधक की राय में नैतिक पतन संबंधित अपराध में दोषी ठहराया गया हो और ऐसा दोष अपील में रद्द न कर दिया गया हो।
(ङ) निबंधक की राय में वह या उसके परिवार का कोई सदस्य समिति के कार्य क्षेत्र में उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करें, या करता हो जैसा समिति करती है।
(च) वह अधिनियम या निमयों अथवा इन उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार /संविदा करें।
(छ) वह समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार किये हो या धारण करता है।
(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो।
(झ) यह पर्याप्त कारण के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।
(ञ) वह किसी अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो और दोष सिद्ध के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।
(ट) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा–91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति हुई हो।
(ठ) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा अथवा निर्गमित निकाय से कपट, दुराचरण, या आशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो, किन्तु यह अनर्हता पदच्युत किये जाने के पांच वर्ष व्यतीत हो जाने पर लागू न होगी।
(ड) वह लगातार बकायादार हो।
(ढ) वह किसी सहकारी समिति के निबंधन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध समिति का प्रबन्ध सदस्य रहा हो जो बाद में निबंधक द्वारा धारा–72 की उपधारा–(2) के खंड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गयी हो कि समिति का निबंधन कपटपूर्वक कराया गया और निबंधक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।
(ण) वह अधिनियम और नियम या इन उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अनर्ह हो।
(त) यदि उसने गत सहकारी वर्ष में 180 दिन तथा 300 लीटर दूध न दिया हो।
(थ) यदि वह जानबूझ कर कोई ऐसा कार्य करें, जिससे समिति की साख को चोट पहुंचे।
(द) यदि वह लगातार प्रबन्ध समिति के सुझावों एवं प्रस्तावों को अस्वीकार करता रहा हो।
(ध) दूध देती हुई गाय या भैंस रखते हुए यदि वह किसी अन्य को दूध बेंचता है या स्वयं दूध या दुग्ध पदार्थ का विक्रय करता है।
(न) यदि वह समिति के कार्यक्षेत्र में लगातार न रहता हो या सदस्य बनने की अर्हता समाप्त हो गयी हो।
(प) वह इस समिति या किसी अन्य समिति में वैतनिक कर्मचारी हो।

(2) सदस्य को अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार सदस्यता से निकाला जा सकेगा। निकाले गये सदस्य के हिस्से को सामान्य निकाय की बैठक के प्रस्ताव द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

38.(क) प्रबन्ध समिति की बैठक प्रतिमाह एक बार अवश्य होगी और अगली बैठक की तिथि प्रत्येक बैठक में ही तय कर ली जायेगी, जिसकी सूचना केवल अनुपस्थित सदस्य को ही सचिव द्वारा दी जायेगी। साधारणतः समिति की बैठक बुलाने के लिए 7 दिन का नोटिस आवश्यक होगा। प्रबन्ध समिति की आकस्मिक बैठक सभापति, सचिव, प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों अथवा निबंधक द्वारा 3 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है।

(ख)प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में कोई कार्य करने के लिए चुने हुए सदस्यों में से पांच की उपस्थिति होना आवश्यक होगा।

(ग) प्रबन्ध समिति की बैठक, समिति के मुख्यालय पर होगी।

39. प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। बराबर मत की दशा में सभापति एक मत अतिरिक्त दे सकेगा; परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह विषय पदाधिकारियों के चुनाव का है तो सभापति अपना द्वितीय निर्णायक मत नहीं देगा, अपितु इसका निर्णय लाटरी डालकर किया जायेगा।

40. कोई सदस्य किसी ऐसे विषय पर हो रही चर्चा में भाग नहीं लेगा और न मत ही देगा जिससे वह स्वयं सम्बन्धित हो परन्तु निर्णय उसके हित के विरूद्ध किये जाने के पूर्व उसको स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायेगा।

41. प्रबन्ध समिति की बैठक में जिन विषयों पर चर्चा होगी तथा निर्णय लिया जायेगा, उन्हें कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जायेगा और उसमें बैठक के सभापति तथा समस्त उपस्थिति सदस्यों तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे। यद्यपि कार्यवाही के अन्त में सचिव तथा सभापति के हस्ताक्षर ही आवश्यक होंगे।

42. प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगेः

(1) निर्वाचित सदस्यों में से सभापति/उपसभापति एवं प्रतिनिधि का निर्वाचन करना।
(2) पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
(3) सदस्य की भर्ती करना और उसका हिस्सा प्रदत्त करना।
(4) किसी सदस्य का त्याग पत्र स्वीकार करना।
(5) नियमों और उपविधियों के अनुसार हिस्सों की वापसी की स्वीकृति करना।
(6) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के अनुसार बैठक आयोजित करना और वार्षिक सामान्य बैठक में समिति का आडिट किया हुआ पूंजी व जिम्मेदारी का नक्शा (बैलेन्सशीट), वसूल न हो सकने वाले संदेहात्मक ऋण की सूची व लाभ वितरण के सुझाव एवं निबंधक द्वारा वांछित एवं अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत करना।
(7) रोकड़ तथा कीमती दस्तावेजों की जांच करना।
(8) समिति के प्रबन्ध के लिए ऐसे व्यय करना जो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं और जो सामान्य निकाय द्वारा वर्ष के स्वीकृत आय–व्यय के अनुकूल हों।
(9) समिति के कार्य के लिए पूंजी उस अधिकतम धनराशि तक बढ़ाना जो वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित की गई हो तथा जिसके लिए निबंधक ने अपनी स्वीकृत दे दी हो।
(10) स्थिर व चालू अमानतों तथा समिति के कर्मचारियों द्वारा जमा की गई अमानतों पर समय तथा ब्याज की दर निश्चित करना, इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह दरें राष्ट्रीयकृत बैंक की दरों से एक प्रतिशत अधिक हो सकती है।
(11) हर सदस्य की वर्षभर के लिए दूध व चारे की उत्पादन योजना तैयार करना और उसको कार्यान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

(12) समस्त ऋण तथा अमानतें, अंशधन संचित, रक्षित निधि तथा भवन–निधि की कुल धनराशि में से संचित हानि की धनराशि घटाने के उपरान्त शेष धनराशि के दस गुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

(13) जमानतों को लेने हेतु शर्त तय करना तथा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उपयोग से बची हुई निधियों को जमा करना।

(14) समिति के कार्य से सम्बन्धित समिति की ओर से कर्मचारी के विरूद्ध चलाये गये मामले को किसी सदस्य, अधिकारी या विशेष रूप से अधिकृत व्यक्ति के द्वारा पैरवी, समझौता व सालसी कार्यवाही करना या दावा आदि वापस लेना।

(15) यह देखना कि समिति का प्रबन्ध इन उपविधियों और सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(16) समिति के धन तथा अन्य सम्पत्ति को पाने, देने तथा सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना।

(17) समिति के हिसाब की देखभाल तथा जांच करना।

(18) समिति द्वारा प्राप्त किये जाने वाले धन की वसूली करना।

(19) समिति के सुचारू रूप से कार्य तथा हिसाब के ठीक–ठीक जांच व आंतरिक लेखा परीक्षा की व्यवस्था।

(20) समिति के निरीक्षण तथा आडिट नोटों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्यवाही करना और समिति की आगामी साधारण बैठक के सम्मुख नियमों में निर्धारित रीति से त्रुटियों की दुरूस्ती की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(21) समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक नियम बनाना।

(22) समिति की ओर से दुग्ध संघ में या किसी अन्य सहकारी संस्था में हिस्से खरीदना और उनकी उपविधियों के अनुसार प्रतिनिधि भेजना।

(23) दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार सम्बन्धी वस्तुंए, पशु के लिए चारा, संतुलित पशु आहार आदि की व्यवस्था करना।

(24) जानवरों के चारे को उगाने और एकमुश्त खरीदने व सुरक्षित रखने आदि का प्रबन्ध करना।

(25) समिति की पूंजी नियमों के अनुसार बाहर लगाना।

(26) धनराशि की ऐसी अधिकतम सीमा निश्चित करना जितने तक सचिव अपने पास रख सके।

(27) अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति की ओर से सचिव द्वारा प्रस्तुत कागजों तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(28) समिति के सदस्यों द्वारा दुग्ध उत्पादन की श्रेणी को और उत्तम करने के लिए प्रबन्ध करना।

(29) समिति की आय व्यय (बजट) तथा वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और स्वीकृति के लिए वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना।

(30) किसी बैंक या किसी संस्था में, जिसे निबंधक ने स्वीकार किया हो, खाता खोलना।

(31) सरकार या अन्य श्रोतों से प्राप्त तकनीकी सहायता व अनुदान आदि का नियमानुसार उपयोग की व्यवस्था करना।

(32) अधिनियम, नियमों तथा निबंधक के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए समिति के वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त, निष्काषित अथवा दण्डित करना।

(33) अन्य कोई ऐसा कार्य करना जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिनियम व नियमों के अनुसार आवश्यक हो।

(34) निबन्धक के अनुमोदन से समिति के कर्मचारियों के भत्ता सम्बन्धी नियम बनाना।

(35) दुग्ध संघ की उपविधियों के अनुसार समिति के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।

(36) समिति के हिसाब–किताब का निरीक्षण करना, रोकड़, नकदी का भौतिक सत्यापन करना या प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य को कैश बुक पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करना।

(37) मेम्बर रजिस्टर, हिसाब किताब की बहियां तथा अन्य रजिस्टरों का सत्यापन करना और ऐसी कार्यवाही करना/कराना जिससे कि उपरोक्त रजिस्टर एवं खाते व्यवस्थित रूप से लिखे जायें।

(38) सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक नियम बनाना जो कि सहकारी अधिनियम, नियमों, उपविधियों एवं सामान्य बैठक के प्रस्तावों के प्रतिकूल न हो। यह प्रशासनिक नियम प्रबध समिति की कार्यवाही रजिस्टर में उल्लिखित किये जायेगें।

43. जब सभापति/उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास या संकल्प स्वीकार हो जाये तो सम्बन्धित व्यक्ति पद से हटते हुए उसके स्थान पर उसका उत्तरदायित्व पद घोषित करेगा, यदि सभापति का पद उप सभापति को धारित कराया जाता है तो उस बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

44. समिति का प्रबन्ध करने में प्रबन्ध समिति के सदस्य साधारण व्यापारी की भांति क्रियात्मक बुद्धि तथा परिश्रम के साथ काम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के विरूद्ध हो।

सभापति

45.(क) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यो के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिनियम, नियमों, इन उपविधियों तथा प्रबन्ध समिति के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। आकस्मिक परिस्थितियों में वह प्रबन्ध समिति के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रयोग में लाये गये अधिकार द्वारा किए गये कार्य को प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

(ख) उपरोक्त के साथ सभापति के निम्न कर्तव्य होंगेः–

(1) **सामान्य निकाय बैठक** एवं प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को सचिव द्वारा कार्यान्वित कराना।

(2) सचिव के दिन प्रतिदिन कार्य का पर्यवेक्षण करना, उपविधियों में निर्धारित सीमा से अतिरिक्त धनराशि को बैंक में जमा कराना। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय नकद धनराशि का अन्तिम शेष तीन दिन के दूध के क्रय मूल्य सं अधिक न हो।

(3) समिति का सामान्य साज–सज्जा, स्कन्ध आदि का प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार सत्यापन करना या कराना तथा किये गये सत्यापन के प्रति प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कराना।

(4) यह सुनिश्चित करना कि समिति का कार्य अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अनुसार संचालित हो रहा है।

(5) सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों, निरीक्षण पत्रों एवं वीक्षण पत्रों में उठाई गई आपत्तियों का अविलम्ब दूर करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

(6) **डेरी विकास विभाग**, दुग्ध संघ तथा अन्य सहकारी संस्थाएं जिससे समिति सम्बद्ध है, द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं एवं विवरण अवलिम्ब दिये जाने हेतु व्यवस्था करना।

(7) शिकायती पत्रों जहां तक सम्भव हो का निस्तारण कराना और ऐसे शिकायती पत्रों को अपनी आख्या सहित प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(8) दुग्ध संघ की उपविधियों में निर्धारित समिति के दायित्व एवं कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।

46. सभापति सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति की समस्त बैठकों का (सिवाय नियमों अथवा इन उपविधियों में की गयी अन्यथा व्यवस्था के) सभापतित्व करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उस बैठक का सभापतित्व उपसभापति द्वारा किया जायेगा।

सचिव

47. समिति के कार्य संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा उसकी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्ते निर्धारित करेगी। प्रबन्ध समिति सचिव तथा समिति के अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने में निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान रखेगी।

(1) वह व्यक्ति समिति के उद्देश्यों के अनुरूप दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध का परिवहन आदि का व्यवसाय या तो स्वतंत्र रूप से अथवा किसी के साथ हिस्सेदारी में करता हो।

(2) वह व्यक्ति किसी दूसरी संस्था का वैतनिक कर्मचारी अथवा वैतनिक दायित्व करता हो।

(3) वह नैतिक अथवा किसी अपराध मे दण्डित हुआ हो।

(4) उसके नियुक्ति से पूर्व अथवा समिति की सेवा में धन का गबन अथवा दुरूप्रयोग किया हो।

(5) उसने उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों की स्पष्ट अवहेलना की हो अथवा अधिनियम के उल्लंघन में वह दोषी ठहराया गया हो।

यदि कोई दुग्ध समिति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करती है, जिसमें उक्त अर्नहताओं में से कोई भी अनर्हता पाये जाने की सूचना मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को समिति की सेवा से अलग किया जायेगा।

सचिव की नियुक्ति अथवा सेवा शर्त के सम्बन्ध में यदि निबंधक कोई प्रतिबन्ध अथवा नियमावली लागू करते हैं तो वह समिति को मान्य होगी।

48. सचिव दुग्ध समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा सभापति और प्रबन्ध समिति के नियंत्रण में रहते हुए निम्न अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगाः–

(1) समिति के कार्य में सम्यक, प्रबन्ध तथा कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व वहन करना।

(2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करना।

(3) इन उपविधियों के अधीन रहते हुए समिति के लेखों का परिपालन करना तथा समिति की आय–व्यय का लेन–देन करना व समिति की रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करना तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखना।

(4) समिति की ओर से उसके लिए सभी लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रमाणित करना।

(5) समिति की बहियों और अभिलेखों के उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक/ राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करना और कराना।

(6) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति की बैठकों को बुलाना तथा ऐसी बैठकों के ठीक से अभिलेख रखना।

(7) प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार समिति के स्टाक, साज सज्जा एवं अन्य सामान की जॉच करना या कराना।

(8) समिति से सम्बन्धित सम्प्रेक्षण, प्रतिवेदन, निरीक्षण पत्र तथा वीक्षण पत्रों के अनुपालन हेतु अविलम्ब उचित कार्यवाही करना तथा अनुपालन आख्या को शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करके प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त एक महीने के अन्दर सम्प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराना।

(9) दुग्ध मूल्य को निर्धारित अवधि में भुगतान करना तथा विक्रय किये गये दूध एवं अन्य बिक्री सम्बन्धी मूल्य समिति के सम्बन्धित व्यक्तियों से एकत्रित करना।

(10) प्रबन्ध समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु मासिक आय एवं व्यय सम्बन्धी रिपोर्ट, क्रय विक्रय सम्बन्धी रिपोर्ट तथा लाभ हानि सम्बन्धी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना।

(11) यह सुनिश्चित कराना कि समिति का बकाया बराबर वसूल होता रहे तथा वसूली न सम्भव होने पर प्रबन्ध समिति के परामर्श से विधिक कार्यवाही सम्बन्धी आवश्यक परिपत्र तैयार करना।

(12) सरप्लस धनराशि को बैंक में जमा करना।

(13) उपविधियों के अन्तर्गत रहते हुए समिति के व्यवसाय को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

(14) ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार सचिव पर आरोपित किये गये हों अथवा सभापति या प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे जायँ।

(15) दुग्ध संघ की उपविधियों में निर्धारित समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।

49. प्रबन्ध समिति आवश्यकतानुसार सचिव की सहायता के लिए अधिनियम तथा नियमों मे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है तथा उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे।

50. समिति द्वारा ऐसे प्रपत्र पर जो निबन्धक, फेडरेशन, दुग्ध संघ तथा प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जायें, निम्नलिखित लेखा पुस्तकें/रजिस्टर रखें जायेंगेः–

(1) समिति की सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति की कार्यवाही अभिलिखित करने के लिए कार्यवाही रजिस्टर।

(2) समिति सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र का रजिस्टर जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, वांछित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृत की दशा में प्रार्थी सदस्य को अस्वीकृति का निर्णय संसूचित करने का दिनांक दिया होगा।

(3) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता सदस्य होने का दिनांक, लिये गये अंश तथा ऐसे अंशों की धनराशि के भुगतान का दिन, सदस्यता समाप्त होने की दिनांक तथा समाप्ति के कारण दिये जायेंगे।

(4) नाम निर्देशनों का रजिस्टर जो सदस्यों द्वारा किये गये हों।

(5) रोकड़ बही जिसमें दैनिक प्राप्तियां और व्यय तथा अन्त में प्रतिदिन की शेष धनराशि दिखाई जायेगी।

(6) रसीद बही।

(7) प्रत्येक सदस्य के लिए खाता बही।

(8) प्रमाणक (बाउचर) पत्रावली जिसमें समिति द्वारा किये व्यय के लिए प्रमाणक (बाउचर) क्रमवार संख्यांकित तथा कालमानुसार किये जायेंगे।

(9) सामान्य खाता बही जिसमें दिन प्रतिदिन के विभिन्न शीर्षकों (मदों) की प्राप्तियों तथा भुगतान और अदत्त धनराशियां दिखाई जायेंगी।

(10) अधिकारियों और पदाधिकारियों को (जिसके अन्तर्गत प्रतिनिधि भी है) नियुक्ति का रजिस्टर।

(11) लाभांश का रजिस्टर।

(12) दूध खरीद रजिस्टर।

(13) स्टाक रजिस्टर ।

(14) पशु चिकित्सा रजिस्टर ।

(15) निरीक्षण पुस्तिका।

(16) ऐसे अन्य रजिस्टर और पुस्तकें जो निबंधक, फेडरेशन, दुग्ध संघ तथा प्रबन्ध समिति समय–समय पर निर्दिष्ट करें अथवा नियमों की व्यवस्था या समिति के कार्य के अनुसार आवश्यक हो।

51. **समिति के समस्त रजिस्टर सदस्यगण देख सकते हैं**।

लाभ–विवरण

52.(क) समिति अपने वर्ष के शुद्ध लाभ में सेः–

1. ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि संक्रमित करेगी जो रक्षित निधि कहलायेगी।
2. प्रत्येक सहकारी समिति अपने शुद्ध लाभ में से **1000/– रूपये**, सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेंगी।
3. ऐसी धनराशि जो **25 प्रतिशत** से अधिक न हो, एक निधि में जमा की जायेगी, जिसे "इक्विटी रिडम्पशन फण्ड" कहा जायेगा और ऐसा फण्ड उसी सहकारी समिति में संगठित किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की अंशपूंजी लगी हो। प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा फण्ड राज्य सरकार की अंशपूंजी की राशि से अधिक नहीं होगा।

(ख) अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत् होगाः

(1) सदस्यों को उनकी प्रदत्त अंश पूंजी पर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान।
(2) सदस्यों को व्यापार की उस राशि या मात्रा पर जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, पर वितरण योग्य लाभ के अधिकतम 75 प्रतिशत बोनस का भुगतान।
(3) समिति के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत या एक महीने के वेतन जो भी कम हो, का बोनस के रूप में भुगतान।
(4) **शोध एवं विकास निधि में 1 प्रतिशत अधिकतम 5000/– का अंशदान।**
(5) चैरीटेबिल एण्डाउमेंट एक्ट 1890 की धारा–2(क) में यथा परिभाषित किसी (चैरीटेबिल परपज) की पूर्ति के प्रयोजन के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि का आवंटन।
(6) शेष धनराशि यदि कोई हो, को आगामी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना।

53.(क) यदि उपरोक्त लाभ वितरण में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो प्रबन्ध समिति **के अनुरोध पर निबन्धक की अनुमति से ऐसा** किया जा सकता है।

(ख) **निधियों का विनियोजन अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।**

54. यदि समिति के किसी सम्पत्ति की चोरी हो जाती है या खो जाती है और वापस नहीं मिलती अथवा किसी सदस्य पर बकाया पूरा ऋण या उसका कुछ हिस्सा नाकाबिल वसूल हो जाता है तो **समिति ऐसी रकम को बट्टा खाता में डाल** सकती है। किन्तु इसके लिए निबंधक की अनुमति आवश्यक होगी।

55. रक्षित निधि नियमों में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रकार से विनियोजित की जायेगी, किन्तु यदि रक्षित निधि समिति की चालू पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक हो तो अधिक धनराशि निबंधक की अनुमति से समिति के कारोबार में उपयोग की जा सकती है।

56. रक्षित निधि अविभाज्य होगी और किसी सदस्य या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार न होगा।

57.(क)समिति के समापन की दशा में समिति की रक्षित निधि और निधियों का प्रयोग सबसे पहले नियमों में निर्दिष्ट आधार पर समिति के दायित्वों का उन्मोचन करने के लिए, उसके बाद प्रदत्त अंश पूंजी का प्रतिदान करने के लिए और तत्पश्चात् यदि किसी अवधि के लिए लाभ से लाभांश का भुगतान न किया गया हो, तो ऐसी अवधि के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान करने के लिए किया जायेगा।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित भुगतान के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाये तो उसका प्रयोग ऐसे दान के प्रयोजनों (चैरिटेबल परपज) या राष्ट्रीय रक्षा निधि या लोक उपयोग के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिए किया जायेगा, जिसे प्रबन्ध समिति चुने और जिसका निबंधक अनुमोदन करें, यदि प्रबन्ध समिति, निबंधक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर किसी ऐसे उद्देश्यों को न चुन सके जो निबंधक द्वारा अनुमोदित हो तो निबंधक अतिरेक निधियों का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में दान देने के लिए कर सकता है।

अंकेक्षण (आडिट)

58. समिति के हिसाब का सम्प्रेक्षण, निबंधक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से कराया जायेगा।

विवाद

59. अधिनियम की धारा 70 में उल्लिखित पक्षों के बीच समिति के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी अनुशासिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न समस्त विवाद अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिए निबंधक को अभिदिष्ट किये जायेंगे और निर्णीत होंगे।

उपविधि संशोधन

60.(क) उपविधियों में संशोधन करने के लिए बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में **संशोधन किया जा सकता है।** प्रतिबन्ध यह है कि निबंधक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान उपविधियों का संशोधन अथवा संशोधन जिन्हें करने के लिए निबंधक अपेक्षा करें, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

(ख)उपविधियों में संशोधन करने के निमित सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को **नियम के अनुसार नोटिस दी जायेगी**।

(ग) ऐसी बैठक के लिये सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम **एक तिहाई** की गणपूर्ति अपेक्षित होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबंधक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुलाये जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम से कम 1/5 कर दी जायेगी, जिसकी लिखित सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी, प्रतिबन्ध यह भी है कि निबंधक द्वारा पहले ही अनुमोदित प्रतिमान (माडल) उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबंधक द्वारा यह निर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाये तो अपेक्षित गणपूर्ति की उस दशा में जब बैठक 1/5 तक कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, 1/7 तक और कम करने की निबंधक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 तक कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक को कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित किया जायेगा।

गोपनीयता

61. प्रत्येक प्रबन्ध समिति का सदस्य पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेगा। गोपनीयता की शपथ दुग्ध समिति के कार्यो के लेन–देन व व्यापारिक बातचीत या दुग्ध पदार्थो को बनाने की विधि से सम्बन्धित होगी। उसे इस आशय के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके यह घोषित करना होगा कि वह उस जानकारी को जो उसके पद की अवधि में प्राप्त होगी, सर्वाजनिक नहीं करेगा।

निर्वाचन विनियम

62. दुग्ध समिति की प्रबन्ध समिति तथा उसके सभापति, उपसभापति व प्रतिनिधि का निर्वाचन उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा।

विविध

63. कोई भी नोटिस जो सदस्य को भेजा जाय तभी प्रभावी माना जायेगा जब वह सदस्य के पंजीकृत पते पर भेजा जाये।

64. प्रत्येक सदस्य को समिति एक पासबुक देगी जिसमें प्रतिदिन उसका लेन–देन का हिसाब रखा जायेगा। यह सदस्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन पासबुक को पूर्ण करा ले।

65. प्रबन्ध समिति द्वारा यह अधिकार दिया जा सकता है कि सभापति या एक से अधिक प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा सचिव दोनों मिलकर दस्तावेजों को निष्पादित करेगें, रसीदें देंगे, अंश प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, बैंक से लेन–देन करेंगे तथा समिति की ओर से रोकड बही पर हस्ताक्षर करेंगे जबकि समिति द्वारा पारित समस्त रसीदों पर वह व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, जिसको इस हेतु प्रबन्ध समिति ने अधिकृत किया हो।

66. किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा, यदि उसने समिति को पूर्ववर्ती सहकारी वर्ष में 180 दिन तथा 300 लीटर दूध न दिया हो।

व्याख्या

67. उपविधियों के प्राविधानों की व्याख्या में यदि कोई विवाद उठता है तो निबंधक का निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

,,,,,

ह0–/
निदेशक, डेरी विकास/
निबन्धक दुग्ध सहकारी समितियां
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

कार्यालय निदेशक, डेरी विकास/निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
पत्रांक 576/विधि/उपविधि/संशो0/समिति/2007–08 दिनांक 30 जून,2007
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त सचिव/सभापति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0, ...जनपद ..... को उनके जनपदीय प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के माध्यम से।
2. समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 उत्तराखण्ड ..... को इस आशय से कि वे सभी दुग्ध सहकारी समितियों को उक्त नोटिस की प्राप्ति कराना सुनश्चित करें तथा प्राप्त आपत्तियों को संकलित करते हुए ससमय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये। यह भी अपेक्षा है कि नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस प्रारूप को चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. समस्त अध्यक्ष, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 उत्तराखण्ड .....
4. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड .....
5. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल,/कैम्प कार्यालय देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 लि0, हल्द्वानी, नैनीताल।
7. अध्यक्ष, यू0सी0डी0एफ0 लि0, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

ह0–/
(पी0एस0 कुटियाल)
निदेशक

आदेश

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या–सी–2179/विधि/उप0संशो0/ समिति/ 2003–04 दिनांक 29 जनवरी, 2004 द्वारा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियां स्थापित/प्रभावी की गई थी।

उपरोक्त उपविधियां स्थापित होने के पश्चात् उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 प्रभावी होने व प्रदेश का नाम बदलकर उत्तराखण्ड किए जाने तथा उपविधियों में कतिपय विसंगतियां हो जाने के फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश सं0–सी–1241/विधि/उपविधि/संशोधन/संघ/2007–08 दिनांक 18 सितम्बर, 2007 द्वारा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की उपविधियों में अपेक्षित संशोध का नोटिस प्रारूप संलग्न करते हुए सभी संबंधितों को इस आशय से भेजा गया ि कवे इस संबंध में भली–भांति विचार कर लें और यदि किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो वे 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से उपलब्ध करायें। परन्तु, उक्त पर कोई आपत्ति/सुझाव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्घ सहकारी समितियों की उपविधियां अन्तिम रूप से जारी करने की शक्ति निबंधक, दुग्ध सहकारी समिति, उत्तराखण्ड में निहित है।

अतः उक्त पर कोई आपत्तियों प्राप्त न होने के कारण मैं, पी0एस0 कुटियाल, निदेशक/निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम–2003 की धारा 14(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की उपविधियां प्रभावी/स्थापित करता हूँ।

आदर्श उपविधियां
(अगस्त, 2007 तक संशोधित)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
(निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 की
आदर्श उपविधियां
(अगस्त, 2007 तक संशोधित)

नाम और पता

1– इस समिति का नाम ..... दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, ...होगा। इसका रजिस्टर्ड पता तथा कार्यालय .. .. डाकखाना ..... तहसील ..... जिला ..... में स्थित होगा। संघ के मुख्यालय के पते में कोई परिवर्तन संघ की उपविधियों में संशोधन किये बिना नहीं किया जा सकता। पते में परिवर्तन होने की दशा में इसकी जानकारी निबन्धक को 30 दिनों के अन्दर देना अनिवार्य होगा।

परिभाषाएं

2– उपविधियों में जब तक कोई बात, विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो।

2(क)–"अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–05, 2003) से है।

(ख)–"नियम" – का तात्पर्य अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है।

(ग) "निबन्धक" का तात्पर्य निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां, (निदेशक, डेरी विकास) उत्तराखण्ड अथवा डेयरी विकास विभाग के वे राजपत्रित अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निबन्धक के पूर्ण अथवा कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, से है।

(घ)– "दुग्ध संघ" का तात्पर्य उस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति से है, जिसके साधारण सदस्य के रूप में दुग्ध सहकारी समिति हों।

(ङ)– "सम्बद्ध समिति" का तात्पर्य उस दुग्ध समिति से है जो उपविधि 5(1) के अनुसार संघ की साधारण सदस्य हो और वह निबन्धक द्वारा अनुमोदित उपविधियों के अनुसार पंजीकृत हो।

(च)– "डीलर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि दुग्ध संघ से माल खरीदने का व्यापार करता हो या दुग्ध संघ को दुग्ध पदार्थ अथवा अन्य सामग्री आपूर्ति करता हो।

(छ)– "पण्य पदार्थ" का तात्पर्य दूध, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, कच्चे या परिष्कृत कृषि उत्पाद, डेरी तथा खाद्य सम्बन्धी पैकिंग किये गये सामान से है।

(ज)– "अध्यक्ष" का तात्पर्य दुग्ध संघ के सभापति से है जो कि अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत चयनित/निर्वाचित हो, तथा दुग्ध संघ की प्रगति एवं विकास के लिए उत्तरदायी हो और प्रबन्ध समिति द्वारा लिए गये नीति–विषयक निर्णयों का परिपालन दुग्ध संघ के प्रबन्धक /प्रधान प्रबन्धक के माध्यम से सुनिश्चित करायें।

(झ)– "प्रबन्धक" का तात्पर्य दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक से है।

(ञ)– "उपविधि" का तात्पर्य दुग्ध संघ की तत्समय प्रचलित निबंधित उपविधि से है।

(ट)– "फेडरेशन" का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) से है।

(ठ) "वर्ष" का तात्पर्य सहकारी वर्ष से है जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा परन्तु निर्वाचित सदस्यों/पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष के कार्यकाल की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 12 माह होगा।

(ड) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य दुग्ध संघ की प्रबन्ध समिति से है जिसका संगठन/ गठन उपविधियों के अनुसार किया गया हो और अधिनियम की धारा–29 के अधीन दुग्ध संघ के कार्यो के प्रति उत्तरदायी हो।

(ढ) "अन्य पिछड़े वर्ग" का तात्पर्य; उस नागरिक से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिभाषित किया जाय।

(ण) "निर्बल वर्ग" का तात्पर्य; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों एवं महिलाओं से है।

(त) इन उपविधियों मे प्रयोग किये गये अपरिभाषित शब्दों का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम तथा नियमावली में परिभाषित शब्दों से होगा।

उद्देश्य

3– दुग्ध संघ का मुख्य उद्देश्य दुग्ध पदार्थो के उत्पादन, प्रक्रिया तथा क्रय–विक्रय को सक्रिय रूप से संगठित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान संबंधी कार्यकलापों को क्रियान्वित करना होगा। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु दुग्ध संघ निम्न व्यवस्था कर सकता है।

(1) सम्बद्ध दुग्ध समितियो के सदस्यों के हित को बिना प्रभाव डाले व्यक्तिगत स्रोतो से पण्य पदार्थो को नियमानुसार क्रय करना, समुच्य करना, विक्रय करना, निर्माण करना तथा वितरण करना।

(2) दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के अतिरिक्त किसी तत्सम्बन्धित पदार्थ के उत्पादन, प्रक्रिया एवं क्रय–विक्रय को हाथ में लेना।

(3) अन्य तरीकों से चल या अचल सम्पत्ति को अपनाना या ग्रहण करना।

(4) पशुआहार, डेरी तथा खाद्य संयंत्र, उपकरण, औंजार तथा खाद्य पैकिंग सम्बन्धी सामग्री को क्रय– विक्रय, निर्माण तथा वितरण करना।

(5) सदस्यों या सम्बद्ध समितियों के माध्यम से चारे के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

(6) पशु चिकित्सा तथा कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी सेवाएं देना तथा पशु औषधियां उपलब्ध कराना एवं पशु बीमा सम्बन्धी कार्यवाही करना।

(7) पशु प्रजनन सम्बन्धी कार्यक्रमों हेतु पशुओं के समूहों का स्वामित्व रखना।

(8) सम्बद्ध दुग्ध समितियों के उपयोग के लिए दुधारू पशु क्रय करना।

(9) पण्य पदार्थो के परिवहन की व्यवस्था करना।

(10) सहकारी दुग्ध समितियो का गठन कराना तथा सम्बद्ध दुग्ध समितियों का अधिकतम विकास करना, सदस्यों को सहकारिता का प्रशिक्षण देना तथा उसके व्यवसायिक रीतियों में उपयोग के प्रति शिक्षित करना।

(11) अन्य दुग्ध योजनाओं को प्राविधिक, वित्तीय, प्रशासनिक तथा आवश्यक सहायता देना।

(12) बचत सम्बन्धी योजना को गठित तथा प्रोत्साहित करना।

(13) सम्बद्ध दुग्ध समितियों के सामान्य हित सम्बन्धी समस्त मामलों का निस्तारण करना तथा उनके हितों की रक्षा करना।

(14) सहकारी प्रचार करना। एजेण्ट के रूप में बीमा, जिसमें सामान्य बीमा भी सम्मिलित है, को हाथ में लेना।

(15) दुग्ध संघ की चल एवं अचल सम्पत्ति का बीमा कराने की व्यवस्था करना।

(16) दुग्ध संघ तथा सम्बद्ध दुग्ध समितियों एवं उनके सदस्यों हेतु साधारण अथवा अन्य बीमा कराना और आवश्यकता हो तो एजेन्सी लेना।

(17) दुग्ध संघ तथा दुग्ध समितियों के कर्मचारियों तथा सदस्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(18) इसके अतिरिक्त निम्न कार्यो को क्रियान्वित करना जिनसे उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति होती हो।

(क) दुग्ध संघ से सम्बद्ध प्रारम्भिक दुग्ध समितियों के गठन एवं उनके कार्यकलापों में समन्वय हेतु उनको राय देना, मार्ग–दर्शन करना, सहायता करना।

(ख) सम्बद्ध दुग्ध समितियों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना।

(ग) एक स्वतंत्र शोध एवं विकास संस्थान स्थापित करना, उसकी निधियों में योगदान देना तथा उसके लिए दुग्ध संघ के सदस्यों से धनराशि एकत्रित करना।

(घ) कर्मचारियों के हित के लिए ट्रस्ट तथा निधियों का सृजन करना तथा उसमें सहायता देना। दुग्ध संघ के कर्मचारियों द्वारा दिये गये योगदान के लिए दुग्ध संघ को निबन्धक की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त नियम किसी अन्य प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत न आते हो।

4– दुग्ध संघ का कार्य क्षेत्र .....जनपद की राजस्व सीमा तक सीमित होगा।

सदस्यता

5–(1) "क" श्रेणी के सदस्य, जिन्हें साधारण सदस्य समझा जायेगा, ऐसी दुग्ध समितियां होंगी जो कि दुग्ध संघ को क्रमिक रूप से दूध देती हों तथा निबन्धित हों, एवं दुग्ध संघ से सम्बद्ध हों।

(2) "ख" श्रेणी की सदस्यता, जिन्हें नाम मात्र सदस्य समझा जायेगा, हर उस डीलर के लिए खुली होगी, जिसका चरित्र अच्छा व मस्तिष्क स्वस्थ हो, और जिसकी अवस्था 18 वर्ष से अधिक हो तथा दुग्ध संघ से व्यापारिक अथवा व्यवसायिक सम्बन्ध रखना चाहता हों। "ख" श्रेणी के सदस्यों को दुग्ध संघ के हिस्से क्रय करने, वोट देने या किसी पद हेतु निर्वाचन के लिए पात्र होने का अधिकार न होगा तथा वह दुग्ध संघ के लाभ में लाभांश पाने का अधिकारी न होगा। "ख" श्रेणी के सदस्य को जो दुग्ध संघ से व्यावसायिक सम्बन्ध रखते हैं, अधिनियम व नियमों के अधीन अनुबन्ध करना होगा। विवाद की स्थिति होने की दशा में उसका निपटारा अधिनियम में दिए गए उपबन्धों के अधीन ही होगा।

6–(क) प्रारम्भिक सदस्य– वह सदस्य होगें जो दुग्ध संघ के निबन्धन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद जो समिति सदस्य बनना चाहे, उसके हिस्से खरीदना चाहें, उन्हें दुग्ध संघ के निर्धारित आवेदन पत्र पर दुग्ध संघ के प्रबन्धक को प्रार्थना–पत्र देना होगा। ऐसे प्रार्थना–पत्र की स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार दुग्ध संघ की प्रबन्ध समिति को होगा, जो आवेदन–पत्र प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम पैंतीस दिन के अन्दर निर्णय लेगी। अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित समिति को अस्वीकृति के सात दिनों के अन्दर देना आवश्यक होगा। अस्वीकृति की दशा में उसके कारण अथवा कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होगा और इसके खिलाफ सम्बन्धित समिति, निबन्धक को अपील भी कर सकती है।

(ख) सदस्यता प्राप्त करने वाली प्रत्येक दुग्ध समिति तथा "ख" श्रेणी के सदस्यों को 25 रूपये प्रवेश शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा जो कभी भी वापस नहीं होगा।

7– दुग्ध संघ की सदस्यता की स्वीकृति किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह दुग्ध संघ की वर्तमान उपविधियों तथा उसकी सदस्यता की अवधि में इन उपविधियों मे विधिवत् किये जाने वाले समस्त संशोधनों तथा परिवर्तनों से बाध्य रहेगा। ऐसा घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होगा। दुग्ध संघ के निबन्धन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्यों को भी ऐसे घोषणा पत्र पर दुग्ध संघ के निबन्धन होने के एक माह के अन्दर हस्ताक्षर करने होगें। ऐसा न करने पर, ऐसे सदस्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम व नियमावली के अधीन सदस्यता से निकाल दिये जाने के भागी होगें।

8– किसी भी सदस्य को तब तक सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होगे, जब तक कि उसने उपविधियों के अनुसार घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये हो, प्रवेश शुल्क यदि देय हो, न जमा कर दिया हो और अपने द्वारा खरीदे हुए हिस्से अथवा हिस्सों की धनराशि जो इन उपविधियों के अनुसार निर्धारित है, अदा न कर दी हो।

9–(अ) दुग्ध संघ का "ख" श्रेणी का सदस्य भर्ती की तिथि से एक वर्ष बाद अगर वह दुग्ध संघ का कर्जदार/बकायेदार नही है और न वह किसी का जामिनदार हैं, दो माह का नोटिस देने पर दुग्ध संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। नोटिस की अवधि दुग्ध संघ को नोटिस प्राप्ति की तिथि से प्रारम्भ होगी। इस तरह सदस्यता से अलग होने पर सदस्य, उन दायित्वों से मुक्त नहीं समझा जायेगा जो उस पर अधिनियम व नियम तथा इन उपविधियो के अनुसार प्रभावी होते हों।

(ब) सिवाय ऐसी दशाओं के जो कि अधिनियम अथवा नियमों द्वारा निहित है, कोई सम्बद्ध समिति दुग्ध संघ की सदस्यता से अपने को अलग नहीं कर सकती।

(स) "क" श्रेणी की सदस्यता निम्नाकिंत कारणों से अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार समाप्त कर दी जायेगी।

(1) त्याग–पत्र देने पर।
(2) निकाले जाने पर।
(3) दीवालिया होने पर।
(4) दुग्ध संघ से किये गये किसी अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन न करने पर।
(5) अधिनियम, नियम व इन उपविधियों के अनुसार कोई अन्य अनर्हता हो जाने पर "क" श्रेणी के सदस्यों की सदस्यता अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के अधीन अनर्हताएं अर्जित करने पर निर्धारित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त की जा सकती है।
(6) समापन होने पर।

10–(क) सम्बद्ध दुग्ध समितियो के निम्नांकित दायित्व तथा कर्तव्य होगें–

(1) अपने सदस्यों के पण्य पदार्थ संग्रह करना एवं स्थानीय उपयोग हेतु वांछित मात्रा के अतिरिक्त समस्त संग्रहित पण्य पदार्थ दुग्ध संघ को देना तथा दुग्ध संघ /फेडरेशन द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को देना एवं बेचना।
(2) दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दुग्ध आपूर्ति का समय, उसके परिवहन व अन्य कार्यो की व्यवस्था आदि सम्बन्धी, समस्त निर्देशों का पालन करना।
(3) पण्य पदार्थो को बिना मिलावट संग्रह करना।
(4) दुग्ध संघ द्वारा मांगी गयी समस्त सूचनाएं देना।

(ख) उपविधि–5(1) में वर्णित दुग्ध समितियां, दुग्ध संघ की सदस्यता से अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान के अनुसार (प्रबन्ध समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से) निम्नलिखित परिस्थितियों में अलग की जा सकती है, यदि –

(1) वह दुग्ध संघ की एक साल से अधिक समय से लगातार बकायेदार हों।
(2) वह दुग्ध संघ को धोखा देती हो।
(3) वह कोई ऐसे कार्य करती है जो कि दुग्ध संघ के उद्देश्यों, ख्याति अथवा हित के विपरीत हो।
(4) वह अपने दूध का व्यवसाय दुग्ध संघ के माध्यम से न करती हो।
(5) यदि वे बिना दुग्ध संघ की आज्ञा एवं निबन्धक की पूर्व अनुमति के अन्यत्र दूध विक्रय करें।
(6) वह बार–बार उपरोक्त 10(क) में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का उल्लघंन करती हो।

(ग) दुग्ध संघ से निकाले हुए सदस्य समितियों पर अगर दुग्ध संघ का ऋण अथवा कोई अन्य रूपया बकाया हो तो दुग्ध संघ बकाया धनराशि एक मुश्त वसूल कर सकता है। निकाले जाने की स्थिति में सदस्य समिति के सभी हिस्से जब्त किये जा सकते हैं।

11– दुग्ध संघ से निकाला हुआ सदस्य पुनः सदस्य नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि निकालने की तिथि से दो वर्ष व्यतीत न हो गये हों। फिर से सदस्य बनने के तीन वर्ष के भीतर वह प्रबन्ध समिति का सदस्य होने अथवा अन्य पद ग्रहण करने के लिए अर्ह नहीं होगा।

12–(1) कोई भी "क" श्रेणी का सदस्य अपने हिस्से की पूंजी को किसी अन्य "क" श्रेणी के सदस्य को प्रबन्ध समिति की अनुमति से हस्तान्तरित कर सकता हैं।

(2) कोई भी हस्तान्तरण पूरा नहीं समझा जायेगा, जब तक कि हस्तान्तरी का नाम पूंजी रजिस्टर में अंकित न हो जाये और उसने हिस्सा हस्तान्तरण शुल्क– 5 रूपया जमा न किया हो।

पूंजी

13– दुग्ध संघ की पूंजी निम्नलिखित में से एक अथवा समस्त साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(क) प्रवेश शुल्क।
(ख) हिस्से की पूंजी।
(ग) ऋण और अमानते।
(घ) सरकारी अनुदान।
(ङ) दान या विकास दान।
(च) विशेष चन्दे।
(छ) अन्य जुर्माने की रकमे जो उपविधियों के अनुसार हों।
(ज) बचत की पूंजी तथा अन्य पूंजी।
(झ) ऋण पत्र (डिवेंचर्स)
(ञ) फेडरेशन, किसी विकास अथवा वित्तीय संस्था आदि से।
(ट) हिस्सा हस्तान्तरण शुल्क।

14– दुग्ध संघ की अधिकृत पूंजी 10 लाख रूपया होगी, जो कि 5 हजार हिस्सों से आयेगी। दुग्ध संघ के प्रत्येक हिस्से का मूल्य 200 रूपया होगा जो उपविधि संख्या–5(1) में वर्णित सदस्यों द्वारा खरीदे जायेगें। हिस्से खरीदते समय खरीदे गये हिस्से का पूरा भुगतान एक साथ करना होगा। अधिनियम तथा नियमों की तत्सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत यह हिस्से हस्तान्तरित या वापिस किये जा सकते है। उपविधि संख्या–5(1) में वर्णित सदस्यों को कम से कम एक हिस्सा खरीदना होगा, परन्तु कोई भी सदस्य कुल हिस्सा पूंजी का 1/10 भाग से अधिक धनराशि के हिस्से नहीं खरीद सकेगा।

15– राज्य सरकार तथा दुग्ध संघ के बीच हुए अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत दुग्ध संघ राज्य सरकार के हिस्से की अदा शुदा कीमत वापस कर सकता है। दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि अनुबन्ध के अधीन रहते हुए राज्य सरकार का अंश–धन किसी भी समय पर वापस कर दें।

16– प्रत्येक साधारण सदस्य को दुग्ध संघ की उपविधि संख्या–14 के अनुसार हिस्से क्रय करने होगें।

17– (क) सदस्य के प्रत्येक हिस्से के लिए अलग–अलग प्रमाण पत्र देना होगा।
(ख) प्रमाण पत्र खो जाने पर प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के उपरान्त प्रत्येक हिस्से पर 5 रूपया शुल्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र के उपरान्त अंश प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी।

उत्तरदायित्व

18– अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों की धनराशि तक सीमित होगा।

19– सम्बद्ध दुग्ध समिति के विघटन हो जाने की दशा में दुग्ध समिति पर वाजिब दुग्ध संघ का ऋण व अन्य देनदारी काटने के बाद उस दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध संघ के हिस्सों में लगाये हुए धन की शेष धनराशि को प्रबन्ध समिति उस समिति के लिक्वीडेटर (समापक) को वापस करेगी।

ऋण

20– प्रबन्ध समिति अमानतों तथा ऋण के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार अपने अधिकृत अधिकतम उत्तरदायित्व के अन्तर्गत निम्न स्रोतो से पूंजी की व्यवस्था करेगी।

(1) सदस्यों से।
(2) सहकारी समितियों से।
(3) राज्य या केन्द्रीय सरकार से।
(4) स्थानीय निकायों से।
(5) भारतीय कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्थाओं से।
(6) निबन्धक महोदय की पूर्व स्वीकृति से अन्य स्रोतो से।

संगठन तथा प्रबन्ध

21– दुग्ध संघ का सामान्य निकाय निम्न व्यक्तियों से बनेगा–

(अ) साधारण सदस्य – दुग्ध समितियों के ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधियों से जो दुग्ध समिति के प्रतिनिधि की अर्हता रखते हों।
(ब) राज्य सरकार– (यदि सदस्य हो) द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति।

22– अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय का अन्तिम प्राधिकार उसकी सामान्य निकाय बैठक में निहित होगा। सामान्य निकाय की बैठकों में प्रबन्ध समिति के नामित सदस्यों को भी विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जायेगा, ताकि उनके अनुभवों का लाभ सामान्य निकाय को सुनिश्चित हो सके।

23–(अ) सामान्य निकाय की बैठक निम्न प्रकार आयोजित की जायेगी–

(1) साधारण बैठक– प्रबन्ध समिति दुग्ध संघ के कार्य सम्पादन के लिए जब आवश्यक हो, सामान्य निकाय की बैठक बुलाई जायेगी, जिसे साधारण सामान्य निकाय की बैठक कहा जायेगा। परन्तु निबन्धन के पश्चात् 90 दिन के अन्दर साधारण सामान्य निकाय की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा, और वह समस्त कार्य सम्पादित किये जायेगें जिनकी साधारण सामान्य निकाय की बैठक हेतु अधिनियम व नियमों में व्यवस्था की गयी हो।
(2) वार्षिक सामान्य बैठक– प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथा– शीघ्र विलम्बतम 31 दिसम्बर तक अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि तक जो निबन्धक द्वारा अनुमन्य की गयी हो, दुग्ध संघ निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपनी वार्षिक सामान्य निकाय बैठक करेगा। अधिनियम की धारा–32(1) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए प्रबन्ध समिति वार्षिक सामान्य निकाय बैठक की तिथि, स्थान तथा समय निश्चित करेगी और बैठक के नोटिस के साथ एजेण्डा भी भेजेगी। वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

(क) पिछली सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये दुग्ध संघ के कार्यकलापो के कार्यक्रम का अनुमोदन।
(ग) उपविधि 33 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन यदि कोई होना हो।
(घ) वर्ष के रोकड़ पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षा पूर्ण हो गयी हो, पर विचार।
(ङ) वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षा पूरी हो गयी हो तो नियत रीति से विचार।
(च) यदि पूर्व वार्षिक अधिवेशन में व उसके गत वर्ष के रोकड़ पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र व लेखा परीक्षा न हो सकने के कारण, पर विचार न हो सका तो उन पर विचार।
(छ) नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए आगामी वर्ष के लिए दुग्ध संघ का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।
(ज) अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अनुसार शुद्ध लाभ का निस्तारण।
(झ) आगामी वर्ष के बजट पर विचार।
(ञ) नई उपविधियों को अपनाना या प्रचलित उपविधियों में संशोधन या निरस्त करना।
(ट) फेडरेशन की उपविधियों में उल्लिखित अथवा निबन्धक द्वारा निर्धारित दुग्ध संघ के कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना।
(ठ) स्वीकृत बजट से अधिक खर्चो पर स्वीकृति प्रदान करना तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष, दुग्ध संघ द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना।
(ड) अधिनियम तथा नियमों में की गयी व्यवस्था के अधीन किसी ऐसे अन्य विषय पर विचार करना जो प्रबन्ध समिति आवश्यक समझे।

(3) असाधारण सामान्य बैठक– प्रबन्ध समिति, निबन्धक, अथवा दुग्ध संघ के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन प्राप्त होने के पश्चात् एक माह के भीतर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबन्ध समिति के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान, तिथि अथवा समय पर जिसका वह निर्देश दें, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को वे सभी अधिकार होंगे, जो कि उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को है, किन्तु इस प्रकार बुलाई गयी बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनका उल्लेख लिखित अधियाचन में किया गया हो।
(ब) सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई की अनुमति से कोई भी सदस्य ऐसे विषय पर प्रस्ताव कर सकता है, जिसका कि उल्लेख बैठक सम्बन्धी नोटिस में न किया गया हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस विषय का सम्बन्ध किसी सदस्य के निकालने व उपविधियों के संशोधन से न हो।

24– अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें–
(1) निबन्धक या उसके किसी अधिकारी के निरीक्षणों पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार विचार करना।
(2) नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सभापति एवं उपसभापति के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करना।
(3) पिछली बैठक की तिथि से दुग्ध संघ की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करना।
(4) दुग्ध संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक विनियम बनाना।
(5) उपविधियों में संशोधन।
(6) उपविधि 23 (अ)(2) के सभी कार्य करना।
(7) नियमों, अधिनियमों तथा इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध समिति के निर्णयों की अपील सुनना।
(8) ऐसे आवश्यक विषय जो प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाये, पर विचार।
(9) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के लिए भत्ता सम्बन्धी नियमों को अधिनियम तथा नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बनाना।

25– अधिनियम व नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सामान्य निकाय की बैठक बुलाने के लिए 10 दिन का नोटिस अनिवार्य होगा। सामान्य निकाय की ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन अथवा समिति का विभाजन या समामेलन का विषय विचारणीय हो, के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा तथा यह नोटिस किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जायेगा।

26– दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक का कर्तव्य होगा कि वह सामान्य निकाय के ऐसे सदस्यों की सूची रखे जिन्हें बैठकों में मतदान का अधिकार हो। यह सूची प्रत्येक बैठक की नोटिस जारी किये जाने के दिन तक पूर्ण कर ली जायेगी। यदि सदस्य इस नोटिस की प्रति प्राप्त करना चाहे तो 5 रूपया शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है। ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो, नोटिस जारी होने के बाद, कोई समिति दुग्ध संघ की सदस्य नहीं बनायी जायेगी।

27–(क) जब तक इसके विपरीत अधिनियम या नियमों में न दिया गया हो सामान्य निकाय अथवा प्रबन्ध समिति की बैठकों की सूचना सदस्यों को डाक प्रमाणार्न्तगत (अन्डर सार्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) नोटिस भेज कर दी जायेगी।
(ख) यदि किसी कारण से किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न हो, तो सामान्य निकाय की बैठक अवैध नहीं होगी।

28– सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की संख्या के 40 प्रतिशत से होगी, किन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी गई हो, तो स्थगित बैठक की गणपूर्ति सामान्य निकाय के कुल सदस्यों की 20 प्रतिशत होगी जो कि मूल गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या की आधी होगी।

29– सभापति, सामान्य निकाय की समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा बैठक का सभापतित्व किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि सामान्य निकाय की जिस बैठक में पदाधिकारियों का निर्वाचन होना हो, ऐसे सभापति अथवा उपसभापति द्वारा यदि वह किसी पद का प्रत्याशी हो, उस दशा में उनके द्वारा सभापतित्व नहीं किया जायेगा, जिसमें उनका व्यक्तिगत हित हो।

30– सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत (वोट) होगा। अनुपस्थित सदस्यों के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को वोट देने का अधिकार न होगा।

31–(क) सिवाए ऐसे विषयों जिसके लिए अधिनियम तथा नियमों में विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था की गई हो, सभी विषय सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेगें। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर होने की दशा में बैठक के अध्यक्ष को द्वितीय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह विषय पदाधिकारियों के चुनाव का है, तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत नहीं देगा, अपितु निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा।

(ख) सभी बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्तियां इस प्रयोजन हेतु रखी गई पुस्तिका में अभिलिखित की जायेगी और कार्यवृत्तियों पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तथा दुग्ध संघ के प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें।

32– सामान्य निकाय व प्रबन्ध समिति आदि की बैठके दुग्ध संघ मुख्यालय पर हुआ करेगी।

प्रबन्ध समिति का गठन

33–(1) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्ध संघ की प्रबन्ध समिति में 15 से अधिक सदस्य न होगें, जिसमें उपसभापति व सभापति भी सम्मिलित हैं। प्रबन्ध समिति निम्नलिखित सदस्यों से बनेगी–

(क)	सामान्य निकाय द्वारा चुने गए सदस्य	–	9
(ख)	निदेशक, डेरी विकास द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति –		1
(ग)	प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा मनोनीत व्यक्ति	–	1
(घ)	राज्य सरकार के प्रतिनिधि	–	2
(ङ)	वित्तीय संस्था जिससे ऋण लिया गया हो/एन0डी0डी0बी0 का प्रतिनिधि	–	1
(च)	दुग्ध संघ का प्रबन्धक, पदेन सदस्य/सचिव	–	1

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नामांकन वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, डेरी विकास विभाग के अधिकारियों, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ केन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों, राजकीय दुग्ध उद्योग के विशेषज्ञों या सम्बद्ध अर्ह प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों से किये जायेगें।

(2) उपरोक्त खण्ड(1) के अन्तर्गत यदि राज्य सरकार नाम निर्देशन नहीं करती है तो रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधि 5(1) के साधारण सदस्यों से की जायेगी।

34– (क) प्रबन्ध समिति के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा। तथा सभापति अथवा उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ख) प्रबन्ध समिति के नाम–निर्दिष्ट सदस्य, नाम–निर्देशन करने वाले अधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेंगे।

35– यदि समिति के किसी चुने हुए सदस्य का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाय या उतनी संख्या में व्यक्त्यिों का निर्वाचन न हो सके, जितने के लिए स्थान आरक्षित है, तो वहां प्रबन्ध समिति के शेष सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के उसी वर्ग के सदस्यों में से जो प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए पात्र हो, शेष अवधि के लिए आमेलन द्वारा भरा जायेगा।

प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हतायें

36– कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध समिति का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा यदि–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(ख) वह दिवालिया घोषित हो।

(ग) वह विकृत चित, बहरा, गूंगा या अन्धा हो अथवा कोढ़ से पीड़ित हो।

(घ) उसे निबन्धक की राय में नैतिक अधमता, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हों, जिसके विरूद्ध अपील रद्द न की गयी हो।

(ङ) यदि वह अपनी दुग्ध समिति का विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधि न हो।

(च) गत सहकारी वर्ष की 31 अक्टूबर को दुग्ध समितियों का सदस्य न रहा हो।

(छ) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध समिति का सदस्य रहा हो, जो वाद में निबन्धक द्वारा धारा–72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट पूर्वक कराया गया है और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो।

(ज) उनके तथा दुग्ध संघ के बीच में हुए किसी ठेके या दुग्ध संघ के चल या अचल सम्पत्ति के क्रय में यदि उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ है।

(झ) यदि वह अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उसी किस्म का व्यवसाय कर रहा है जो दुग्ध संघ कर रहा है या ऐसे कार्यकलापों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ रखता है और यदि वह कोई स्वार्थ बाद में प्राप्त करे, वह प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में बने रहने का पात्र नहीं रहेगा।

नोट– समिति को दूध देना उसी प्रकार के व्यवसाय में नहीं आता है क्योंकि समिति को दिया हुआ दूध केवल दुग्ध संघ को दिया जायेगा।

(ञ) वह अधिनियम व नियम या इन उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(ट) वह अधिनियम या नियमों अथवा इन उपविधियों के प्रतिकूल दुग्ध संघ के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें।

(ठ) वह संघ अथवा उससे सम्बद्ध किसी समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पद स्वीकार करें या धारण करता हो।

(ड) वह दुग्ध संघ के सामान्य निकाय का सदस्य न हो, किन्तु यह अनर्हता किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य पर लागू न होगी।

(ढ़) वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, किन्तु यह अनर्हता नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(ण) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्ध दिनांक से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।

(त) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा–91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(थ) वह दुग्ध संघ का लगातार बकायेदार हो।

(द) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा तथा निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या आशुचिता करने के लिए पद्च्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो।

(ध) गत् वित्तीय वर्ष में उस समिति ने, जिसका वह प्रतिनिधि है, न्यूनतम 270 दिन तथा न्यूनतम 5000 लीटर दूध दुग्ध संघ को न दिया हो।

(न) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत अथवा अन्य किसी स्थानीय निकाय, संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो जाय।

(प) गत लेखा परीक्षा में **"घ श्रेणी"** प्राप्त किया हो।

37– प्रबन्ध समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी। आवश्यकतानुसार अन्य बैठकें भी बुलायी जा सकती है, जिसके लिए प्रत्येक सदस्य को 7 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में 3 दिन की सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है।

38– प्रबन्ध समिति की किसी बैठक में कोई कार्य करने के लिए 8 सदस्यों का कोरम होगा। सभापति की अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व उपसभापति द्वारा किया जायेगा। कोरम पूर्ण न होने के कारण स्थगित की हुई बैठक का कोरम चार का होगा।

39–(1) सिवाय ऐसे विषयों के लिए जिनके अधिनियम, नियमों अथवा उपविधियों में किसी विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था की गई हो प्रबन्ध समिति की बैठक के सामने आये हुए विचारणीय सभी प्रश्नों को बहुमत से तय किया जायेगा। यदि मत बराबर हो तो बैठक के सभापति को दूसरा अथवा निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा। प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य समिति की बैठक में उस समय उपस्थित नही रहेगा, जबकि ऐसे विषय पर विचार हो रहा हो, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखता हो।

(2) प्रबन्ध समिति में किसी स्थान के रिक्त रहने व होने या इनके किसी सदस्य से कोई दोष होने पर भी प्रबन्ध समिति के कार्य केवल इसी कारण अवैध न ठहरायें जायेंगे।

(3) प्रबन्ध समिति की बैठक प्रबन्धक /प्रधान प्रबन्धक द्वारा निम्न दशा में भी बुलाई जायेगी–

(क) सभापति की आज्ञानुसार।

(ख) प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों के लिखित आवेदन पर।

(ग) निबन्धक अथवा उनके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी के निर्देश पर।

(घ) किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए दुग्ध संघ के सामान्य निकाय के पचास सदस्यों या 1/3 सदस्यों के जो भी कम हो, की मांग पर।

प्रबन्धक कमेटी के अधिकार और कर्तव्य

40– दुग्ध संघ के समस्त नीति विषयक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार संघ की प्रबन्ध समिति को होगा। प्रबन्ध समिति को समस्त ऐसे अधिकार प्राप्त होगें और अपने दायित्व के अनुपालन में अनुबन्धित करने तथा तत्सम्बन्धित व्यवस्था करने सम्बन्धी समस्त अधिकार प्राप्त होगे, जो कि या तो दुग्ध संघ के उद्देश्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित हो अथवा दुग्ध संघ के हित में लिये गये हो। प्रबन्ध समिति ऐसा करने में अधिनियम, नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर पारित आदेशों एवं दुग्ध संघ की उपविधियों में की गयी व्यवस्था के अनुरूप निम्न कार्य सुनिश्चित करेंगी–

(1) प्रबन्धक की सिफारिश पर सदस्यों की भर्ती तथा हिस्सा सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करना।

(2) फेडरेशन का सदस्य होने के नाते, फेडरेशन के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह सुनिश्चित करना।

(3) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन किसी योग्य व्यक्ति को प्रबन्धक के पद पर निबन्धक या राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों को दृष्टि में रखते हुए दुग्ध संघ में योगदान कराना। प्रबन्धक स्तर से नीचे के कर्मचारियों की नियुक्ति, दण्डित तथा कार्य से विमुक्त करने का अधिकार प्रबन्धक को होगा।

(4) "एक्सपर्ट पैनल" तथा "चयन समिति" की संस्तुतियों अथवा इनके द्वारा बनायी गयी नियमावली का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

(5) उपविधि अनुसार सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन करना तथा वार्षिक सामान्य निकाय बैठक के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण, रोकड़ चिट्ठा, लाभ के निस्तारण तथा अन्य ऐसे विवरण जिनकी निबन्धक अपेक्षा करें, का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना तथा निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करना।

(6) दुग्ध संघ की आडिट हुई बैलेन्सशीट तथा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना।

(7) अमानतें तथा अन्य उधार लिये गये धन पर इन उपविधियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दर निश्चित करना तथा अमानतों के प्रति शर्तो का निर्धारण करना।

(8) अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों की व्यवस्थाओं के अनुसार ऋण लेना तथा अन्य रीति से दुग्ध संघ की पूंजी को उस अधिकतम धनराशि तक बढ़ाना जो वार्षिक बैठक में निश्चित हो।

(9) सामान्य निकाय में प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक बजट की संस्तुति करना।

(10) प्रबन्धक द्वारा आय–व्यय के विवरण समय–समय पर तैयार कराना तथा उन पर विचार करना और देखना कि व्यय स्वीकृति बजट के अन्तर्गत है।

(11) आवश्यकतानुसार आधुनिक उपयोगी संयंत्रों से सुसज्जित दुग्धशाला की स्थापना करने की योजना बनवाना और लागू करना।

(12) आवश्यकतानुसार भूमि, चारागाह, निर्मित भवन आदि के क्रय–विक्रय का प्रबन्ध करना तथा निबन्धक द्वारा निर्गत स्थाई आदेशों के अन्तर्गत अनुपयोगी वस्तुओं का निस्तारण कराना।

(13) सयंत्र, इमारती माल व पशुओं का आवश्यकतानुसार बीमा कराने हेतु प्रबन्ध व आदेश करना।

(14) दुग्ध संघ द्वारा फेडरेशन की उपविधियों में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सुनिश्चित कराना।

(15) अधिनियम, नियमों, निबन्धक, फेडरेशन अथवा इन उपविधियों के अधीन दुग्ध संघ को चलाने हेतु कार्य विधि तथा कार्य पद्धति निश्चित करना।

(16) दुग्ध संघ की ओर से दिये जाने वाले ठेकों के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाना।

(17) दुग्ध संघ के आडिट प्रत्यावेदनों तथा निरीक्षण पत्रों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्यवाही करना।

(18) अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए दुग्ध संघ की निधियों के विनियोजन हेतु आवश्यक निर्देश देना।

(19) अपने किन्ही अधिकारों को एक, दो, तीन, चार, सात, नौ, बारह, अठ्ारह के अतिरिक्त प्रबन्धक को पूर्ण या आंशिक रूप से देना।

(20) कोई अन्य कार्य करना जिसके लिए सामान्य निकाय आदेश दे।

(21) किसी सम्बद्ध समिति के सदस्य द्वारा दूध में मिलावट करने पर समिति को उस सदस्य की सदस्यता निरस्त करने के आदेश देना।

(22) दुग्ध संघ का प्रबन्ध करने में प्रबन्ध समिति के सदस्य साधारण व्यवसायी की तरह क्रियात्मक बुद्धि तथा परिश्रम के साथ कार्य करेगे। कोई ऐसा कार्य नही करेगे जो की अधिनियम, नियमों और इन उपविधियों के विरूद्ध हो।

प्रबन्ध समिति उक्त अधिकारों एवं कर्तव्यो के अनुपालन में कोई सह समिति की नियुक्ति नही करेगी एवं प्रबन्ध समिति की बैठक में ही सम्बन्धित निर्णय लिये जायेगे।

41–(1) एक्सपर्ट पैनल :– दुग्ध संघ के गैर प्रबन्धकीय पदों के सृजन तथा नियुक्तियों आदि कार्यो हेतु एक्सर्पट पैनल का गठन।

क) निदेशक डेरी विकास	– सभापति
उप निदेशक डेयरी विकास	– सदस्य
जनपदीय सहायक निदेश, डेरी विकास	– सदस्य
सम्बन्धित जिले के प्रबन्धक	– सदस्य / सचिव

ख) एक्सपर्ट पैनल के कार्य – दुग्ध संघ की सेवा नियमावली बनाना, स्टाफिंग पैर्टन स्वीकृत करना तथा स्टाफिंग पैर्टन में उल्लेखित पदनामों के सापेक्ष शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वेतनमान, पदोन्नति नियम तथा अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी नियम तैयार कर अपनी संस्तुति प्रेषित करना।

(2) गैर प्रबन्धकीय पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा–

क) दुग्ध संघों में तृतीय क्षेणी के समस्त पदों के लिये चयन समिति–

1. निदेशक डेरी विकास	– सभापति
2. उपनिदेशक, डेरी विकास	– सदस्य
3. जनपदीय सहायक निदेशक डेरी विकास	– सदस्य
4. सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रबन्धक	– सदस्य / सचिव

ख) दुग्ध संघ के चर्तुथ श्रेणी कर्मचारियों हेतु चयन समितिः–

1. उपनिदेशक डेरी विकास	– सभापति
2. जनपदीय सहायक निदेशक	– सदस्य
3. सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रबन्धक	– सदस्य/सचिव

42– सभापति प्रबन्ध समिति की समस्त बैठको का (सिवाय नियम अथवा इन उपविधियों में की गई अन्यथा व्यवस्था के) सभापतित्व करेगा। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा प्रबन्ध समिति की बैठकों का सभापतित्व किया जायेगा, परन्तु ऐसी प्रबन्ध समिति की बैठके जिनमें सभापति एवं उपसभापति के विरूद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, का सभापतित्व ऐसे सदस्यों में से किया जायेगा जो इस प्रयोजन हेतु चयन किया जाए।

प्रबन्धक

43– (क) अधिनियम की धारा–31(1) एव धारा–122(क) के अधीन अध्यक्ष, केन्द्रीयत सेवा संवर्ग अथवा निदेशक, डेरी विकास द्वारा दुग्ध संघ हेतु प्रबन्धक की नियुक्ति की जायेगी तथा उसकी परिलब्धियॉ एवं सेवा की अन्य शर्ते उक्त धारा के और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होगीं।

(ख) दुग्ध संघ की प्रबन्ध समिति, प्रबन्धक की सहायता के लिये यदि आवश्यक हो, अधिनियम तथा नियमों में दी गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती हैं और उसे या उन्हें प्रबन्धक के ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य सौंप सकती है, जो वह उचित समझे।

(ग) प्रबन्धक, दुग्ध संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो कि प्रबन्ध समिति के नियन्त्रण में रहते हुए निम्न अधिकारों तथा प्रबन्ध समिति द्वारा समय–समय पर प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करेगा।:–

(1) दुग्ध संघ के कार्य की देखभाल करना और प्रशासन के लिये पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना।
(2) दुग्ध संघ के समस्त कर्मचारियों को कार्य सौंपना तथा उन पर नियन्त्रण रखना व उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना।
(3) सम्बद्ध समितियों तथा अन्य स्रोतो से दूध एवं दुग्ध पदार्थों के संग्रह की व्यवस्था करना ।
(4) प्रबन्ध समिति की अनुमति से दूध एवं दुग्ध पदार्थों की क्रय–विक्रय दर निश्चित करना तथा आकस्मिक स्थिति में निश्चित की हुई दर को स्वयं अस्थाई रूप से बदलना और उसकी सूचना प्रबन्ध समिति को देना।
(5) दुग्ध संघ की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना। प्रबन्ध समिति के आदेशों तथा उनके द्वारा नियुक्त समिति के निर्णयानुसार दुग्ध संघ की उपविधियों के आधार पर नियत पद्धति के अनुसार उन पत्रों पर विचार करना और उनका निर्देशन करना।
(6) दुग्ध संघ की ओर से समस्त दस्तावेजों एवं मुख्य अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा इन अभिलेखों एवं बहुमूल्य दस्तावेजों व सीक्योरिटीज की अभिरक्षा की व्यवस्था करना।
(7) दुग्ध संघ की ओर से वाद प्रस्तुत करना तथा वादी बनाना।
(8) आकस्मिक परिस्थितियों में ऐसे मदों पर जिनकी स्वीकृति बजट में अथवा प्रबन्ध समिति द्वारा न दी गई हो, पर एक समय में एक मद अन्तर्गत अधिकतम 10,000 रू0 फुटकर खर्च के लिये तथा 50,000 रू0 स्टाक खरीद के लिये व्यय करना तथा उसकी पुष्टि वाद में प्रबन्ध समिति से कराना।
(9) प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, तिमाही नक्शा, रिपोर्ट तथा पूजीं व जिम्मेदारी का नक्शा तैयार करना व दुग्ध उत्पादन व बिक्री का विवरण तैयार करना, तिमाही अनुमानित दूध के उत्पादन का ब्यौरा तैयार करना। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे नक्शे व तालिकाऍ प्रस्तुत करना जिन्हे निबन्धक, फेडरेशन अथवा प्रबन्ध समिति समय–समय पर मागें, या निर्धारित करे।
(10) दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थो की शुद्धता की जॉच करने की व्यवस्था करना।
(11) कार्यालय के कार्य की व्यवस्था करना। धन की सुरक्षा की व्यवस्था करना, धन के दुरूपयोग के मामले में वांछित कार्यवाही करना, दुग्ध संघ के स्वामित्व की साज–सज्जा आदि की अभिरक्षा करना अथवा कराने की व्यवस्था करना तथा तत्सम्बन्धत दुरूपयोग के मामलों की प्रबन्ध समिति को सामयिक सूचना देना।
(12) सम्बद्ध समिति, दुग्ध अवशीतन केन्द्र, दुग्ध वितरण केन्द व दुग्धशाला, कार्यालय आदि के कार्य की देखरेख करना।
(13) दूध तथा दुग्ध पदार्थो का भुगतान नियत दरों के अनुसार करना।
(14) साधारणतया समिति की वर्तमान व्यवस्था एवं सूचना तथा प्रबन्ध समिति द्वारा सौपें गए अन्य कार्यो को करना ।
(15) सभी साधारण बैंठकों, प्रबन्ध समिति की बैठक अथवा उपविधियों के अनुसार निर्धारित बैठकों का आयोजन कराना। समस्त बैठकों हेतु सूचना देना, कार्यक्रम भेजना, सम्मिलित होना तथा उनकी कार्यवाही लिखना अथवा लिखवाना।
(16) दुग्ध संघ के धन को प्रबन्ध समिति द्वारा अधिकृत बैंक में जमा करना व निकालने का प्रबन्ध करना।
(17) कोषाध्यक्ष के कार्य पर निगरानी करने की व्यवस्था करना ।
(18) दुग्ध संघ के लेखा हिसाब को निबन्धक अथवा फेडरेशन द्वारा निर्धारित मानकों पर तैयार कर उक्त को ससमय प्रेषित कराना ।
(19) प्रत्येक 3 माह में ट्रेडिग स्टॉक एवं स्टोर्स की जांच एवं सत्यापन करना।
(20) यह सुनिश्चित करना कि सम्प्रेषित प्रत्यावेदन बिना किसी विलम्ब के प्रबन्ध समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हो जाय तथा परिशोधन हेतु अग्रिम कार्यवाही करना तथा परिशोधन प्रत्यावेदन को सम्प्रेक्षकों के समक्ष समय से प्रस्तुत करना।
(21) फेडरेशन की उपविधियों में उल्लिखित अथवा निबन्धक द्वारा निर्धारित दुग्ध संघ के कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करना।
(22) अन्य कार्य जो अधिनियम, नियम व उपविधियों में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रबन्धक द्वारा किये जाने हों, को करना।

44– कोषाध्यक्ष को ऐसी जमानत देनी होगी जो अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति निश्चित करें।

व्यवसाय

45– (क) यदि यह अपेक्षा की जाये कि सदस्य समितियां, दुग्ध संघ को एक निश्चित मात्रा में दूध की आपूर्ति करें, तो वह इस हेतु अनुबन्ध करेंगे। दुग्ध संघ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्ध समितियां अनुबन्ध की शर्तो का अनुपालन करते रहे। सम्बद्ध समिति द्वारा अनुबन्धित मात्रा की पूर्ति जानबूझ कर न करने पर दुग्ध संघ को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित सदस्य समिति को करनी होगी।

(ख) दुग्ध संघ को अधिकार होगा कि वह उस सम्बद्ध समिति को, जिसने मिलावटी पण्य वस्तुएं दी हों या दुग्ध संघ से किये गये अनुबन्ध की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, सदस्यता से निकाल दें।

लेखा पुस्तकें तथा रजिस्ट्रर

46– (क) कार्यवाही पुस्तिका– सभी साधारण बैठकों, प्रबन्ध समिति तथा समितियों की अन्य बैठकों की कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा कार्यवाही पुस्तिका मे लिखी अथवा लिखवायी जायेगी। यह पुस्तिका प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगी। कार्यवाही पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर बैठक के सभापति तथा प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। यदि बैठक के सभापति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये अथवा सदस्य स्वयं चाहें तो सभी उपस्थिति सदस्य कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

(ख) दुग्ध संघ द्वारा अधिनियम व नियमों में उल्लेखित प्राविधानानुसार तथा निबन्धक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर रखे जायेंगें।

लाभ वितरण

47– (क) दुग्ध संघ अपने वर्ष के शुद्ध लाभ में से–

(1) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संगठित करेगी, जो रक्षित निधि कहलायेगी।

(2) सहकारी शिक्षा निधि हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर 7,000 रू0 प्रतिवर्ष की दर से अंशदान करेगी। यह ऐसी सहकारी समितियों पर भी लागू होगा, जिनमें वर्ष में हानि उपगत हो।

(3) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से अधिक न हो, एक निधि में संगठित की जायेगी जिसे इक्विटी रिडम्शन फण्ड कहा जायेगा और ऐसा फण्ड उसी सहकारी समिति में संगठित किया जायेगा, जिसमें सरकार की अंशपूंजी लगी हो। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा फण्ड राज्य सरकार की अंशपूंजी की राशि से अधिक नहीं होगा।

(ख) उपरोक्त निधियों में संक्रमित अथवा जमा करने के उपरान्त जो धन शेष बचे उसका वितरण निम्नवत् होगा–

(1) सदस्यों को उनकी प्रदत्त अंशपूंजी पर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान।

(2) सदस्यों को व्यापार की जो उन्होंने दुग्ध संघ के साथ किया हो, राशि मात्रा पर वितरण योग्य लाभ के 75 प्रतिशत से अनधिक बोनस का भुगतान।

(3) शोध एवं विकास निधि में 1 प्रतिशत अधिकतम मु0 5000 रूपये का अंशदान किया जायेगा।

(4) चेरीटेबुल एनडाउनेन्ट ऐक्ट 1890 की धारा–2 (क) में यथा परिभाषित चेरीटेबुल (परपज) की पूर्ति के प्रयोजन के हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि का दान।

(5) शेष धनराशि को आगामी वर्ष के लाभ में ले जाना।

उपरोक्त लाभ वितरण में परिवर्तन करने के लिये निबन्धक की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

(ग) लाभांश घोषित होने के दिनांक से 6 माह के अन्दर कोई सदस्य अपना हिस्सा स्वयं न लेता हो तो उसको मनीआर्डर द्वारा भेजा जा सकता हैं, जिसका खर्च सदस्य स्वयं वहन करेगा या उस सदस्य के खाते में जमा किया जा सकता है।

48– उपविधि संख्या–14 के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त समस्त प्रवेश शुल्क, विशेष प्रयोजन हेतु दिये गये दान के अतिरिक्त दान तथा जब्त किये गये अंशों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि तथा वह जुर्माने जो कर्मचारियों से प्रस्तावित किये जुर्माने से अतिरिक्त होगी, को रक्षित निधि में रखा जायेगा।

49–(क) दुग्ध संघ के समापन की दशा में, संघ की रक्षित निधि और अन्य निधियों का प्रयोग, नियमों में दी गई व्यवस्थानुसार सर्वप्रथम दुग्ध संघ के दायित्वों का अवमोचन करने के लिए तत्पश्चात् दत्त पूंजी का प्रतिदान करने के लिए तथा यदि किसी अवधि के लिए लाभ से लाभांश का भुगतान किया गया हो, तो ऐसी अवधि के लिए 20 प्रतिशत से अनधिक दर पर लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जायेगा।

(ख)– उपविधि संख्या–49 (क) में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाये तो उसका प्रयोग ऐसे दान के प्रयोजनों और राष्ट्रीय रक्षा निधि या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिये किया जायेगा, जिसे प्रबन्ध समिति द्वारा चयनित किया जाय तथा जिसका अनुमोदन निबन्धक द्वारा प्राप्त कर लिया जाय। यदि प्रबन्ध समिति, निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर, किसी ऐसे उद्देश्य को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो, तो निबन्धक, अतिरिक्त निधियों का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा अभिदिष्ट सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान के लिए कर सकता है।

गोपनीयता

50– प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेगा। गोपनीयता की शपथ दुग्ध संघ के कार्यो के लेन–देन व व्यापारिक बातचीत या दुग्ध पदार्थो को बनाने की विधि से संबंधित होगी और इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके वह यह घोषित करेगा कि उस जानकारी को जो उसके पद की अवधि में आयेगी वह दूसरे को नहीं बतायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक या प्रबन्ध समिति की अन्य समिति या कानून के अन्तर्गत अदालत द्वारा पूछे जाने पर ही बतायेंगे तथा इसका उल्लंघन करने पर वह क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।

विवादों का निपटारा

51– वह विवाद जो दुग्ध संघ के कारोबार के सम्बन्ध में पैदा होंगे और जिसके लिए अधिनियम तथा नियमों में विधिक कार्यवाही द्वारा तय होने का प्राविधान है, उक्त अधिनियम तथा नियमों से संबंधित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही द्वारा तय होंगे।

उपविधियों के संशोधन

52– (क) इस प्रयोजन के लिये बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिए निबन्धक, धारा–14 की धारा–(1) के अधीन अपेक्षा करें, वे केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

(ख) सिवाए ऐसी परिस्थितियों के जिनका उल्लेख नियम में किया गया हैं, उपविधियों में संशोधन करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन के नोटिस जिसके साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति होगी, दी जायेगी।

(ग) ऐसी बैठक के लिए सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई गणपूर्ति अपेक्षित होगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक दुग्ध संघ को यह निर्देश दे सकता है कि वह दूसरी बैठक बुला लें, जिसकी अपेक्षित गणपूर्ति कम से कम 1/5 कर दी जायेगी। जिसकी लिखित सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित प्रतिमान (माडल) उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा–14 की उपधारा(1) के अधीन यह निर्देश दिये जाने पर उसे दुग्ध संघ द्वारा अंगीकार किया जाय, तो अपेक्षित गणपूर्ति की उस दशा में जब बैठक 1/5 तक कम की गयी हो गणपूर्ति के अभाव में न हो, तो 1/7 तक कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। इस तथ्य की बैठक 1/7 तक कम की गयी गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्यसूची को नोटिस में उल्लेखित किया जायेगा।

53– ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में इन उपविधियों में कोई प्राविधान नहीं किये गये है, अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अनुसार सामान्य निकाय द्वारा तय किये जायेगें।

अंशदायी भविष्य निधि

54– दुग्ध संघ अपने कर्मचारियों के हित में यदि पूर्णकालिक मौलिक कर्मचारियों की संख्या पांच या इससे अधिक है, अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगा। इस निधि से कर्मचारी तथा दुग्ध संघ द्वारा अंशदान निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियम प्रोविडेन्ट फंड एक्ट के अन्तर्गत लागू हो तो उसके नियमानुसार ही लागू होगा–

(क) भविष्य निधि अंशदान अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार कटौती की जायेगी।

(ख।) दुग्ध संघ का दायित्व इस अधिनियम, नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन होगा ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि का धन दुग्ध संघ के कारोबार में नहीं लगाया जायेगा। इसके विनियोजन पर जो ब्याज मिलेगा वह गत 31 मार्च को कर्मचारी के खाते में जमा धन के अनुपात से अथवा उस रीति से उसके खाते में जोड़ दिया जायेगा, जो निबन्धक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निश्चित करें।

(घ) इस धन का विनियोजन निम्नांकित में किसी एक अथवा अधिक रीति से किया जायेगा।

(1) भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1832 की धारा–20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति (सिक्योरिटीज) में।
(2) निबन्धक द्वारा अनुमोदित बैंक में।
(3) पोस्टल सेविंग खाते मे।
(4) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी किसी बचत योजना में।

(ङ) किसी भी कर्मचारी का निम्नांकित उद्देश्यों के लिए उसके खाते में गत 31 मार्च को जमा निधि के 30 प्रतिशत अथवा 6 माह के वेतन तक जो भी कम हो ऋण के रूप में दिया जा सकता हैं, जो कि 24 मासिक किस्तों मे वसूल किया जायेगा। दुग्ध संघ उस धन पर उससे वह ब्याज लेगा जो प्रबन्ध समिति निश्चित करें। यह ब्याज कर्मचारी की जमा निधि में जोड़ दिया जायेगा। यह ऋण निम्न प्रयोजन हेतु दिया जा सकेगा–

(1) उसके स्वयं पर अवलम्बित परिवार के सदस्यों की बीमारी के उपचार हेतु।
(2) उस पर स्वयं अथवा उस पर अवलम्बित परिवार के सदस्यों के विवाह हेतु।
(3) भवन निर्माण अथवा मरम्मत हेतु।
(4) उसके प्रयोग हेतु अथवा अन्य वाहन खरीदने हेतु।

निर्वाचन विनियम

55– दुग्ध संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 व इसके अधीन बनाई गयी नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत होगा।

विविध

56– सम्बद्ध समिति के उपविधियों में किसी प्राविधान के न होने या उसमें कोई विसंगति या प्रतिकूलता होने पर अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए दुग्ध संघ की उपविधियों के प्राविधान प्रभावी होंगे।

व्याख्या

57– उपविधियों के प्रावधानों की व्याख्या में यदि कोई विवाद उठता हैं तो निबन्धक, का निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

,,,,,

(पी0एस0 कुटियाल)
निदेशक/निबंधक
दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखंड,

कार्यालय निदेशक (डेरी)/निबन्धक,दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
पत्रांक सी–2571/विधि/उपविधि/संशो0/संघ/2007–08 दिनांक 20 फरवरी, 2008
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उत्तराखंड
2. समस्त सभापति, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उत्तराखंड .....
3. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखंड .....
4. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तराखंड, हल्द्वानी, (नैनीताल)/कैम्प कार्या0 देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 लि0, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अध्यक्ष, यू0सी0डी0एफ0 लि., हल्द्वानी, नैनीताल।

(पी0एस0 कुटियाल)
निदेशक/निबंधक
दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखंड,

आदेश

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम–2003 (अधिनियम संख्या–05 वर्ष 2003) की धारा–129 की उपधारा–3 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के एक वर्ष के अन्दर सहकारी समितियों की उपविधियों में आवश्यक संशोधन करने का प्राविधान है। इस प्रसंग में उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की उपधारा 14(1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या सी–2442–45/विधि/उप0संशोधन/ फेडरेशन/2003–04 दिनांक 24 मार्च, 2004 द्वारा शीर्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0) की उपविधियों का नोटिस प्रारूप संलग्न करते हुए सभी सम्बन्धित को इस आशय से भेजा गया था कि वे इस सम्बन्ध में भलीभांति विचार कर लें और यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो एक माह के अन्दर लिखित रूप से अवगत करायें।

शीर्ष दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0) का कार्य सुचारू रूप संचालित किए जाने हेतु उपविधियों को अंतिम रूप से यथाशीघ्र जारी किया जाना आवश्यक हैं। उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों की उपविधियां अंतिम रूप से जारी करने की शक्तियां निबंधक (निदेशक) में निहित हैं। चूंकि उक्त प्रसंग में अब तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है, अतएव, विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा–14(2) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त आर्दश उपविधियां एतद्द्वारा स्थापित/ प्रभावी की जाती है।

उपविधियां

(दिसम्बर 2004 तक संशोधित)

उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लिमिटेड

2004

निदेशक,
(निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां)
डेरी विकास उत्तरांचल,
देहरादून।

उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0
की उपविधियां 2004

नाम एवं पता –

1. इस समिति का नाम– उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी जिला नैनीताल होगा, जिसका पता "उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, मंगल पड़ाव हल्द्वानी, जिला नैनीताल" होगा। फेडरेशन के पते में कोई परिवर्तन फेडरेशन की उपविधियों में संशोधन किए बिना नहीं किया जा सकता है और उसकी सूचना सक्षम अधिकारी को 30 दिन के अन्तर्गत देना अनिवार्य होगा।

परिभाषाएं–

2. इन उपविधियों में जब तक कोई बात, विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो–
   - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य; उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम– 2003 (अधिनियम संख्या–05, 2003)से हैं
   - (ख) "नियम" का तात्पर्य; उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली–2004 से हैं।
   - (ग) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य; उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रबंध समिति से है, जिसका संगठन उपविधियों के अनुसार किया गया हो और अधिनियम की धारा–29 के अधीन फेडरेशन के कार्यो के प्रति उत्तरदाई हो।
   - (घ) "पण्य पदार्थ'' का तात्पर्य; दूध, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, कच्चे व परिष्कृत कृषि उत्पाद, दुग्धशाला तथा खाद्य सम्बन्धी पैकिंग किये गये सामान, अन्य भण्डार का सामान, साज–सज्जा तथा संयंत्रों से है जो दूध एवं दुग्ध पदार्थ के उर्पाजन तथा विपणन सम्बन्धी प्रयोग में आयें।
   - (च) "सभापति" का तात्पर्य; प्रबन्ध समिति के उस सदस्य से है जो अधिनियम/नियमों व उपविधियों के अधीन उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का सभापति निर्वाचित /चयनित किया हो, तथा वह उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रगति एवं विकास के प्रति उत्तरदायी हो, और प्रबन्ध समिति द्वारा लिये गये नीति विषयक निर्णयों का, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से परिपालन सुनिश्चित करायें।
   - (छ) "फेडरेशन" का तात्पर्य; उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, जिला नैनीताल से होगा।
   - (ज) "सामान्य निकाय" का तात्पर्य; सामान्य सदस्यों की बैठक से है, जिसमें साधारण एवं असाधारण सामान्य बैठक सम्मिलित होगी।
   - (झ) "डेरी उत्पाद" का तात्पर्य; दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद से है।
   - (ञ) "एक्सपर्ट पैनल" का तात्पर्य; उपविधि के नियम–36 के अनुसार है।
   - (ट) "सदस्य दुग्ध संघ" का तात्पर्य; उस दुग्ध संघ से है, जिसने उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का हिस्सा क्रय किया हो तथा प्रवेश शुल्क भुगतान कर दिया हो।
   - (ठ) "सदस्य" का तात्पर्य; उस सदस्य से है जो उपविधि की धारा–5 के अन्तर्गत है।
   - (ड) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य; उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रबन्ध निदशेक से (जो पदेन निदेशक, डेरी विकास होगा) है।
   - (ढ) "दुग्ध संघ" का तात्पर्य; केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति से है जो उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम– 2003 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के रूप में निबन्धित हो।
   - (ण) "निकट सम्बन्धी" का तात्पर्य; उस सम्बन्धी से है जैसा कि अधियिम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
   - (त) "प्रोग्राम समिति" का तात्पर्य; उस समिति से है जो उपविधि संख्या–39 के अन्तर्गत परिभाषित की गई है।
   - (थ) "निबंधक" का तात्पर्य; डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत ऐसे प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से है, जिन्हें उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत निबंधक की शक्तियां प्रदत्त हों।
   - (द) "उपविधि" का तात्पर्य; अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत तत्समय प्रचलित उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की निर्धारित उपविधि से है।
   - (ध) "वर्ष" का तात्पर्य; सहकारी वर्ष से है, जो 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा। परन्तु निर्वाचित सदस्यों, पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना के प्रयोजनार्थ वर्ष का तात्पर्ये निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 12 माह होगा।
   - (न) "राज्य सरकार" का तात्पर्य; उत्तरांचल सरकार से होगा।

नोटः–

इन उपविधियों में प्रयोग किये गये अपरिभाषित शब्दों का तात्पर्य उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 तथा नियमों में परिभाषित शब्दों से होगा।

कार्यक्षेत्र

3. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल के समस्त जनपदों की राजस्व सीमा अन्तर्गत होगा।

उद्देश्यः–

4. (क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे, जिसका क्रियान्वयन वह सम्बद्ध दुग्ध संघों के माध्यम से सम्पन्न करायेगा/करेगा।
   1. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के उर्पाजन/उत्पादन, प्रक्रिया तथा क्रय–विक्रय को सक्रिय रूप से संगठित करके कृषकों के आर्थिक उत्पादन सम्बन्धी कार्य–कलापों को जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से क्रियान्वित कराना।
   2. सम्बद्ध दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध पदार्थो को उत्पादित कराना, उर्पाजन कराना, निर्माण कराना, विक्रय कराना तथा विपणन/वितरण कराना।

   (ख) उद्देश्यों को बिना प्रभावित किये उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन निम्नलिखित कार्य सम्बद्ध दुग्ध संघों के माध्यम से करायेगा।
   1. सदस्यों या अन्य ôोत से जिन्सों का संग्रह, उर्पाजन, खरीद, समन्वय, प्रसंस्करण, निर्माण व वितरण करना तथा दुग्ध संघों हेतु संयंत्रों की स्थापना करना।
   2. पशु चिकित्सा, पशुपालन तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम से सम्बन्धित ऐसे कार्य कराना, जिससे पशु स्वास्थ्य तथा बीमारी की रोकथाम हो सके।
   3. दुग्ध पदार्थो के गुणों की जांच कराना, शोध एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना कराना।
   4. शोध एवं विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना तथा लागू कराना।
   5. दुग्ध संघ एवं प्रारम्भिक समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना तथा जन सामान्य में सहकारिता के सिद्धान्तों तथा दूध के तकनीकी जानकारी का प्रचार–प्रसार कराना।
   6. सदस्य दुग्ध संघों को तकनीकी, वित्तीय एवं आवश्यक सहायता प्रदान कराना और यदि आवश्यक हो तो उनके साथ अनुबन्ध करना।
   7. जब कभी आवश्यक हो, सदस्य दुग्ध संघ हेतु उन स्थानों का सर्वेक्षण कराना जहां पर पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध हो।
   8. सदस्य दुग्ध संघों के लिए दुग्धशाला भवन या दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता करना, ले–आउट बनाना, भवन का प्लान बनाना/निर्माण कार्य एवं संयंत्रों की स्थापना में पर्यवेक्षण कराना।
   9. सदस्य दुग्ध संघों को प्रबंधन, विपणन, पर्यवेक्षण तथा सम्प्रेक्षण हेतु राय देना, मार्गदर्शन करना तथा सहायता करना।
   10. पदार्थो का संग्रह, भण्डारण तथा परिवहन कराना।

11. समय–समय पर प्रबंध समिति के निर्णयों के अनुसार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विपणन की व्यवस्था सदस्यों के साथ कराना।
12. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन या सदस्य दुग्ध संघों द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की गुणवत्ता बनाये रखना तथा गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
13. दुग्ध एवं अन्य पदार्थो के उत्पादन, उर्पाजन तथा विपणन की समस्याओं का अध्ययन करना/निराकरण करना।
14. अन्य संस्थाओं के साथ व्यापार कराना।
15. सदस्य दुग्ध संघ तथा सम्बद्ध समितियों के सदस्य/उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु समुचित व्यवस्था कराना।
16. विपणन शोध कार्य की व्यवस्था करना।
17. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन तथा सदस्य दुग्ध संघ के पूर्ण लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन कार्यक्रम की योजना तैयार करना।
18. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन एवं सदस्य दुग्ध संघों का दुग्ध उर्पाजन, उत्पादन, विपणन बढ़ाने के लिए युद्धस्तरीय कार्यक्रम बनाना तथा लागू करना।
19. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था करना।
20. खाद्य पदार्थो की पैकिंग सम्बन्धी सामग्री को क्रय कराना या आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के साथ सम्बद्ध होकर उत्पादित कराना।
21. सदस्य दुग्ध संघों एवं समितियों के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाना।
22. दुग्ध पदार्थो को अपने ट्रेड मार्क या एगमार्क पर विपणन की व्यवस्था करना।
23. कन्सल्टेंसी सर्विसेज का कार्य प्रारम्भ करना।
23.1 अपने कर्मचारियों के हितों के लिए ट्रस्ट तथा निधियों का सृजन करना।
23.2 शोध एवं विकास संगठन, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो की स्थापना करना।
23.3 उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के व्यापार हेतु चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करना, पट्टे पर अथवा किराये पर लेना और आवश्यकता न होने की स्थिति में उसे समाप्त करना।
23.4 सदस्य दुग्ध संघ एवं दुग्ध उत्पादकों को चारा विकास हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं शासन से धनराशि उपलब्ध कराने में सहायता कराना।
23.5 सदस्य दुग्ध संघों के सामान्य हितों के मामले अपने हाथ में लेना।
23.6 फेडरेशन के उद्देश्यों का भरपूर प्रचार–प्रसार करना।
23.7 अधिनियम की धारा–123 के अन्तर्गत, सदस्य दुग्ध संघों एवं प्राथमिक दुग्ध समितियों का पर्यवेक्षण करना तथा निबंधक द्वारा अनुमोदित पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारित करना तथा उसे वसूल करना।
23.8 सम्बद्ध दुग्ध संघों का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना तथा आवश्यक होने पर दुग्ध संघों को समाप्त करने हेतु अनुशंसा करना।
23.9 अन्य कृषि उत्पाद मुख्यतयाः फल/सब्जी उत्पादन/उर्पाजन एवं विपणन, कार्यो को समिति/संघ के माध्यम से संचालित करने हेतु नीति निर्धारण, योजना संरचना एवं उसका क्रियान्वयन कराना।
23.10 फेडरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों, करना/कराना।
23.11 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के साथ अन्य और भी उद्योग स्थापित करना, जो दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के उर्पाजन व वितरण से सम्बन्धित हो जैसे– पॉलि–फिल्म फैक्टरी, क्रेट/कैन फैक्टरी, पशु वैक्सीन, यूरिया–ब्रिक तथा पशु आहार निर्माणशाला, मिनरल वाटर फैक्टरी आदि।
23.12 राज्य सरकार/केन्द्र सरकार /कृषि विश्वविद्यालय, सरकार व अर्द्ध सरकारी संस्थायें/वन विभाग से लीज (पट्टे) पर भूमि लेकर हरा चारा, सूखा चारा, भूसा, उन्नत नस्ल के हरे चारे के बीज पैदा कर पशु पालकों को रियायती दर पर देना तथा हरे व सूखे चारे की कमी को दूर करने हेतु प्रयास करना।
23.13 उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षाऋतु से पहले हवाई सीड़लिंग कराना, ताकि पशु पालकों को हरा चारा मिल सके।
23.14 उन्नत नस्ल के गाय/भैंसों का ब्रीडिंग फार्म/मॉडल प्रोजनी टैस्टिंग स्कीम आदि की व्यवस्था करना ताकि पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप नस्ल तैयार हो सकें।
23.15 पशु नस्ल सुधार हेतु अति हिमीकृत वीर्य बैंक की स्थापना करना तथा प्रोजनी टैस्टिंग स्कीम के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप उन्नत नस्ल के गाय/भैंस, सांडों का उत्पादन करना।
23.16 पर्वतीय क्षेत्र में बकरी/भेड़/शशक पालन को प्रोत्साहित करना तथा उनका उत्पादन, उर्पाजन, प्रसंस्करण, विपणन, दुग्ध संघ/दुग्ध समितियों के माध्यम से करना/कराना तथा उक्त कार्य हेतु आवश्यक तकनीकी निवेश एवं प्रचार–प्रसार कार्य करना/कराना।
23.17 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के माध्यम से फल/सब्जी एवं अन्य खाद्य कृषि–उपज का उर्पाजन/क्रय एवं विपणन व्यवस्था कराना/करना।
23.18 फल/सब्जी आदि को सुरक्षित रखने हेतु शीत गृहों/शीत संयंत्रों /उपकरणों आदि की व्यवस्था कराना।

सदस्यता

5. (1)"क" श्रेणी के निम्नलिखित सदस्य होगें–
1. उत्तरांचल के दुग्ध संघ।
2. राज्य सरकार।
3. उत्तरांचल के सहकारी बैंक/अन्य सहकारी संस्थायें।

(2)"ख" श्रेणी की सदस्यता जिन्हें नाम मात्र सदस्य समझा जायेगा, हर उस व्यक्ति/डीलर के लिए खुली होगी, जिसका चरित्र अच्छा व मस्तिष्क स्वस्थ हो, और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा फेडरेशन के साथ किसी प्रकार व्यावसायिक सम्बन्ध रखना चाहता हों। "ख" श्रेणी के सदस्यों को फेडरेशन के हिस्से क्रय करने, वोट देने या किसी पद हेतु निर्वाचन के लिए खड़ा होने का अधिकार न होगा तथा वह फेडरेशन के लाभ में लाभांश पाने का अधिकारी न होगा। ऐसे सदस्य को 100/– प्रवेश शुल्क जमा करना होगा जो वापस नहीं किया जायेगा तथा उन्हें अधिनियम, नियम के अधीन अनुबन्ध करना होगा। विवाद होने की दशा में उसका निपटारा अधिनियम में दिये गये उपबन्धों के अधीन ही होगा।

प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन, द्वारा किसी अन्य राज्य या राष्ट्रीय शीर्ष सहकारी समिति को फेडरेशन के हितों को ध्यान रखते हुए तथा अधिनियम, नियमों के अन्तर्गत सदस्य बना सकता है।

6. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन को यह अधिकार होगा कि वह अपने साधारण सदस्यों से अंशदान जमा कराये अथवा नियमानुसार अनुमोदित होने पर ऋण–पत्र जारी करें।
7. सिवाय ऐसी दशाओं के जो कि अधिनियम अथवा नियमों द्वारा निहित है, कोई सम्बद्ध दुग्ध संघ, फेडरेशन की सदस्यता से अपने को अलग नहीं कर सकता।
8. अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुनवाई करने के उपरान्त किसी भी सदस्य की सदस्यता एक या अनेक निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जा सकती है। इस हेतु प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

(क) कोई भी सदस्य उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की सदस्यता से पृथक किया जा सकता है यदि–

1. वह अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में निर्धारित योग्यता न रखता हो, या उसमें कोई अयोग्यता हो या आ गई हो।
2. वह अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के विरूद्ध सदस्य बनाया गया हो।
3. उपविधि संख्या–18(2) के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की अवहेलना करता हो।

(ख) कोई भी सदस्य, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है, यदिः–

1. उसने उपविधियों के विरूद्ध उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के हितों को हानि पहुंचायी हो या अथवा जानबुझकर धोखा दिया हो अथवा फेडरेशन की साख को नुकसान पहुंचाया हो।
2. उसके द्वारा उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत की गई घोषणा झूठी पायी गयी हो या किसी मामले को घोषणा में छिपाया गया हो या झूठी घोषणा तथा तथ्यों को छिपा कर उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन से गलत लाभ प्राप्त किया हो या फेडरेशन को आर्थिक हानि पहुंचायी हो अथवा उससे अन्य कठिनाईयां आयी हो/आ रही हो।

इस प्रकार से निकाले गये या निष्कासित किये गये व्यक्ति या संस्था की सदस्यता प्रस्ताव की तिथि से, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन से समाप्त समझी जायेगी। ऐसे सदस्यों पर फेडरेशन का कोई ऋण अथवा अन्य धन बकाया हो तो बकाया धन एक मुश्त वसूल किया जा सकता है।

पूंजी

9. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की पूंजी निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती हैः–

(क)
1. प्रवेश शुल्क
2. अंशपूंजी
3. सदस्यों द्वारा जमा पूंजी
4. ऋण एवं अमानत/जमानत
5. अनुदान
6. दान
7. पर्यवेक्षण शुल्क
8. बचत की पूंजी/अन्य पूंजी
9. ऋण पत्र (डिवेंचर्स)
10. विशेष चन्दें

(ख)
1. प्रवेश शुल्क समस्त नये सदस्यों को 100/– रू0 की दर से जमा करना होगा।
2. प्रवेश शुल्क न वापस किया जायेगा और न ही हस्तान्तरित किया जायेगा।

(ग)
1. प्रत्येक हिस्से का मूल्य 1000/– रू0 होगा।
2. हिस्से की धनराशि, हिस्सा खरीदने पर, एक मुश्त जमा करनी होगी।

10. हिस्से का प्रार्थना पत्र लिखित रूप से देना होगा, जिसे प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
11. प्रत्येक हिस्से या हिस्सों के लिये हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा, जो कि प्रमाणित होंगे। हिस्सा प्रमाण पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने पर प्रबन्ध समिति के लिखित अनुमोदन पश्चात् प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जायेगी। इस हेतु निर्धारित शुल्क रू0 25/– तथा क्षतिपूर्ति बन्ध–पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
12. नियमों में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के सदस्य दुग्ध संघों के हिस्से हस्तान्तरित नहीं किये जायेगें।
13. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक हिस्सा लेना अनिवार्य होगा।
14. (क) अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अतिरिक्त सदस्य समिति के हिस्से वापस नहीं किए जायेंगे।
(ख) फेडरेशन को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध के अधीन रहते हुए राज्य सरकार का अंश धन किसी भी समय वापस कर दें।
15. अधिनियम एवं नियमों के अधीन वार्षिक सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्व के समक्ष डेरी फेडरेशन धरोहर या अमानत स्वीकार कर सकती है तथा ऋण ले सकती है।
16. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की सम्पत्ति एवं निधि, फेडरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग की जा सकती है।
17. किसी भी निधि या उसके किसी भी हिस्से का उपयोग अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

उत्तरदायित्व एवं बाध्यता–

18. 1. सदस्य का दायित्व उसके द्वारा क्रय किये गये हिस्से के मूल्य की सीमा तक होगा।
2. प्रत्येक सदस्य का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगाः–
   (क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के निर्देशानुसार दुग्ध उर्पाजन का प्लान तैयार करना/कराना।
   (ख) दुग्ध एवं अन्य पदार्थो का उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करना, उत्पादन करना तथा अपने समस्त दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो का उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के निर्देशानुसार विपणन करना। दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के बाहर एस.एम.जी. /एन.एम.जी. में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो का विपणन उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के माध्यम से किया जायेगा।
3. फेडरेशन के निर्देशानुसार अपने कार्यो के सम्बंध में कार्यक्रम, सूचनाएं बनाना जैसे किः–
   (क) दुग्ध उर्पाजन
   (ख) दुग्ध पदार्थो का विभिन्न ब्राण्डनेम/ट्रेड मार्क के अनुसार उत्पादित कराना।
   (ग) समिति संगठन कराना।
   (घ) तकनीकी निवेश कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना।

सामान्य निकायः–

19. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का उच्चतम प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा जो कि निम्नलिखित द्वारा बनेगा।
1. प्रत्येक सम्बद्ध दुग्ध संघ से एक प्रतिनिधि।
2. निबंधक या उसके प्रतिनिधि।
3. राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4. उपविधि संख्या–19(1) के प्राविधानों अनुसार फेडरेशन के प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार हुआ हो तथा वे प्रतिनिधि हेतु कोई अयोग्यता न रखते हो, जो कि नियम तथा दुग्ध संघ की उपविधियों के अधीन हो, जिस दुग्ध संघ का वह प्रतिनिधित्व कर रहे हों।

20. एक व्यक्ति जो कि वास्तविक रूप से प्रतिनिधि है, उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने पर रोक लग जायेगी यदिः–
1. उपविधि संख्या–32 के अनुसार कोई भी अयोग्यता रखता हो या अर्जित कर लिया हो, या
2. जिस समिति का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की सदस्यता समाप्त हो गयी हो, या
3. उस समिति की उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन से सदस्यता समाप्त हो गई हो, या
4. वह उस समिति की सदस्यता समाप्त कर चुका हो, जो कि किसी अन्य समिति का सदस्य हो, जिसके द्वारा वह उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन में प्रतिनिधित्व करने हेतु चुना गया हो, या
5. वह उस कार्यालय से मुक्त हो चुका हो, जिसके द्वारा उसे उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार किसी कार्यालय के लिये प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, या
6. वह समिति अधिनियम की धारा–72 के अनुसार समाप्त कर दी गई हो, या
7. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि हो, किसी अन्य सहकारी समिति या समितियों में विलीन कर दी गई हो, या
8. वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वह दो या अधिक समितियों में विभाजित हो गई हो या उसने प्रतिनिधि के पद से त्याग पत्र दे दिया हो।

सामान्य निकाय की बैठकः–

21. सामान्य निकाय की बैठक निम्न प्रकार बुलाई जायेगीः–

(क) साधारण सामान्य बैठक– उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रबन्ध समिति कार्य सम्पादन के लिये जब आवश्यक हो, सामान्य निकाय की बैठकें बुला सकती है, जिसे साधारण सामान्य निकाय कहा जायेगा।

(ख) असाधारण सामान्य बैठक– निबन्धक या उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन एक माह के भीतर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगा। प्रबन्ध समिति द्वारा उपर्युक्त बैठक न बुलाने की दशा में, निबन्धक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान, तिथि अथवा समय पर जिसका वह निर्देश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को वे सभी अधिकार होंगे और वह उन्हीं नियमों के अधीन होगें, जो कि उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को है, किन्तु इस प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा, जिसका उल्लेख अधियाचन में किया गया हो।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक– प्रत्येक वर्ष वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और अधिनियम की धारा–64 के अधीन लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु 31 दिसम्बर तक अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि तक जो निबन्धक द्वारा अनुमन्य की गई हो, के अन्तर्गत उक्त उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन वार्षिक सामान्य बैठक बुलायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि कन्करेन्ट लेखा परीक्षण की व्यवस्था होने पर वार्षिक सामान्य बैठक 30 सितम्बर से पूर्व बुलानी होगी। अधिनियम की धारा–32 (1) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए प्रबन्ध समिति वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, स्थान तथा समय निश्चित करेगी और बैठक के नोटिस के साथ एजेण्डा भी भेजेगी।

उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अपनी वार्षिक सामान्य बैठक बुलायेगाः–

1. पिछली सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. प्रबन्ध समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किए गये उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्य कलापों का अनुमोदन।
3. पिछले वर्ष के रोकड़ पत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना, यदि लेखा परीक्षा पूरी हो गयी हो।
4. पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर, यदि लेखा परीक्षा पूरी हो गयी हो, तो नियत रीति से विचार।
5. यदि पूर्व वार्षिक अधिवेशन में व उसके गत वर्ष के रोकड़ पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र व लेखा परीक्षा न हो सकने के कारण पर विचार न हो सका हो, तो उन पर विचार।
6. आगामी वर्ष के लिए फेडरेशन का अधिकतम उत्तरदायित्व निर्धारित करना।
7. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार।
8. अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अनुसार शुद्ध लाभ के वितरण पर विचार।
9. अनुमोदित बजट से अधिक किए गए खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
10. उपविधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुति किए गए सदस्यों के निष्कासन पर विचार।
11. उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी अन्य मामले पर विचार करना या प्रबन्ध समिति द्वारा रखा गया मामला, यदि कोई हो, या अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के अन्तर्गत सभापति की अनुमति पर अन्य मामले यदि कोई हों, पर विचार।

22. अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय के उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे।

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध याचिका की सुनवाई करना।

(ख) नियमों के अधीन प्रबन्ध समिति सदस्यों हेतु यात्रा–भत्ता नियमावली तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक विनियम बनाना।

(ग) उपविधियों में संशोधन करना।

(घ) निबन्धक या उसके किसी अधिकारी के निरीक्षणों पर दिए गये निरीक्षण आख्या तथा उस पर प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव के अनुसार विचार करना।

(ङ) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा सदस्य समितियों के हित में किये जा रहे कार्यो के प्रोत्साहन हेतु, उचित सलाह पर विचार।

(च) सामान्य निकाय की बैठक के सभापति की अनुमति पर उपविधियों के संशोधन तथा सदस्यों के निष्कासन को छोड़कर अन्य मामलों पर विचार करना।

(छ) मद क, ख, ग, घ में दिये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का उपयोग वार्षिक सामान्य निकाय करेगी।

23. सिवाय अधिनियम व नियमों में दी गई व्यवस्था के, सामान्य निकाय की बैठकें बुलाने के लिये 15 दिन की नोटिस प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी, जिसमें बैठक की प्रस्तावित तिथि, स्थान, समय एवं एजेण्डा दर्शित किया जायेगा। इसकी एक प्रति निबन्धक को भी दी जायेगी। किन्तु ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन होना है, के लिए न्यूनतम 45 दिन की नोटिस आवश्यक होगी तथा नोटिस की एक प्रति उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्यालय के सूचना–पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

यह भी आवश्यक है कि वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट, सम्प्रेक्षण प्रमाण पत्र (यदि प्राप्त हो गया हो) तथा संतुलन पत्र भी भेजा जायेगा। यदि किसी कारण वश किसी सदस्य को नोटिस प्राप्त न हुई हो, तो सामान्य निकाय की बैठक अवैध नहीं होगी।

24. (क) सामान्य निकाय का कोई सदस्य यदि सामान्य निकाय की बैठक के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेशक को लिखित रूप से देगा।

(ख) निम्नलिखित के लिये पहले से सूचना देना आवश्यक नहीं होगाः–

1. प्रस्ताव के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने हेतु।
2. बैठक के विसर्जन हेतु या बैठक को स्थगित करने/कराने हेतु।
3. प्रस्ताव के अगले मद को बैठक में आगे बढ़ाने हेतु।
4. प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट पर बहस कराने हेतु।
5. बैठक से पूर्व किसी विषय की जांच हेतु समिति का गठन करने या किसी विषय की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु।
6. किसी प्रश्न पर वोट कराने हेतु।
7. प्रबन्ध समिति द्वारा अति आवश्यक विषय को सामान्य निकाय की बैठक हेतु प्रस्ताव रखना।
8. कोई भी प्रस्ताव जो कि उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा रखा गया हो।

25. सामान्य निकाय की बैठक के लिए आवश्यक गण–पूर्ति सामान्य निकाय के साधारण सदस्यों का 50 प्रतिशत होगा। यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी जाय, तो स्थगित बैठक की गणपूर्ति सिवाय उपविधि संख्या–46(क) तथा नियमों में अन्था की गयी व्यवस्था के, मूल गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या की आधी होगी। सभी मामले (उन मामलों को छोड़कर जो अधिनियम एवं नियमों के अधीन हो) सामान्य निकाय के विशिष्ट बहुमत द्वारा तय किये जायेगें।

26. सामान्य निकाय मे प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा किसी अन्य सदस्य का वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

27. सामान्य निकाय की बैठक की अध्यक्षता, सभापति द्वारा की जायेगी। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा बैठक का सभापतित्व किया जायेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति उस बैठक का सभापतित्व करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक का सभापतित्व जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन होना है, ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा, जो स्वयं किसी पद के लिये प्रत्याशी हो अथवा उस दशा में नहीं करेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हों।

28. 1. सामान्य निकाय की बैठक के लिए निर्धारित समय के एक घन्टे के अन्दर यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक उक्त तिथि के 16वें दिन के लिये स्थगित मानी जायेगी (गणना में स्थगित तिथि को भी लिया जायेगा) तथा समय व स्थान वहीं रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों की याचना पर बुलाई गई है तो निर्धारित समय कें डेढ़ घन्टे के अन्दर गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित मानी जायेगी।

2. उपखण्ड एक के अनुसार, स्थगित बैठक में प्रबन्ध समिति द्वारा इस आशय हेतु बुलाई गई बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर विचार किया जायेगा।

29. साधारण सामान्य निकाय की बैठक में तय किए गये प्रस्तावों को रखी गयी कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा और कार्यवृत्त पर बैठक में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें।

प्रबन्ध समिति

30. अधिनियम तथा नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन फेडरेशन की प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसमे सभापति व उपसभापति भी सम्मिलित होगा। प्रबन्ध समिति निम्नलिखित सदस्यों से बनेगी–

1.	निर्वाचित प्रबन्ध समिति के सदस्य	–	09
2.	राज्य सरकार से नामित विभागीय सदस्य	–	02
3.	राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से नामित सदस्य	–	01
4.	निबन्धक (निदेशक, डेरी विकास) द्वारा नामित सदस्य–		01
5.	वित्तीय संस्था से नामित सदस्य	–	01
6.	प्रबन्ध निदेशक सदस्य/सचिव	–	01
	कुल योग	**–**	**15**

प्रबन्ध समिति अपने निर्वाचित सदस्यों में से सभापति व उपसभापति का निर्वाचन करेगी।

31. 1. प्रबन्ध समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, निर्वाचन परिणाम के घोषणा की तिथि से 5 वर्ष होगा। सभापति अथवा उपसभापति का कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल के साथ स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2. अधिनियम की धारा–35–3(क) तथा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत, प्रबन्ध समिति के सदस्यों के कार्यकाल की गणना, उपविधि में दर्शित कार्यकाल में नहीं की जायेगी।

3. यदि प्रबन्ध समिति के किसी चुने हुए सदस्य का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो, तो वह प्रबन्ध समिति के शेष सदस्यों द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों में से जो सदस्यता के लिये अर्ह हो, शेष अवधि के लिए आमेलन द्वारा भरा जायेगा।

4. (क)प्रबन्ध समिति की कार्यवाही, समिति में कोई पद रिक्त होने या पदों के न भरने के कारण अमान्य नहीं मानी जायेगी।

(ख) प्रबन्ध समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य, नाम निर्देशन करने वाले अधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पदासीन रहेगें।

32. कोई भी व्यक्ति फेडरेशन की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा यदिः–

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो।

(ख) वह विकृत चित्त, बहरा, गूंगा, अंधा या कोढ़ से पीड़ित हो।

(ग) वह दिवालिया घोषित हो।

(घ) उसे सदस्य बनने से पूर्व 5 वर्ष की अवधि में निबंधक की राय में नैतिक पतन संबंधी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो और ऐसा दोष सिद्ध अपील में रद्द न किया गया हो।

(ङ) वह या उसके परिवार के कोई सदस्य, निबन्धक की राय मे प्रत्यक्ष रूप से उसी किस्म का व्यवसाय उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्य क्षेत्र में बिना निबन्धक की अनुमति के कर रहा/रहे हो, जैसा कि व्यवसाय उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है।

(च) वह अधिनियम या नियमों अथवा इन उपविधियों के प्रतिकूल उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के साथ कोई व्यवहार या संविदा करें।

(छ) वह उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन या उसके सदस्य समिति के अन्तर्गत कोई लाभ का पर स्वीकार करे या धारण करता हों।

(ज) वह उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के सामान्य निकाय का सदस्य न हो, किन्तु यह अनर्हता किसी नामित सदस्य पर लागू न होगी।

(झ) वह किसी अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक दोष सिद्ध तिथि से 3 वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा–91 के अन्तर्गत आदेश प्राप्त कर लिया हों, और आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(ट) वह उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के ऋण का लगातार बकायेदार हो, और बकाया लगातार 6 माह तक चलता रहा हो तथा प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम व्यापार न किया हो।

(ठ) वह तीन अन्य सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति का पहले से ही सदस्य हो, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शीर्ष समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य हो, तो वह किसी अन्य शीर्ष समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा तथा निगमित निकाय से कपट, दूराचरण या आशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यह अयोग्यता पदच्युत होने की तिथि से 5 वर्ष के उपरान्त समाप्त हो जायेगी।

(ढ़) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबंधन के प्रार्थना पत्र में सम्मिलित हो, अथवा उसकी प्रबन्ध समिति का सदस्य रहा हो या बाद में निबंधक द्वारा धारा–72 (2) (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबंधन कपटपूर्वक कराया गया है और निबंधन का ऐसा आदेश अपील में उचित न करार दिया गया हो।

(ण) उसने त्यागपत्र दे दिया हो तथा उसका त्याग पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो,

(त) वह अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के किसी उपबंधों के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

(थ) कारोबार बंद कर दिया हो।

(द) उपविधियों में दर्शित किसी भी उद्देश्य की पूर्ति न की हो।

(ध) प्रबन्ध समिति द्वारा मांगे गये हिस्से/लाभांश का भुगतान न किया हो।

(न) पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध समिति को तीन बैठकों मे लगातार अनुपस्थित रहा हो, किन्तु यह अर्नहता नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(प) यदि वह उस, दुग्ध संघ जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की प्रतिनिधित्वता समाप्त हो जाती है।

33. प्रबन्ध समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी। आवश्यकतानुसार अन्य बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध समिति की बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को 10 दिन की नोटिस अवश्य देगा।

प्रबन्ध समिति की किसी भी बैठक में कोई कार्य करने के लिए 8 सदस्यों का कोरम होगा, जिनमें 4 निर्वाचित सदस्यों का होना आवश्यक होगा।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रबन्ध समिति की बैठक सभापति की आज्ञानुसार या प्रबन्ध समिति के 3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या निबंधक/विभागाध्यक्ष के निर्देश पर बैठक बुलाई जायेगी।

प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य समिति की बैठक में उस समय उपस्थित नहीं होगा या मत विभाजन में भाग नहीं लेगा, जब कि ऐसे विषय पर वाद–विवाद हो रहा हो, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी रखता हो।

विशेष परिस्थितियों में जब किसी प्रस्ताव पर, तुरन्त निर्णय की आवश्यकता हो और वह प्रबन्ध समिति की बैठक तक रोका नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में उसे सदस्यों के बीच घुमा कर (बाई सरकुलेशन) प्रस्ताव पर निर्णय कराया जा सकता है, और इस प्रकार अनुमोदित प्रस्ताव जिन पर अधिकांश प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं, वह प्रस्ताव पूर्ण रूप से लागू माना जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति/प्रशासनिक समिति की बैठक की कार्यवाही में रखे गये प्रस्ताव के अनुमोदन पर लागू होता है।

34. प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य द्वारा ऐसा किया गया कार्य, जो कि बाद में यह पता चलने पर, कि प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति नियम विरूद्ध हुई है, सही माना जायेगा जैसा कि प्रबन्ध समिति की सही नियुक्ति या प्रबन्ध समिति के सदस्य की सही नियुक्ति पर माना जाता।

प्रबन्ध समिति के अधिकार व कर्तव्य

35. फेडरेशन के समस्त नीति विषयक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रबन्ध समिति का होगा। प्रबन्ध समिति को समस्त अधिकार प्राप्त होगें और अपने दायित्वों के अनुपालन में अनुबंधित करने तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था करने, जो फेडरेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित हो अथवा फेडरेशन के हित में लिये गये हों, के सम्बन्ध में सभी अधिकार प्राप्त होगें। प्रबन्ध समिति ऐसा करने के लिए अधिनियम, नियमों एवं फेडरेशन की उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नलिखित कार्य करेगी–

1. पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. नये सदस्यों की भर्ती करना।
3. हिस्सों को आवंटित करने, वापस लेने, समाप्त करने तथा हस्तान्तरित करने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करना।
4. अमानतों तथा अन्य उधार लिये गये धन पर ब्याज की दर निश्चित करना तथा अमानतों के प्रति शर्तो का निर्धारण करना।
5. वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में ऐसे अन्य विवरण के साथ, जिनकी निबन्धक अपेक्षा करें, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण, आर्थिक–चिट्ठा और लाभों के वितरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
6. वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में वार्षिक बजट की संस्तुति करना।
7. अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के प्राविधानों के अधीन तथा सेवानियमावली के अधीन निबन्धक एवं एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों के अनुसार फेडरेशन के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
8. फेडरेशन के अनुपयोगी सामान का निस्तारण करना।
9. फेडरेशन की निधियों को सरकार को बेचना, हस्तान्तरित करना या विनियोजन करना।
10. उपविधियों के अन्तर्गत उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने हेतु विनियामवली तथा सेवा नियमावली बनाना।
11. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कर्मचारियों हेतु यात्रा भत्ता नियमावली बनाना।
12. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रयोग हेतु भूमि, भवन एवं मशीनरी की खरीद हेतु स्वीकृति प्रदान करना या सदस्यों हेतु किराये पर प्राप्त करने की व्यवस्था करना।
13. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के सदस्यों के बीच में दुग्ध विपणन का प्रचार करना।
14. उपविधियों के तहत हिस्सा पूंजी में बढ़ोत्तरी करना।
15. अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अधीन वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में लाभांश के भुगतान, लाभ एवं आरक्षित कोष के निस्तारणों हेतु प्रस्ताव रखना।
16. जमा की गई धनराशि पर समय–समय पर ब्याज की दर निर्धारित करना।
17. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की कानूनी जांच, सम्प्रेषण एवं निरीक्षण आख्या पर विचार करना तथा उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना।
18. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए सदस्य दुग्ध संघ के व्यापार तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहायता प्रदान करना एवं राय देना।
19. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के व्यापार एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही करना।
20. प्रबन्ध समिति अपने अधिकारों को उपखण्ड संख्या– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 19 के अतिरिक्त, प्रबन्ध निदेशक को पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपे सकती हैं, परन्तु प्रबन्ध समिति द्वारा सौंपे गये कार्यो के लिए कोई उपसमिति नहीं होगी।
21. अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के द्वारा दिए गये अन्य कार्यो को पूरा करना।
22. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय, राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं से, अन्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थाओं से सामान खरीदना।
23. राज्य में लागू तमाम अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन करना।
24. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कर्मचारियों के लिये निधि / ट्रस्ट बनाना।
25. अधिनियम, नियम व उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत, किसी भी सदस्य के निलम्बन हेतु सामान्य निकाय की बैठक मे संस्तुति करना।
26. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपार्जन, उत्पादन, विपणन एवं प्रक्रिया हेतु शर्त तथा दर निश्चित करना।
27. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के मूल्य निर्धारण हेतु नीति निर्धारित करना।
28. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों को समस्त दुर्घटनाओं के समक्ष बीमा करना।
29. ट्रेड मार्क (ब्राण्डनेम) के प्रयोग के लिये दर एवं शर्तो का निर्धारण करना।

एक्सपर्ट पैनल

36. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के गैर प्रबन्धकीय पदों के सृजन एवं नियुक्तियां, आदि कार्यो हेतु "एक्सपर्ट पैनल" का गठन निम्नलिखित सदस्यों द्वारा होगा–

1.	फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	निबन्धक (निदेशक, डेरी विकास) द्वारा नामित, विभागीय अधिकारी	–	सदस्य
4.	उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रबन्धक(प्रशासन)	–	सदस्य/सचिव
5.	प्रबन्ध निदेशक आवश्यकतानुसार वस्तु/विषय विशेषज्ञ को नामित कर सकता है।		

एक्सपर्ट पैनल उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रशासनिक नियमावली बनायेगा, जिसमें स्टाफ की आवश्यकता अनुभव, कार्य आवंटन, वेतनमान, सेवा नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, अनुशासनिक कार्यवाही, पदोन्नति तथा दण्डित करने के नियम सम्मिलित होंगे।

37. (क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की बैठकों का (सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति) सभापति द्वारा सभापतित्व किया जायेगा। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा बैठक का सभापतित्व किया जायेगा तथा दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी को उस बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुना जायेगा।

(ख) उन सभी बैठकों में चाहे वह सामान्य निकाय की बैठक, प्रबन्ध समिति की बैठक या अन्य कोई बैठक हो, प्रत्येक उपस्थित सदस्य का एक ही मत होगा। बैठक में रखे गये समस्त प्रस्ताव बहुमत से पारित किये जायेंगे। जब तक कि अधिनियम या नियमों में कोई ऐसा प्राविधान न हो। बराबर मतों के विभाजन की दशा में बैठक के सभापति को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। यह अधिकार निर्वाचन या पदाधिकारियों की नियुक्ति की दशा में लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में बराबर मतों के विभाजन की दशा में पर्ची डालकर निर्णय किया जायेगा। सभापति सहित कोई भी व्यक्ति उन बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा, जिसमें उनके व्यक्तिगत हितों का मामला विचाराधीन हों।

प्रबन्ध निदेशक

38. 1. धारा–31(क)–(1) प्रबन्ध निदेशक, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रथम वर्ग के अधिकारी से अनिम्न पद का सरकारी सेवक होगा, उसकी सेवायें समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेगी और उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ता समिति की निधि से देय होगा।

2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अन्तर्गत उसके निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे:–
   1. सामान्य प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कार्यकलापों तथा व्यापार के पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध के लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा।
   2. प्रबन्ध समिति तथा सामान्य निकाय की बैठक आहूत करना।
   3. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना।
   4. अनुमोदित बजट सीमा के अन्तर्गत, या प्रबन्ध समिति तथा सामान्य निकाय द्वारा दिए गये निर्देशों के अधीन निम्न व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।
      (क) कार्यकारी खर्चे।
      (ख) व्यापार स्कन्ध पर खर्चे।
      (ग) अन्य खर्चे।
   5. हुण्डी /अन्य प्रतिभूतियों एवं चैकों पर हस्ताक्षर करना तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से बैंक के लेखों का संचालन करना।
      (क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के समस्त कर्मचारियों तथा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कार्य आवंटित करना, और उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना तथा नियंत्रण रखना।
      (ख) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना।
      (ग) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के वेतन भोगी कार्मिकों को अधिनियम, नियमों के अन्तर्गत नियुक्त करना, निलम्बित करना, कार्य से अवमुक्त करना तथा कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार प्रतिभूति जमा कराना।
      (घ) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से धन तथा प्रतिभूति प्राप्त करना, निकालना और वितरित करना तथा एफ.डी.आर. पर हस्ताक्षर करना।
      (ङ) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के व्यापारिक स्कन्धों का तीन माह में एक बार भौतिक सत्यापन करना।
      (च) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के धन एवं सम्पत्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना।
   6. (क) अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा विनियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन करना।
      (ख) अपने समस्त या किन्हीं अधिकारों को, जो उन्हें प्राप्त हैं, फेडरेशन के किसी अधिकारी को देना, परन्तु उस पर नियंत्रण का अधिकार उन्हें ही होगा।
   7. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्राविधानों के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तीन माह हेतु नियुक्ति करना।
   8. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से मुकद्दमें चलाना या उस पर चले हुए मुकद्दमों की पैरवी करना तथा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से जुर्माने की वसूली करना या उस पर हुए जुर्माने की अदायगी करना।
   9. विनियमावली के अन्तर्गत, यदि कोई हो, जो कि प्रबन्ध समिति के द्वारा बनाई गई हो, ठेके हेतु समझौता करना, ठेका स्वीकृत करना तथा निर्माण कार्य हेतु समझौता करना तथा ठेका स्वीकृत करना और उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की ओर से अनुबन्ध करना तथा अन्य कार्यवाही करना।
   10. प्रबन्ध समिति के निर्देश पर सदस्य दुग्ध संघों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना तथा सभी मामले पर उन्हें निर्देश देना।

प्रोग्राम समिति

39. (क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की एक प्रोग्राम समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:–
   1. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष
   2. सम्बद्ध दुग्ध संघों के प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक – सदस्य
   3. निदेशक, डेरी विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
   4. फेडरेशन मुख्यालय का सामान्य प्रबन्धक (आपरेशन) – सदस्य
   5. एम.आई.एस. के प्रभारी (यदि कोई हो) अन्यथा प्रबन्धक– आपरेशन। सदस्य/सचिव

(ख) प्रोग्राम समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी:–
   1. उर्पाजन एवं विपणन संबंधी सामयिक नीति निर्धारण।
   2. दुग्ध संघों के प्रबन्ध हेतु सहायता एवं राय देना।
   3. उस वर्ष हेतु उत्पादन नीति निर्धारण तथा समय–समय पर उसकी समीक्षा।
   4. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा विपणन करने वाले पदार्थो के उत्पादन का न्यूनतम स्टैन्डर्ड बनाना।
   5. विभिन्न दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो की उत्पादन, प्रक्रिया, पैकिंग हेतु कीमतों का निर्धारण करना तथा ट्रेडमार्क की रायल्टी का निर्धारण करना।
   6. कच्चे माल व बने हुए माल के न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण करना तथा इकाईयों के वसा एवं वसा रहित ठोस के फार्मूले का निर्धारण करना।
   7. विपणन नीति बनाना।
   8. कच्चे माल (दूध को छोड़कर) तथा प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले सामानों की व्यवस्था हेतु प्रोग्राम बनाना।
   9. सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्यवाही करना तथा उनको लागू करने के लिये सहायता प्रदान करना।
   10. शोध एवं विकास कार्यक्रम बनाना।
   11. विपणन व्यवस्था का ध्यान रखते हुए उत्पादकता हेतु कार्यक्रम बनाना।
   12. सदस्यों को वित्तीय, तकनीकी एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा उनके साथ अनुबन्ध हेतु संस्तुति करना।
   13. जन सम्पर्क तथा अन्य मामलों हेतु मूल्य निर्धारण तथा मूल्य नीति हेतु राय देना।

प्रोग्राम समिति यदि चाहे तो विशेष समस्या के निवारण हेतु एक उपसमिति नियुक्त कर सकती है तथा उस समिति में उस विषय के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नामित कर सकती है, जो उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन या उसके सदस्य दुग्ध संघों के स्टाफ का सदस्य हो।

लेखा पुस्तकें एवं रजिस्टर–

40. समक्ष प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर लागू की गयी उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के व्यापार के लेखा जोखा हेतु लेखा पुस्तके तथा अन्य अभिलेख उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा लागू किये जायेंगे।

(क) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र का रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रार्थी का नाम, पता हिस्सों की संख्या जिनकी मांग की गई है तथा नामंजूर करने की दशा में नामंजूरी की सूचना देने की तिथि और प्रार्थी के प्रवेश न देने की सूचना की तिथि अंकित की जायेगी।

(ख) फेडरेशन की सामान्य निकाय की बैठक, प्रबन्ध समिति की बैठक तथा अन्य समिति व उप समिति की बैठकों हेतु अलग–अलग कार्यवाही पुस्तिका रखी जायेगी।

(ग) सदस्यता रजिस्टर जिसमें सदस्यों का नाम व पता, प्रवेश तिथि, हिस्सों की संख्या तथा धनराशि जिसका भुगतान किया गया है, सदस्यता पर रोक की तिथि तथा कारण अंकित किया जायेगा।

(घ) प्रतिनिधियों का रजिस्टर।

(ङ) प्राप्ति रजिस्टर।

(च) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की सदस्यता वार रजिस्टर।

(छ) कैश बुक जिसमें प्रत्येक दिन की आमदनी तथा खर्चे का विवरण लिख जायेगा।

(ज) बाउचर फाइल जिसमें उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा किए गये खर्चो के बाउचर रखे जायेंगे जो कि क्रमवार रखे जायेंगे।

(झ) जनरल लेजर जिसमें मदवार आमदनी व खर्चे तथा बकाया का विवरण लिखा जायेगा।

(ढ) लाभांश तथा बोनस का रजिस्टर।

(ट) अधिकारी एवं पदाधिकारी का रजिस्टर, यदि कोई नियुक्त किया गया हो।

(ठ) प्रबन्ध समिति, प्रबन्ध निदेशक या निबन्धक द्वारा समय–समय पर लागू की गयी अन्य लेखा पुस्तकें एवं रजिस्टर।

लाभ का वितरण

41. (क) शुद्ध लाभ का वितरण उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगाः–

1. ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संक्रमित करेगी, जो रक्षित निधि कहलायेगी।
2. शुद्ध लाभ मे से 40,000/–प्रतिवर्ष सहकारी शिक्षा निधि में जमा किया जायेगा।
3. शोध एवं विकास निधि में अशंदान 10,000/– रूपये।
4. ऐसी धनराशि जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, एक निधि में संगठित की जायेगी, जिसे इक्विटी रिडम्शन फण्ड कहा जायेगा। यह फण्ढ उसी दशा में संगठित किया जायेगा जबकि सरकार की अंशपूंजी लगी हो। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा फण्ड राज्य सरकार के अंशपूंजी की राशि से अधिक नहीं होगा।

(ख) उपरोक्त से बचे शुद्ध लाभ का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा–

1. सदस्यों को उनकी दत्त अंश पूंजी पर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान।
2. सदस्यों का व्यापार, जो उन्होंने उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के साथ किया हो, राशि या मात्रा पर अधिकतम 75 प्रतिशत बोनस का भुगतान।
3. चेरीटेबुल एनडाउमेंट एक्ट–1890 की धारा–2(क) में यथापरिभाषित चेरीटेबुल परपज की पूर्ति हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत धनराशि का दान।
4. शेष धनराशि को आगामी वर्ष के लाभ में ले जाना।

उपरोक्त लाभ वितरण में समिति के अनुरोध पर निबंधक किसी निधि में अंशदान करने से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से छूट दे सकता है।

42. अधिनियम एवं नियमों के अधीन निधियों का विनियोजन किया जायेगा।

43. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के समापन की दशा में उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की रक्षित निधि और अन्य निधियों का प्रयोग सबसे पहले नियमों में निर्दिष्ट प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के दायित्वों का आंकलन करने के लिये और तत्पश्चात् यदि किसी अवधि के लिए लाभ से लाभांश का भुगतान किया गया हो तो ऐसी अवधि के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जायेगा। तत्पश्चात यदि कोई धनराशि शेष रह जाये तो उसका प्रयोग ऐसे कार्य के प्रयोजनों और राष्ट्रीय रक्षा कोष या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने के लिए किया जायेगा, जिसे प्रबन्ध समिति चुने और जिसका निबन्धक अनुमोदन करें। यदि प्रबन्ध समिति निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत किसी ऐसे उद्देश्य को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो, तो अतिरिक्त निधियों का प्रयोग निबन्धक या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान के लिये कर सकता है।

गोपनीयता

44. प्रत्येक प्रबन्ध समिति का सदस्य, पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेगा। गोपनीयता की शपथ फेडरेशन के कार्यो के लेन–देन व व्यापारिक बातचीत या दुग्ध पदार्थो को बनाने की विधि से सामान्यतः सम्बन्धित होगी और इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करके वह यह घोषित करेगा कि उस जानकारी को जो उसके पद की अवधि में आयेगी वे दूसरे को नहीं बतायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक या प्रबन्ध समिति की अन्य समिति या कानून के अन्तर्गत अदालत द्वारा पूछे जाने पर ही बातयेंगें। इसका उल्लंघन करने पर वह क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

विवादों का निपटारा

45. वह विवाद जो उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के कारोबार के सम्बन्ध में पैदा होंगे, जैसा कि अधिनियम की धारा–70 में निर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सालसी कार्यवाही द्वारा तय होंगे।

उपविधियों में संशोधन

46. इस प्रयोजन के लिए बुलाई गयी किसी सामान्य बैठक में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है।

(क) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक पहले से अनुमोदित उपविधियों का संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिये निबन्धक धारा–14 की उपधारा–(1) के अधीन अपेक्षा करें, वे केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किए जा सकते हैं।

(ख) उपविधियों में संशोधन करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को तीस दिन की नोटिस, जिसके साथ प्रस्तावित संशोधन की एक प्रति संलग्न होगी, दी जायेगी।

सिवाय ऐसी परिस्थितियों में जब कि अधिनियम की धारा–14 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत निबन्धक के आदेश पर बैठक बुलाने हेतु 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा।

(ग) पुनः ऐसी परिस्थितियों में, जब कि बैठक उपखण्ड(ख) के द्वितीय प्राविधानों के अन्तर्गत गणपूर्ति पूरी न होने की दशा में बुलाई गई हो तो 7 दिन का नोटिस दिया जायेगा।

(घ) ऐसी बैठक के लिये सामान्य निकाय की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत की गणपूर्ति अपेक्षित होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन को यह निर्देश दे सकता है कि वह बैठक बुला लें, जिसकी अपेक्षित गणपूर्ति कम से कम 1/3 कर दी जायेगी, जिसकी लिखित सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी।

(ङ) प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित प्रतिमान (मॉडल) उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किए जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा–14 की उपधारा–(1) के अधीन यह निर्देश दिए जाने पर उसे उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा अंगीकार किया जाये तो अपेक्षित गणपूर्ति की, उस दशा में, जब बैठक 1/3 तक कम की गई हो, गणपूर्ति के अभाव में 1/5 तक कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है।

(च) उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन उपविधियों में अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना निबन्धक द्वारा निबन्धित किए कोई संशोधन मान्य नहीं होगा।

निर्वाचन विनियम

47. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन, उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम–2003 व इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में दिये गये प्राविधानां के अन्तर्गत होगा।

अविश्वास प्रस्ताव

48. उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम–2003 एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभापति को अविश्वास प्रस्ताव पर निकाला जा सकता है।

लेखा परीक्षा

49. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन की लेखा परीक्षा निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति /संस्था द्वारा की जायेगी।

विविध

50. 1. समय–समय पर अधिनियम, नियम व उपविधियों के अधीन निर्धारित शुल्क के भुगतान पर नियमों के अन्तर्गत एक या अनेक अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां जारी की जा सकती हैं।

2. उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन का कोई भी सदस्य अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, कार्यालय के समय में प्रबन्ध निदेशक को प्रार्थना पत्र देकर तथा 50/– रूपये शुल्क जमा करने पर उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के लेखों व अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि वह अभिलेख उस सदस्य द्वारा उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन के साथ किए गये व्यापार से सम्बन्धित हो।

51. प्रबन्ध समिति के अनुमोदन पर उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन अपनी मोहर बनायेगा, जिसमें उसका नाम व इम्ब्लम (लोगो) अंकित होगा। यह मोहर प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर अंगीकृत किया जायेगा। यह मोहर किसी भी अभिलेख, लेखा–पुस्तक या मशीनों पर प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रबन्ध समिति के सदस्यों के समक्ष या प्रबन्ध निदेशक के स्थान पर नियुक्त किए गये व्यक्ति द्वारा लगाई जायेगी।

व्याख्या

52. उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत यदि कोई विवाद उठता है तो उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन निर्णय हेतु उसे निबन्धक को प्रेषित करेगी जिसका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(दमयन्ती दोहरे)
निबन्धक/दुग्ध आयुक्त,
दुग्ध सहकारी समितियां उत्तरांचल
देहरादून।

कार्यालय निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल) कैम्प–देहरादून।

पत्रांक सी–1667/विधि/उपविधि/संशो0/फेड0/03–04 दिनांक 08 फरवरी, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपनिदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. मुख्य सामान्य प्रबन्धक, यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 लि0, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. सभापति, यू0सी0डी0एफ0 लि., हल्द्वानी, नैनीताल।

(दमयन्ती दोहरे)
निबन्धक/दुग्ध आयुक्त,
दुग्ध सहकारी समितियां उत्तरांचल
देहरादून।

कार्यालय निदेशक/निबन्धक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांकः–सी–2982/पी0 एण्ड आई0 पत्रा0/मानक निर्धारण/2012–13
हल्द्वानीः दिनांकः 06 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0–सी–2007/पी0 एण्ड आई0 पत्रा0/मानक निर्धारण/2012–13, हल्द्वानीःदिनांक 05.11.2012 में कतिपय संशोधन करते हुए प्रदेश में दुग्ध सहकारिताओं के क्षेत्र में दुग्धशालाओं/दुग्ध अवशीतन केन्द्रों में दुग्ध प्रक्रिया में वसा एवं वसा रहित ठोस से होने वाले लाभ/हानि हेतु सुधारात्मक दृष्टिकोण से तदर्थ मानकों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है–

क्र. सं.	विवरण	दुग्धशालाओं हेतु				दुग्ध अवशीतन केन्द्रों हेतु
1.	तरल दुग्ध संग्रहण/प्रक्रिया हेतु लाभ/हानि (दुग्धशालाओं में तरल दुग्ध की पैंकिंग तक होने वाली हानि) का तदर्थ मानकः–	**औसत विवरण**	**लीन सीजन**	**मीन सीजन**	**फ्लस सीजन**	वसा लाभ/हानि–शून्य (Zero)।
		1.1. वसा हानि (वार्षिक औसत):– (not more than 0.80%)	(not more than 0.90%)	(not more than 0.80%)	(not more than 0.70%)	
		1.2. ठोस रहित वसा हानि (वार्षिक औसत) :–(not more than 0.90%)	(not more than 1.00%)	(not more than 0.90%)	(not more than 0.80%)	ठोस रहित वसा लाभ/हानिः–शून्य (Zero)।
2.	बटर(पैकिंग हानि सहित)	वसा हानिः–(not more than 1.00%)				–
3.	घी– 3.1 पैकिंग हानि	वसा हानिः–(not more than 0.50%)				–
	3.2 उत्पादन हानि	वसा हानिः–(not more than 2.00%)				–

2. उक्त मानकों में हानि की सीमा अधिकतम दर्शायी गयी है। अतएव, समस्त प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक यह सुनिश्चित कर लें कि हानि हेतु निर्धारित किये गये मानकों की सीमा के भीतर कम–से–कम हानि हो।

3. उक्त मानकों का उपयोग दुग्ध सहकारिताओं में सम्प्रेक्षण आपत्तियों के समाधान हेतु भी किया जा सकेगा।

4. निर्धारित किये गये तदर्थ मानकों से अधिक हानि होने पर, हानि की वसूली निम्नवत् सुनिश्चित करायी जायेगी–

क्र. सं.	पदनाम विवरण (अधिकारी/कर्मचारी)	वसूली का विवरण	
		डेरी प्लाण्टों/दुग्धशालाओं हेतु	दुग्ध अवशीतन केन्द्रों हेतु
1.	ईकाई प्रभारी (संबंधित प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक अथवा अवशीतन केन्द्र प्रभारी) से।	20%	40%
2.	संबंधित डेरी प्लाण्ट/अवशीतन केन्द्र पर कार्यरत उत्पादन एवं गुणवत्ता आश्वासन के अधिकारी/कर्मचारियों (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) से समान रूप से जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।	शेष 80%	शेष 60%

5. प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक द्वारा उक्त से समस्त संबंधितों को सूचित करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

ह0–

(धीराज सिंह गर्ब्याल)

निदेशक/निबंधक

पत्रांकः सी–2982/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह अपने स्तर से जनपदीय जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को सूचित कर दें।
2. समस्त प्रबंधक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, जाखन देवी, अल्मोड़ा।
5. सहायक लेखाधिकारी, डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडेरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी/सम्पर्क कार्यालय, देहरादून/नोडल कार्यालय, श्रीनगर–गढ़वाल।
8. संयुक्त सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. अपर सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. प्रमुख सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

ह0–

(धीराज सिंह गर्ब्याल)

निदेशक/निबंधक

क्रम संख्या–365

रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0–4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0–4
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट पेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेष
उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा प्रकाषित
असाधारण
विधायी परिषिष्ट
भाग–4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनउ बुधवार, 12 अगस्त, 1981
श्रावण 21, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेष सरकार
पशुधन अनुभाग–4
संख्या 3271/बारह–ग–4–81–3 (95)–77
लखनउ, 12 अगस्त, 1981

अधिसूचना
प्रकिर्ण

सा0 प0 नि0–42

संविधान के अनुचछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेषें का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेष दुग्धधषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981

भाग एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष दुग्धधाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 कही जाएगी।

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक लिपिक वर्गीय सेवा हैं, जिसमें सेवा की प्रास्थिाति समूह ग के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकुल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) **नियुक्ति प्राधिकारी** का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से है,

(ख) **भारत का नागरिक** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) **संविधान** का तात्पर्य ऐसे भारत के संविधान से हैं,
(घ) **सरकार** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष सरकार से हैं,
(ड) **राज्यपाल** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष के राज्यपाल से हैं,
(च) **सेवा का सदस्य** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवत्त किन्ही नियमें या आदेषों के उपबन्धों के अधी न मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति से है,
(छ) **दुग्ध आयुक्त** का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से हैं,
(ज) **सेवा** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग से हैं, और
(झ) **भर्ती का वर्ष** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई, से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रभाग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा के सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रबर्ग के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेष न किये जायें, उतनी होगी जितनी इस नियमावली की परिषिष्ट क में विनिर्दिष्ट की गयी हैः

परन्तु

(1) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।
(2) राज्यपाल समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जो आवष्यक समझे जायें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती के श्रोत

5–सेवा में विभिन्न प्रवर्ग के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगीः–
(1) प्रधान सहायक– प्रधान कार्यालय के स्थायी प्रधान लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा।

(2) प्रधान लिपिक (प्रधाान कार्यालय)– स्थायी उपलेखक प्रालेखक और अधीनस्थ कार्यालयों के स्थायी प्रधान लिपिको में से पदोन्नति द्वारा।
(3) मुख्य कार्यालय में उपलेखक प्रालेखक और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान लिपिक–स्थायी ज्येष्ठ लिपिक में से पदोन्नति द्वाराः
परन्तु यदि उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हों, तो स्थायी कनिष्ठ लिपिकों (जिसमें नैत्यक लिपिक भी सम्मिलित हैं) को सम्मिलित करने के लिये पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता हैं।

(4) ज्येष्ट लिपिक– स्थाई कनिष्ठ लिपिकों में से जिसमें नैत्यक लिपिक और टंकक भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा।

(5) कनिष्ठ लिपिक जिसमें नैत्यक लिपिक और टंकक भी सम्मिलित हैं।

अधीनस्थ, कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वाराः

परन्तु यथासंभव, संवर्ग में 10 प्रतिषत पद समय समय पर जारी किये गये सरकार के आदेषें के अनुसार कार्यालय के हाई स्कुल परीक्षा उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(6) आषुलेखक– इस नियमावली के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए आरक्षण

(6)– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेषो के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हतायें

राष्ट्रिकता

(7)–सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवष्यक हैं कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1963 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड़ रिपब्लिक आफ तन्जानियां पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देष से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभयर्थी को ऐसा ब्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और की श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेष से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किय जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में केवल इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवष्यक हो , किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता हैं और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता हैं कि आवष्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

आयु

8–(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को उस नियमाली में निर्धारित आयु–सीमा के भीतर होना आवष्यक हैं।

(2) कनिष्ठ श्रेंणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित आतियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य वर्ग के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाये, अभ्यर्थियों की दषा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

शैक्षिक अर्हता

9–(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवष्यक है कि अभ्यर्थी उक्त नियमावली में निर्धारित अर्हतायें रखता हो। उसकी हिन्दी टंकण में कम से कम 25 षब्द प्रतिमिनट की गति भी होनी चाहिये।

(2) कनिष्ठ श्रेंणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवष्यक हैं कि अभ्यर्थी माध्यमिक षिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेष की इण्टरमिडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसकी हिन्दी आषुलिपिक में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रतिमिनट गति भी होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हतायें

10– ऐसे अभ्यर्थी को–

(एक) जिसने प्रादेषिक सेना में दो वर्ष तक न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय युवा सैनिक निकाय (नेषनल कैडिट कोर) का बी प्रमाण –पत्र प्राप्त किया हो,

(दो) कनिष्ट श्रेणी आषुलेखन के मामले मे अंग्रेजी आषुलिपि और टंकण का ज्ञान रखता हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

चरित्र

11– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निकाय या निगम या उपक्रम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होंगे ।

वैवाहिक प्रोस्थिति

12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विषेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13– किसी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शरीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तब्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने कि सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये किसी अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा कि जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये फाइनेंनसियल हेंड़ बुक, खण्ड दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पॉच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14– नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों कि संख्या और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियेां के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों कि संख्या भी अवधारित करेगा। कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद की रिक्तियों सेवायोजन को अधिसूचित की जायेगी और कनिष्ट श्रेणी लिपिक की रिक्तियां जिसमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक सम्मिलित हैं, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार जिला चयन समिति को सूचित की जायेगी।

कनिष्ट लिपिक के जिसमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक सम्मिलित है, पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

15– कनिष्ट लिपिक (जिसमें नैत्यक लिपिक आौर टंकक भी सम्मिलित हैं) के पदों पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

16– (1) कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो दुग्धषाला विकास अधिकारी, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से निम्न पद का न हो,

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट को दुग्धषाला विकास अधिकारी, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगीता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणीः– प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया और पाठ्य–विवरण परिषिष्ट खख में दिया गया हैं।

(3) अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्व किये जाने के

पश्चात चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिष्चित करने की आवष्यकता को ध्यान रखते हुये, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुॅच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में जैसा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल येाग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती

17–(1) पदोन्नती द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो सुसंगत समझे जायें, चयन समिति को अग्रसारित करेगा।

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में लिखित अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवष्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचीयें में हो,सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचीयों से नियुक्तियों कर सकता हैं। यदि इन सूचीयें का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियों कर सकता हैं परन्तु ऐसी नियुक्तियों छः मास से अधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।

परिवीक्षा

19–(1) किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर सभी व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बड़ा सकता हैं, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बड़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और

किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बड़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बड़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में यह प्रतीत हो की परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया हैं या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हैं तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता हैं और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किये जायें या जिसकी सेवाये समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये, गणना करने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण

(20)– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बड़ायी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जा सकता हैं, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त हैं।

ज्येष्ठता

(21)– किसी भी प्रवर्ग के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जाये तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम उक्त आदेष में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु–

(एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों कि परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो, और

(दो)श्सेवा में पदोन्नती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नती के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

टिप्पणीः– सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता को खो सकता यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिष्चय अन्तिम होगा।

भाग सात–लेखन

वेतनमान

22–(1) सेवा में विभिन्न प्रवर्ग के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिषिष्ट ग में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में

23–(1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी

वेतन

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनबृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और प्रषिक्षण जहॉ विहित हो, पूरा कर लिया हो ओर द्वितीय वेतन बृद्वि दो वर्ष की सेवा के पष्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनबृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देष न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनबृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देष न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

24– किसी व्यक्ति को–(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाये कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य उसका किया हैं, कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये, और

(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया हैं, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये और आषुलेखक से भिन्न अन्य व्यक्तियों के मामले में जब तक कि उसने कार्यालय के विनियमों और प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो।

भाग–आठ

पक्ष समर्थन

25– इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिष से भिन्न किसी अन्य सिफारिष पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य नियमों का विनियमन

26– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विषेष आदेषें के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप

के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेषों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में षिथिलता

27– जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विषिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेष द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवष्यक समझे, अभिमुक्त या षिथिल कर सकती हैं।

व्यावृति

28– इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
शमषाद अहमद,
सचिव।

परिषिष्ट–क

नियम 4 (2) देखिये

सेवा की स्थायी सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या

क स	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		कुल पद
			स्थायी	अस्थ	
1	प्रधान सहायक (450–25–575–द0रो0–25–700)	450–700	..	ायी 1	1
2	प्रधान कार्यालय के प्रधान लिपिक (300–8–324–9–360–द0रो0–10–440–द0रो0–12–500)	300–500	3	2	5
3	प्रधान कार्यालय के उपलेखक प्रालेखक (280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0रो0–10–385)	280–460	12	16	28
4	प्रधान लिपिक (सम्भागीय और अन्य अधीनस्थ कार्यालय)	....	.....	.....	...
5	ज्येष्ट लिपिक (230–6–290–द0रो0–10–385)	280–385	7	16	23
6	क्निष्ट लिपिक जिनमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक भी सम्मिलित है।	200–320	33	11	44
7	सवेतन षिषु	....	.....		...
8	आशुलेखक (300–8–324–9–360–द0रो0–0–8–300	300–350	4	 6	10

परिषिष्ट–ख

नियम 15 (3) देखिये

कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

नियुक्ति प्राधिकारी उपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले अभ्यर्थियों से विहित आवेदन पत्र में सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों को लिखित और मौखिक परीक्षा के लिये परीक्षा –फीस के रूप में 2 रू0 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दषा में 1 रू0) का भुगतान करना होगा। यह फीस कोषागार चालान द्वारा उचित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राज्य के किसी कोषागार में जमा की जायेगी। परीक्षा फीस की वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं कीया जायेगा। अभ्यर्थीयों को हिन्दी आषुलिपि और टंकण की एक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना पडेगा। उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित अधिकतम अंक और उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक नीचे दिये गये है :–

क स	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक
1	हिन्दी आषुलिपि और टंकण	100	33 प्रतिषत
2	मौखिक परीक्षा	50	33 प्रतिषत

परिषिष्ट–ग

नियम 22 देखिये

क स	पद का नाम	वेतनमान
1	प्रधान सहायक	450–25–575–द0रो0–25–700 रू0
2	प्रधान कार्यालय के प्रधान लिपिक	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440 –द0रो0–12–500 रू0
3	प्रधान कार्यालय के उपलेखक प्रालेखक	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400 –द0रो0–12–460 रू0
4	प्रधान लिपिक (सम्भागीय और अन्य अधीनस्थ कार्यालय)	280–8–295–9–350–द0रो0–10–400 –द0रो0–12–460 रू0
5	ज्येष्ट लिपिक	230–6–290–द0रो0–9–335–दरो0–1 0–385 रू0
6	कनिष्ट लिपिक जिनमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक	200–5–285–द0रो0–6–280–द0रो0– 8–320 रू0
7	ावेतन षिषु	200 रू0 प्रतिमाह नियत
8	आशुलेखक 300–500 रू0 के वेतनमान में	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440 –द0रो0–12–500रू0

व्यावृति

रजिस्टर्ड नं0 ए0बी0–4
लाइसेन्स संख्या डबल्यू0पी0–41
(लाईसेन्सड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमैण्ट)
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ,सोमवार, 10 मई, 1982
बैशाख–20, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या–1766/बारह–दु0वि0अनु0–82–3(107)–77
लखनऊ 10 मई, 1982

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–109

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982

भाग एक– सामान्य

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा एक अराजपत्रित हैं, जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं

3– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में .....

क– ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त से है।

ख– ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से है।

ग– ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

घ– ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

ड– ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

च– ''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह एक'' का तात्पर्य ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक, ज्येष्ठ औद्योगिक निरीक्षक(दुग्धशाला), ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक और ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक के पद धारण करने वाले अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

छ–''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह–दो'' का तात्पर्य सहायक प्राविधिक अधिकारी दुग्धशाला रसायनज्ञ दुग्धशाला प्रभारी, विक्रय प्रभारी दुग्ध निरीक्षक और प्राविधिक अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

ज–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

झ– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

ञ– ''सम्भागीय अधिकारी'' का तात्पर्य किसी राजस्व मण्डल में नियुक्त दुग्धशाला विकास अधिकारी से है।

ट–''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास अधीनस्थ सेवा से है।

ठ–''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

सेवा की प्रास्थिति

परिभाषायें

ड– ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी,जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जायें

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी ही होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट''क'' में दी गयी है ।

परन्तुः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल समय समय पर ऐसी अतिरिक्त अस्थाई या स्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह आवश्यक समझे,

भाग–तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी

(1) निरीक्षक समूह एक(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(2) समूह दो के ऐसे स्थायी निरीक्षकों और स्थायी राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षको में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथाशक्य संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा घृत किये जायें ।

टिप्पणीः– समूह दो के निरीक्षकों के नाम ज्येष्ठता–क्रम में, जैसा मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित हो, रखकर और उसके पश्चात सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों के नाम उस प्रकार अवधारित ज्येष्ठता क्रम में रखकर, पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

सेवा का संवर्ग

(2) निरीक्षक समूह दोः– ऐसे स्थायी सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो(जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है,(पदोन्नति द्वारा)

(3) सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक सीधी भर्ती द्वारा ।

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण,भर्ती के समक्ष प्रवृत्त सरकारी आदेशों के तहत किया जायेगा

भाग–4 अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसनें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश कैनिया,उगाण्डा या यूनाइण्टेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

भर्ती का श्रोत

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रेमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,गुंप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंः।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय ।

आरक्षण

(8) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता होः–

(1)निरीक्षण समूह–एक

राष्ट्रिक्ता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक।

या

भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशे शज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं के संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी/भारतीय दुग्ध उत्पादक/कारखाने में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(2)सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक

अनिवार्यः– कृषि में कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो ।,

अधिमानीः– दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव ।

9– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में

अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दों) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक न हुई होनी चाहिएः

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिदिष्ट की जायें ।

शैक्षिक अर्हता

11– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें ।

(12) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रहीं हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका या समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

अधिमानी अर्हतायें

(13) किसी अभ्यर्थी को ऐसा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारिरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पडने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामैंन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्सियल हैण्डबुक खण्ड–दो भाग–तीन के अध्याय तीन में दिए गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

आयु

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग–पांच –भर्ती की प्रकिया

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । निरीक्षक समूह एक के पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी और सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों के पद की रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को दी जायेगी ।

चरित्र

15– (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में

आमंत्रित किए जायेंगें जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग के नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यन में रखते हुए, अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

वैवाहिक प्रास्थिति

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता–क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा में उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

शारिरिक स्वस्थता

16– निरीक्षक समूह एक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया)नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

टिप्पणी :–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्परामर्श चयनान्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 की एक प्रतिलिपि परिशिष्ट – ख– में दी गई है।

रिक्तियों का अवधारण

17––(1) निरीक्षक समूह दो के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी।

(दो) दुग्धशाला विकास अधिकारी } नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम
(तीन) दुग्धशाला विकास अधिकारी } निदिष्ट किये जायेंगें ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निदिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यथियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

निरीक्षक समूह एक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

18–(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें :–

(एक) दुग्ध आयुक्त
(दो) दुग्ध आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट दुग्धशाला विकास अधिकारी
(तीन) दुग्धशाला अभियन्ता ।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।

निरीक्षक समूह एक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(3)चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम उस पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा

अधिक नहीं) होगी ।

निरीक्षक समूह दो के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

19– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूची से इस प्रकार लिये जायेगें कि विहित प्रतिशत बने रहे ।सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

(एक) यदि नियुक्ति सीधी भर्ती (सी0भ0) और पदोन्नति(प0) दोनों प्रकार से 50:50 के अनुपात में की जानी हो और किसी विशिष्ट वर्ष में 20 रिक्तियां हो तो ऐसी स्थिति में 10 रिक्तियां सीधी भर्ती वाले को और 10 रिक्तियां पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को दी जायेगी । चयन किये जाने के पश्चात संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगी :–

1. प0	11. प0
2. सी0भ0	12. सी0भ0
3 प0	13. प0
4 सी0भ0	14. सी0भ0
5.. प0	15. प0
6. सी0भ0	16 सी0भ0
7.. प0	17 प0
8. सी0भ0	18 सी0भ0
9.. प0	19 प0
10.. सी0भ0	20 सी0भ0

सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भती की प्रकिया

(दो) यदि उपर्युक्त मामलें में, किसी वर्ष (एक्स) में विहित कोटे के अनुसार भर्ती के बजाय,12 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 8 व्यक्ति सीधी भर्ती किये जायें और सीधी भर्ती के कोटें में कमी को अगले वर्ष(वाई) में 20 रिक्तियों में से 12 सीधी भर्ती और 8 पदोन्नति द्वारा भर्ती करके पूरा किया जाय तो (एक्स) और (वाई) वर्ष की संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगीः–

संयुक्त चयन सूची

(एक्स) वर्ष	(वाई) वर्ष	
1. प0	1. सी0भ0}	
2. सी0भ0	2. सी0भ0}	एक्स वर्ष का भरा न गया कोटा ।
3. प0	3. प0	एक्स वर्ष का आधिक्य
4. सी0भ0	4. सी0भ0	
5. प0	5. प0	एक्स वर्ष का आधिक्य
6. सी0भ0	6. सी0भ0	
7. प0	7. प0	
8. सी0भ0	8. सी0भ0	
9. प0	9. प0	
10. सी0भ0	10 सी0भ0	
11. प0	11. प0	
12. सी0भ0	12. सी0भ0	
13. प0	13. प0	
14. सी0भ0	14. सी0भ0	
15. प0	15. प0	
16. सी0भ0	16. सी0भ0	
17. प0	17. प0	
18. सी0भ0	18. सी0भ0	
19. प0	19. प0	
20 सी0भ0	20 सी0भ0	
	21 प0	
	22 सी0भ0	

भागछः— नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

20—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम,यथास्थिति, नियम —15, 16, 17, 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुतियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों श्रोतो से चयन न कर लिया जाये और नियम 19 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जाये ंतो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग मे ंजिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये, विधमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये ंतो नाम नियम 19 में निदिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेगें ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उपनियम(1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और जहां पद आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर हों, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) निनियम, 1854 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगें ।

परिवीक्षा

21——(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में, या उसके प्रति नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेगें, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय,परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक और, किसी भी परिस्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा—अवधि या बढाई गई परिवीक्षा—अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का प्र्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सका है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

22–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा यदि –
क– उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो।
ख– उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।
ग– उसका कार्य और आचरण संताषजनक बताया जाय।
घ– उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
ड– नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

23–(1) एतद्पश्चात यह उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाये ंतो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें हो, अवधारित किये जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाये ंतो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलें में, उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जाये ंतो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 20 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता भी खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों से बिना कार्यभार गृहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो । जिससे उनकी पदोन्नति की गयी हो ।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक श्रोत से की जायें वहा उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 19 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :–

परन्तु –––

(एक) जहां किसी एक श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जायें वहा कोटा से अधिक व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए नीचे अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हो, रखा जायेगा ।

(दो) जहां किसी श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जायें वहां इस प्रकार नियुक्ति व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जायें ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे उपर रखे जायेगें जिसके बाद अन्य नियुक्ति व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेगें ।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतन

24 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुमन्य वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट''क''में दिये गये है ।

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान

25–(1) फण्डामैण्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो,विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर लिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामैण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवको पर लागू सुसंगत नियमों के द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

26– किसी भी व्यक्ति को –

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पर करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया जो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

28– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें

सेवा की शर्तो में शिथिलता

29– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में

लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातो पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार, अनूसूचित जातियों, जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
शमशाद अहमद,
आयुक्त एवं सचिव,
कृषि उत्पादन।

परिशिष्ट ——क
(नियम 4 और 24)

श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान	स्थायी	अस्थायी
1.	समूह एक	350—15—500—द0रो0	44	—
	(एक)ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक	—20—600—द0रो0 —25—700		
	(दो)ज्येष्ठ औधोगिक निरीक्षक	.....तदैव.....	1	——
	(तीन)ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक	.....तदैव.....	1	——
	(चार)ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	.....तदैव.....	1	——
2.	समूह दो	280—8—296—9—350—	10	1
	(एक)सहायक प्राविधिक अधिकारी	द0रो0—10—400—द0रो 0—12—460		
	दुग्धशाला रसायनज्ञ	.....तदैव.....	1	——
	विक्रय प्रभारी	.....तदैव.....	1	——
3.	सरकारी दुग्ध पर्य0	200—5—250—द0रो0—6 —280—द0रो0—8—320	184	112

क्रम सं0–255

रजिस्टर्ड नं0 ए0जी0–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4 खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ,वृहस्पतिवार, 21 मई, 1981

बैशाख–31, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन अनुभाग

संख्या–859 / बारह–प–4–81

लखनऊ 22 अप्रैल, 1982

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–109

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1981

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा नियमावली, 1981 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

परिभाषायें

2–उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा में समूह ''क'' और ''ख'' के पद सम्मिलित है

3– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में .....

क– ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

ख– ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक हो या समझा जायें ।

ग ''आयोग'' का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ।

घ– ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

ड– ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

च– ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

छ–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

ज– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

झ–''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा से है,और

य– ''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह एक'' का तात्पर्य ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक, ज्येष्ठ औद्योगिक निरीक्षक(दुग्धशाला), ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक और ज्येष्ठ

प्राविधिक सहायक के पद धारण करने वाले अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

छ–''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह–दो'' का तात्पर्य सहायक प्राविधिक अधिकारी दुग्धशाला रसायनज्ञ दुग्धशाला प्रभारी, विक्रय प्रभारी दुग्ध निरीक्षक और प्राविधिक अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

ज–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारभ्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

झ– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

य ''भर्ती का वर्ष '' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

सेवा का संवर्ग

भाग–दो संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी,जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जायें ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या, जबतक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें । उतनी ही होगी, जितनी नीचे दी गयी है ।

पद का नाम	संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
समूह ''क''		
1. मुंख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी प्रास्थगित	1	–
2. दुग्धशाला विकास अधिकारी	1	7
3. दुग्धशाला(प्राविधिक) अभियन्ता	1 ——	
समूह''ख''		
1. उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	6 1	3
2. दुग्धशाला सर्वेश्रक	——	
3. दुग्धशाला प्रबन्धक	6	11
4. सहायक निदेशक	2	–
5. सहायक निदेशक(प्रशासन)	1	–
6. सांख्यिक	1	–

परन्तु राज्यपाल :–

(एक किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते है या उसे प्रास्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) समय समय पर ऐसी अतिरिक्त अस्थाई या स्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जो आवश्यक समझे,

भर्ती का श्रोत

भाग–तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी ।

1. मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारीः– ऐसे दुग्धशाला विकास

अधिकारियों से जो इस पद पर स्थायी हो या इस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हो और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्घशाला सर्वेश्रक,दुग्धशाला प्रबन्धक या सहायक निदेशक के पद पर स्थायी हो,योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

2. दुग्धशाला विकास अधिकारीः– ऐसे स्थायी उपदुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्रबन्धक, सहायक निदेशक और दुग्घशाला सर्वेश्रक में से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा(जिसमें अस्थायी सेवा शामिल हो) पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा ।

3.उपदुग्धशाला विकास अधिकारीः–*(एक) अधीनस्थ दुग्धशाला विकास सेवा समूह*

4. सहायक निदेशक–'एक'' के ऐसे स्थायी सदस्यों में से जिन्होंने भर्ती

5.दुग्धशाला सर्वेक्षक के वर्ष के प्रथम दिनांक को 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

6. दुग्धशाला प्रबन्धक (दो) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा – परन्तु उपदुग्धशाला विकास अधिकारी, सहायक निदेशक, दुग्घशाला सर्वेश्रक और दुग्धशाला प्रबन्धक के पदों पर भर्ती इस प्रकार से की जायेगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा घृत किये जायें ।

7. दुग्धशाला प्राविधिक अभि0–आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

8.सांख्यिक– ऐसे स्थायी सांख्यिकी सहायकों में से जिन्होंने इस पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को 5 की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

आरक्षण

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के तहत किया जायेगा

भाग–4 अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसनें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी किसी पूर्वी अफ्रिकी देश कैनिया,उगाण्डा या यूनाइण्टेड रिपब्लिक आफ

तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,गुंप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरितकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय ।

(8) सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हतायें ऐसी होनी चाहिए कि जैसी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है ।

शैक्षिक अर्हता

(9) ऐसे अभ्यर्थी को–

अधिमानी अर्हतायें

(एक) जिसने प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) जिसने राष्ट्रीय यूव सैनिक निकाय(राष्ट्रीय कैडेट कोर) का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

10–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिए और दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता के पद के संबंध में 35 वर्ष और अन्य पदों के संबंध में 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिएः

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य प्रवर्गों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जायें ।

11– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान

चरित्र

करेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें

वैवाहिक प्रास्थिति

(12) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रहीं हो। परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक अस्वस्थता

(13) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारिरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग–पांच –भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारितकरेगा और आयोग को ऐसी रिक्तियों की सूचना देगा जो उसके माध्यम से भरी जायें।

उपदुग्धशाला विकास अधिकारी/सहायक निदेशक/दुग्धशाला सर्वेक्षक/दुग्धशाला प्रबन्धक/दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया ।

15–(1) आयोग द्वारा चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है, आमंत्रित किये जायेगें ।

(2) आयोग द्वारा नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों का समयक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितनी वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हो ।

(3)आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके

नाम रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी और दुग्घशाला विकास अधिकारी सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती

16–(1)मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्घशाला विकास अधिकारीऔर सांख्यिक के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(क) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी पद के लिये

(एक) सचिव,कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार

(दो) सचिव,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 सरकार, और

(तीन) दुग्ध आयुक्त।

(ख) दुग्धशाला विकास अधिकारी पद के लिए

(एक) सचिव,पशुधन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ग) सांख्यिक के पद के लिए

(एक) विशेष सचिव, पशुधन विकास विभाग, जो सचिव और आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(दो) उपसचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।

(तीन) दुग्ध आयुक्त ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अथ्भिलेख के साथ जो उचित समझे जायें,चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलें पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

टिप्पणीः– चयन करते समय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 15/25/75/रा0एकी0 दिनांक 10 मई 1976 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी (प्रतिलिपि परिशिष्ट ''ख'' के रूप में संलग्न है)

उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,सहायक निदेशक दुग्धशाला प्रबन्धक और दुग्धशाला सर्वेक्षण

17–उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्धशाला प्रबन्धक,सहायक निदेशक और दुग्धशाला सर्वेक्षक और सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथासंसोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समपरामर्श चयनोन्नति(प्रकिया)नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी ।

के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती

संयुक्त सूची

18– यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जाती हो तो नियम 15 और 17 के अनुसार तैयार की गयी सूचियों से नाम अनुकल्पतः लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें पहला नाम नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी सूची से होगा

भागछः– नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19–(1)मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राविधाकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम –15, 16, 17, या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो । नियुक्तियां करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उपनियम(1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में ऐसी रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है।

परन्तु मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी या दुग्धशाला विकास अधिकारी पद पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या अगला चयन किए जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी और अन्य सेवा में शेष पदों में से किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति आयोग से परामर्श लिए बिना कुल मिलाकार लगातार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उक्त पद को धृत नहीं करेगा ।

परिवीक्षा

20––(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में, या उसके प्रति, नियुक्ति किए जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेगें, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय,

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और, किसी भी परिस्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढाई गई परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सका है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन

प्रत्यावर्तित किया जायेगा जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने के लिए अनुमति दे सकता है।

विभागीय परीक्षा

21– परिवीक्षा अवधि के दौरान समस्त अधिकारियों से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जिसे राज्यपाल समय–समय पर विहित करें ।

स्थायीकरण

22– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा यदि –

क– उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो।

ख– उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

ग– उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

घ– उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ड– नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

23–(1) सेवा में किसी भी प्रवर्ग या पद पर ज्येष्ठता मौलिकरूप से नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाये तो उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें हो,

परन्तुः–

(1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जायें, और

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा घृत मौलिक पद पर रही हो। टिप्पणीः–

(1) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार गृहण करने में विफल रहे । कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा

(2) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायें, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो । वहा उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जायेगा । अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

भाग सात

वेतनमान

24 (1) सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान नीचे दिये गये है :–

क्र0स0	पद का नाम	वेतनमान
1.	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	1200–50–1500–द0रो0–60–1800
2.	दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	1400–50–1500–द0रो0–60–1800
3.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	800–50–1050–द0रो0–50–1300–द0रो0 –50–1450
4.	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,सहायक निदेशक,दुग्धशाला प्रबन्धक और दुग्धशाला सर्वेक्षक	550–30–700–द0रो0–40–900–द0रो0–50–1200
5.	सांख्यिक	550–30–700–द0रो0–40–900–द0रो0–50–1200

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान

25–(1) फण्डामैण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पूरा कर लिया हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामैण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों के द्वारा विनियमित होगा

दक्षता रोक पार

26–(1) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और

करने का मानदण्ड

अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो यह न पाया जायें कि उसने उचित नियंत्रण का प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संताषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(2) दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया जो, और यह न पाया जाय कि वह पर्याप्त प्राविधिक जानकारी रखता है ।और उसने उसका उचित प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जायें और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(3) दुग्धशाला विकास अधिकारी को (एक) प्रथमदक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो यह न पाया जायें कि वह पर्याप्त प्राविधिक जानकारी रखता है और उसने उसका उचित प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपनी दक्षता को लगातार बनाये न रखा हो । यह प्रमाणित न कर दिया जायें कि वह उच्चतर उत्तरदायित्व के पद को धारण करने के लिये उपयुक्त है, उसका आचरण संतोषजनक न पाया जायें और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जायें ।

(4) उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्धशाला प्रबन्धक, दुग्घशाला सर्वेक्षक, सहायक निदेशक या सांख्यिक को –

(एक)प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाये कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया गया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, यह न पाया जाय कि उसने पर्याप्त व्यवसायिक कौशल का प्रदर्शन किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त

करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

28– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

29– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह आयोग के परामर्श से जहां आवश्यक हो,उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातो पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार, अनूसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
शमशाद अहमद,
सचिव,

———————

परिशिष्ट–''क''
(नियम 8 देखियें)

समूह ''क'' और ''ख'' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव ।

दुग्धशाला (प्राविधिक अभियन्ता)

अनिवार्य अर्हतायें–

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से यांत्रिक या विधुत अभियन्त्रण में उपाधि (यांत्रिक अभियंत्रण में अधिमान दिया जायेगा)
(2) बायलर प्रशीतन दुग्धशाला संयंत्र कर्मशाला, डीजल जेनरेटर्स इत्यादि में कम से 10 वर्ष का अनुभव ।

अधिमानी अर्हतायें–

(1) डिजाईन तैयार करने का अनुभव और डिजाईन तैयार करने में आधुनिक विकास का ज्ञान/अनुभव ।
(2) दुग्धशाला के पुर्नगठन और प्राविधिक ज्ञान का अनुभव ।
(3) प्रशीतन,बायलर और घृत, अधिष्ठापन का प्रशिक्षण ।

अनिवार्य अर्हतायें –

उपदुग्धशाला विकास अधिकारी प्रबन्धक, दुग्धशाला सर्वेक्षक,दुग्धशाला सहायक निदेशक

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से दुग्धशाला प्रौधोगिकी में स्नातक उपाधि ।

या

किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविधालय या विदेशी संस्थान से दुग्धशाला विज्ञान में डिप्लोमा ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से पशुपालन और दुग्धशाला में विशषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि ।

(2) दुग्धशाला प्रौधोगिकी में जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं है, उनके लिये सहकारी दुग्ध योजना या दुग्ध उत्पाद संयंत्र में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।

(3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।

संख्या–19 / **XV**–2 / 2(30)06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनःदिनांक 25 फरवरी,2009

विशय– डेरी विकास विभाग का देहरादून स्थित सम्पर्क कार्यालय को पुनः क्रियाशील करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक आपके पत्र संख्या–531–32 / स्था0 / 2008–09 कैम्प–देहरादून, दिनांक 18–09–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डेरी विकास विभाग के कार्यो की तीब्र गति प्रदान किये जाने,शासन स्तर से अल्प समय में सूचनाएं प्राप्त करने एवं देहरादून में आहूत की जाने वाली समस्त बैठकों में निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के उददेश्य से सभी आयोजित की जाने वाली बैठकों में डेरी विकास विभाग का एक सम्पर्क कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता महशूस की जा रही है । इस संबंध में पूर्व में एक सम्पर्क कार्यालय बना हुआ था जो कि वर्तमान में निश्क्रय है, को पुनः क्रियाशील किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है । डेरी विकास विभाग के देहरादून स्थित सम्पर्क कार्यालय में निम्न पदों के कार्मिक तैनात रहेगेंः–

1.	उपनिदेशक	–	01 पद
2.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	–	01 पद
3.	मुख्य सहायक	–	01 पद
4.	कनिष्ठ सहायक	–	01 पद
5.	लेखाकार	–	02 पद

भवदीय,
ह / –
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव ।

संख्या– /09 / (1) / **XV**–2 / 2(30)06 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निजी सचिव–मा0 मंत्री,दुग्ध विकास के संज्ञानार्थ हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
ह / –
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
डेयरी विकास विभाग
संख्या 60/व0ग्रा0वि0/डेयरी विकास
देहरादून दिनांक 28 जून 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में डेयरी विकास विभाग के पुनर्गठन विशयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 527/xii–62/वन एंव ग्राम्य विकास /2001 दिनांक 30–03–2001 के क्रम में श्री राज्यपाल डेयरी विकास विभाग की संरचना संलग्नक–1 के अनुसार तथा डेयरी विकास विभाग के निदेशालय एवं जनपदों में पदों की स्वीकृति संलग्नक–2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार किये जाने की सहज अनुमति प्रदान करते है ।

संलग्नक– यथोपरि

(डा0आर0एस0टोलिया)

प्रमुख सचिव
संख्या 60/वन एवं ग्राम्य विकास/डेयरी/2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

1. दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल ।
2. निदेशक, डेयरी विकास, उत्तरांचल मगंल पड़ाव हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. निदेशक, महिला डेयरी विकास, उत्तरांचल अल्मोड़ा ।
4. समस्त सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल ।
5. समस्त उप–निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल हल्द्वानी (नैनीताल)।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
8. समस्त कोशाधिकारी/वरिश्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल ।
9. निदेशक, कोशागार, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
10. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोश्ठ, 5–ए, थार्नहिल रोड, सत्यनिश्ठा भवन, हलाहाबाद ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन ।
12. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कृशि एवं डेयरी विकास, उत्तरांचल शासन।
13. अनुभाग अधिकारी, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन ।

आज्ञा से
(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव

बन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराचंल शाखा
डेयरी विकास अनुभाग

शासनादेश संख्या–60 / ब0ग्रा0वि0 / डेरी विकास देहरादूनः जूनः 28ः 2001 का संलग्नक–2

क्र0स0	नाम जनपद	पदों का विवरण	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	निदेशालय, मंगल पड़ाव हल्द्वानी (नैनीताल)	1.उपनिदेशक	01	10000–15200
		2.वरिष्ठदुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		3.अन्वेषक कम संगणक	01	4500–7000
			02	4000–6000
		4.आशुलिपिक	01	4000–6000
		5.वरिष्ठ सहायक	03	4000–6000
		6.वरिष्ठ लिपिक	01	4000–6000
		7.सहायक लेखाकार	01	3050–4590
		8.कनिष्ठ लिपिक	07	3050–4590
		9.चालक	05	2550–3200
		10.सहयोगी		
		योग	23	
1.1	नोडल कार्यालय, श्रीनगर गढ़वाल	1.आशुलिपिक	01	4000–6000
		2.वरिष्ठ सहायक	01	4000–6000
		3.सहायक लेखाकार	01	4000–6000
		4.चालक	01	3050–4590
		10.सहयोगी	01	2550–3200
		योग	05	
2.	पिथौरागढ़	1. सहायक निदेशक	01	8000–13500
		2. वरि0दुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		3. राज0दुग्ध पर्यवेक्षक	05	3200–4900
		4. कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
		5. चालक	01	3050–4590
		6. सहयोगी	01	2550–3200
		योग	10	
3.	अल्मोड़ा	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक	01	5000–8000
		2. लेखा लिपिक	01	4000–6000
		3. रा0दु0पर्य0	08	3200–4900
		4. कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
		5. चालक	01	3050–4590
		6. सहयोगी	02	2550–3200
		योग	14	

4.	चम्पावत	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. चालक 4. सहयोगी	01 04 01 01	5000–8000 3200–4900 3050–4590 2550–3200
		योग	07	
5.	वागेश्वर	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	06	
6.	नैनीताल	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. चालक 6. सहयोगी	01 01 05 01 01 02	5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	11	
7.	उधमसिंहनगर	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	06	
8.	चमोली	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक 3. लेखालिपिक 4. राज0दुग्ध पर्यवेक्षक 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 01 01 07 01 01 02	8000–13500 5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	14	
9.	रूद्रप्रयाग	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. रा0दु0पर्य0 3. सहयोगी	01 04 01	5000–8000 3200–4900 2550–3200
		योग	06	
10.	पौड़ी गढ़वाल	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. चालक 6. सहयोगी	01 01 07 01 01 01	5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	12	
11.	टिहरी गढ़वाल	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक	01 01	8000–13500 5000–8000

		3. लेखा लिपिक 4. रा0दु0पर्य0 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 07 01 01 02	4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	14	
12.	उत्तरकाशी	1. सहायक निदेशक 2. वरि0दुग्ध निरीक्षक 3. लेखा लिपिक 4. रा0दु0पर्य0 5. कनिष्ठ लिपिक 6. चालक 7. सहयोगी	01 01 01 07 01 01 01	8000–13500 5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 3050–4590 2550–3200
		योग	13	
13.	देहरादून	1. वरि0दुग्ध निरीक्षक 2. लेखा लिपिक 3. रा0दु0पर्य0 4. कनिष्ठ लिपिक 5. सहयोगी	01 01 05 01 01	5000–8000 4000–6000 3200–4900 3050–4590 2550–3200
		योग	09	
14.	हरिद्वार	1. रा0दु0पर्य0	04	3200–4900
		योग	04	
		कुंल योग	154	

ह/–

(आर0एस0टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन, देहरादून
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या 527/xii–62/व0 एंव ग्रा0वि0 /2001
देहरादून दिनांक मार्च 30, 2001

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में दुग्ध विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुसंगत करने और उसे सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु वर्तमान मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा क्षेत्रीय विकास अधिकारी कार्यालयों को पुर्नगठित करते हुए श्री राज्यपाल डेरी विकास निदेशालय उत्तरांचल के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।जिसका मुख्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) होगा ।

2. उक्त निदेशालय के गठन स्थापना के साथ ही निम्नलिखित पदों को उनकेसम्मुख अंकित पदनाम में परिवर्तित किये जाने की भी अनुमति प्रदान करते है ।

क0सं0	वर्तमान पदनाम	परिवर्तित राजकीय पदनाम	उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन/दुग्ध संघों में पदेन पदनाम
1.		दुग्ध आयुक्त (पदेन)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन
2.	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास	निदेशक, डेरी विकास	मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल सहकारी डेरी फेडरेशन
3.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	उप निदेशक	सामान्य प्रबन्धक
4.	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	सहायक निदेशक	प्रबन्धक
5.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	–	उप प्रबन्धक
6.	दुग्ध निरीक्षक	–	सहायक प्रबन्धक
7.	लेखाधिकारी	–	वित्त नियन्त्रक
8.	उप दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	–	प्रबन्धक तकनीकी संघ

निदेशक, डेरी विकास को फाइनेंसियल हैण्डबुक माड्यूल एक, दो **(खण्ड दो से चार)** तीन तथा पांच एवं जी0पी0एफ0 रूल्स में उल्लिखित संगत नियमों के प्रयोजनार्थ विभागध्यक्ष तथा बजट मैनुअल के प्रयोगनार्थ विभाग को बजट नियंत्रक अधिकारी और विभाग/अधिष्ठान के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है ।

ह0/–
(डा0 आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन, देहरादून
संख्या 527(1)/xii–62/वन एंव ग्राम्य विकास /2001

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

1. दुग्ध आयुक्त, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल ।
2. मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल, श्रीनगर (गढ़वाल)।

3. निदशक, महिला डेयरी विकास, उत्तरांचल अल्मोड़ा ।
4. समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तरांचल ।
5. समस्त उप–दुग्धशाला विकास अधिकारी /दुग्धशाला प्रबन्धक, उत्तरांचल ।
6. समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराचल ।
9. समस्त कोशाधिकारी/वरिश्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल ।
10. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन ।
11. निदेशक, कोशागार, उत्तरांचल शासन ।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एंव लेखन सामग्री, रूड़की की गजट में प्रकाशनार्थ तथा उक्त की 200 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु ।
13. महालेखाकार, उत्तरांचल प्रकोश्ठ, इलाहाबाद ।
14. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन
15. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी कृशि एवं डेरी विकास, उत्तरांचल शासन ।
16. अनुभाग अधिकारी, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन ।

आज्ञा से

(डा0 पी0एस0 गुसांई)

अपर सचिव

डेरी विकास निदेशालय एवं नोडल कार्यालय, डेरी विकास विभाग (उत्त0)हेतु स्वीकृत
पदों का विवरण

शासनादेश संख्या–73 / /डेरी /2004 दिनांक 9 फरवरी, 2004 का संलग्नक ।

क्र0सं0	नाम कार्यालय/जनपद	पदनाम	पदों का संख्या	वेतनमान
1.	**निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)**	1. निदेशक (विभागाध्यक्ष)आई0ए0एस0/पी0सी0ए स0 संवर्ग	1	16400–20000
		2. संयुक्त निदेशक (विभागीय)	1	12000–16500
		3.उपनिदेशक	2	10000–15200
		4. सहायक डेरी प्राविधिक अभियन्ता (प्रति नियुक्ति पर)	1	8000–13500
		5. सहायक लेखा अधिकारी	1	6500–10500
		6. लेखाकार	1	5000–8000
		7. सहायक लेखाकार सह–कम्प्यूटर आ0	2	4500–7000
		8. वैयक्तिक सहायक	1	5500–9000
		9. मुख्य लिपिक	1	5000–8000
		10. वरिश्ठ सहायक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		11. वरिश्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	4000–6000
		12. कनिश्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	6	3050–4590
		13. आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		14. आाुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	3	4000–6000
		15. लेखालिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4000–6000
		16. अन्वेशक–कम–संगणक	1	4500–7000
		17. चालक	5	3050–4590
		18. सहयोगी	8	2550–3200
		योग	**39**	
2.	**नोडल कार्यालय डेरी विकास विभाग उत्तरांचल श्रीनगर–पौढ़ी गढवाल**	1. उपनिदेशक	1	10000–15200
		2. लेखाकार	1	5000–8000
		3. सहायक लेखाकार–सह–कम्प्यूटर आपरेटर	1	4500–7000
		4. मुख्य लिपिक	1	5000–8000
		5. वरिश्ठ सहायक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4500–7000
		6. वरिश्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	4000–6000
		7. आशुलिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	1	4000–6000
		8. कनिश्ठ लिपिक–सह–कम्प्यूटर आ0	2	3050–4590
		9. चालक	1	3050–4590
		10.सहयोगी	2	2550–3200
		योग	**13**	

		कुल योग	**52**	

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन,
पशुपालन,मत्स्य एवं डेरी विकास अनुभाग
संख्या 73 / डेरी / 2004 / 2(62) / 2001
देहरादूनः दिनांक 9 फरवरी, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल में डेरी विकास कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तथा सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय डेरी विकास विभाग उत्तरांचल के पुर्नगठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा डेरी विकास विभाग के निदेशालय, नोडल कार्यालय एवं जनपदीय कार्यालयों हेतु इस शासनादेश के संलग्नक–01 एवं 02 में उल्लिखित विवरणानुसार पदों की स्वीकृति प्रदान करते है ।

सलंग्नक–यथोपरि

ह0 / –
(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्या–73(1) / डेरी / 2004 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव0ं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

1. निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
2. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल
3. समस्त उप निदेशक, डेरी विकास उत्तरांचल
4. उपनिदेशक, नोडल कार्यालय, डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल, श्रीनगर गढ़वाल
5. समस्त कोशाधिकारी / वरिश्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
8. निदेशक,महिला डेरी परियोजना उत्तरांचल अल्मोड़ा
9. दुग्ध आयुक्त, डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल देहरादून
10. निदेशक, कोशागार एंव वित्त सेवाऐं, उत्तरांचल देहरादून
11. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को गजट में प्रकाशनार्थ एवं अधिसूचना की 200 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु
13. वित्त अनुभाग–1 एवं 2 उत्तरांचल शासन
14. कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तरांचल शासन
16. निजी सचिव, माननीय मंत्रीजी सहकारिता, पशुपालन मत्स्य एवं डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल
17. गोपन (मंत्रिपरिशद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन
18. अनुभाग अधिकारी, डेरी विकास उत्तरांचल शासन
19. गार्ड फाइल

आज्ञा से
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव

क्रम संख्या–166(ख)

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0–4
लाइसेन्स सं0डब्ल्यू0पी0–41
(पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट,उत्तर–प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड(क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बुधवार,12 मार्च,1986
फाल्गुन 21, 1907 शंक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या–686 / 12दु0वि0–3(96)–77
लखनऊ 12 मार्च,1986

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–19

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विघमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके,राज्यपाल उत्तर–प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय(अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश, दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा
नियमावली,1986

भाग–एक–''प्रारम्भिक''

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा नियमावली,1986 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है,जिसमें समूह''ग'' के पद समाविष्ट है ।

परिभाषायें

3– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,इस नियमावली में:–
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त से है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय
(ग) ''सविंधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है,
(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है
(ड़) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमो या आदेशो के अधीन मोलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,
(च) '' दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश से है,
(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा से है,
(ज) '' मोलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्ससमय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो,
(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।
(2) अब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी,जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी हैः–
परन्तु–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है,या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है,जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का श्रोत

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतो से की जाएगीः–
(1) लेखाकार और लागत सहायकः–
(एक) सीर्धी भर्ती द्वारा
(दो) स्थायी सहायक लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा ।
(2) सहायक लेखाकार
ऐसे स्थायी लेखा लिपिकों में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।
(3) लेखालिपिकः–
(एक)सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) ऐसे स्थायी कनिष्ठ लिपिको में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च लेखा शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।

(4) सांख्यिकीय सहायकः–

(एक) सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) अनुसंधाता एवं संकलनकर्ता में से पदोन्नति द्वारा ।

(5) अनुसन्धाता एवं संकलनकर्ताः–

सीधी भर्ती द्वारा ।

परन्तु लेखाकार,लागत सहायक,लेखा लिपिक और सांख्यिकीय सहायक के पदो पर भर्ती इस प्रकार की जायगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा घृत किये जाएः–

परन्तु यदि पदोन्नत के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते है ।

आरक्षण

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–अर्हतायें

राष्ट्रीक्ता

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो,या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1,जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो,या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या,यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जींजयार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा अभ्यर्थी व्यक्ति होना चाहिए,जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ।

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक,गुप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में आगे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो,किन्तु न हो तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो,किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है,और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हतायें

8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताये होनी चाहिएः–

लेखाकार और लागत सहायकः–
वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि
''या''
उच्च लेखा शास्त्र को एक विषय के रूप में लेकर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और प्रभागीय उप परीक्षा(डिवीजनल टेस्ट इक्जामीनेशन) उतीर्ण होना चाहिए ।
सहायक लेखाकारः–
लेखालिपिकः–
वाणिज्य में उच्च लेखाशास्त्र के साथ इण्टरमिटिएट ।
सांख्यिकी सहायकः–
सांख्यिकी या गणतीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि ।
अनुसंन्धाता एवं संकलन कर्ता
सांख्यिकी या गणित के साथ स्नातक की उपाधि

अधिमानी अर्हता

9– अन्य बातो के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा,जिसनेः–
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु

10.सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो,उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये,और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर को अवधि में विज्ञापित किये जाये,21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

परन्तु अनूसूचित जातियां,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के,जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए,अभ्यर्थियो को स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उसके वर्ष अधिक होगी,,जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र

11.सीर्धी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपनी समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः– संध सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संध सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में,किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति

11. ऐसी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो,और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहली से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते है,यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विघमान है ।

शारीरिक स्वस्थता

12. किसी भी व्यक्ति की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक द्वष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दाव से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का द्वढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की

सम्भावना न हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि हैण्ड बुक कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमो के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी ।

भाग पांच–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

13. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जतियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रयुक्त नियमो और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रकिया

14. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क के अधिकारी से अभिन्न श्रेणी का एक अधिकारी

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क का एक अधिकारी ।

(तीन) लेखाकार या लेखालिपिक के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य पदो के मामलो में उप निदेशक(सांख्यिकी) ।

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी ।

टिप्पणी– लिखित परीक्षा की प्रकिया और पाठ्य विवरण वही होगा जो परिशिष्ट''ख''(भाग एक और भाग दो) में दिया गया है।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको को सारणीबद्व करने के पश्चात नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिसने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुच सके हो । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड दिये जायेगें ।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थि बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थि का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा सूची में नामो की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत में ज्यादा अधिक नही) होगी । चयन समिति उक्त सूची

पदोन्नति द्वारा भर्ती

की प्रक्रिया

नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगें ।

16(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम–15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थि की ज्येठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसके चरित्र पंजिका और उसके सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के नाम जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्टि अभिलेखो के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी,और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से कि जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त सूचियों से बारीबारी से इस प्रकार से लिये जायेगें कि निहित प्रतिशत बना रहें । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये व्यक्ति का होगा ।

नियुक्ति

भाग–6 नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नियुक्तियां उसी क्रम में करेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थित की नियुक्तिया उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम 15,16,या 17 के आधीन सूची में हो ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही कि जायेगी जब कि दोनो श्रोतो से चयन न कर लिया जाय । और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा । जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय, विघमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार की जाए तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी का स्थानापन रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ठ सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थि उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में यह नियमावली के आधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगली चयन किये जाने वाले तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नही चलेगी ।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें,अलग–अलग मामलो में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ठ किये जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितिया में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का प्रर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोषप्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की सकती है ।

(4) उपनियम (3) के आधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय, यह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलत किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चपद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से कि गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किये जाने को अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

20. किसी पारिवीक्षाधीन व्यक्ति का परीक्षाअवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति, में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

21. (1) एत्दपश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाए तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति के मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलो में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

वेतनमान

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो ज्येष्ठता यही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के आधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये

गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ।

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर युक्ति युक्त कारणो के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की पुष्टि युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी हो ।

(4) जहा नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से या एक से अधिक श्रोतो से की जाय तो और श्रोतो का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहा उसकी परस्पर ज्येष्ठता के नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसे रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहें, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि किसी श्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां किसी अन्य श्रोत से भरी जाय तो इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेगें , मानो उसकी नियुक्ति क्रमशः उनके कोटो की रिक्तियों के प्रति की गयी हो ।

वेतनमान

भाग सात–वेतन इत्यादि

22(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में ये अस्थायी आधार पर, नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पृवत वेतनमान परिशिष्ट–क में दिये गये है ।

23 (1)फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध कें होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसनें एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो और विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्षो की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार का आधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षाअवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्ठस रूल्स द्वारा नियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षाअवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी । जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा

निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति की जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि के वेतन राज्य के कार्यकलापो के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुंसगत नियमो द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24– किसी भी व्यक्ति को :–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर ली जाय

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब कि उसने सतत् रूप से और अपनी सर्वोतम योग्यता से कार्य न किया हो उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और तब कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25– पद के सम्बन्ध में लागू नियमो के अधीन अपेक्षित सिफारिश सें भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की और से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्मथन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

26– ऐसे विषयों के संवध में जो निर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमो और आदेशो द्वारा नियंत्रित होगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

27– जहां सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहा वह उस मामलो में लागू नियमो में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जिन्हें यह मामलो में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रिति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षार्थी से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

व्यावृति

28– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण या अन्य रियायतो पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

वृजेश कुमार
सचिव

परिशिष्ट''क'

(नियम 4(2) और 22(2) देखिए)

क्र.	पद का नाम	पुराना पदनाम	वेतनमान	स्थाई	अस्थाई	योग
1.	लेखाकार	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	4	1	5
2.	लागत सहायक	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	1	—	1
3.	सहायक लेखाकार (मुख्यावास)	—	515—15—590—18—626—द0रो0—18—680—20—780—द0रो0—860	5	1	6
4	स0लेखाकार आगरा दु0	—	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	1	1
5	लेखालिपिक	—	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	7	3	10
6	संख्यिकी सहायक	ज्ये0अनु संधाता सांख्यि की सहायक	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	—	5	5
7	अनुसंधानकर्ता एवं संकलनकर्ता	संकलन कर्ता अनुसंधाता	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	10	10

परिशिष्ट''ख''—भाग—एक

(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा में लेखा लिपिक,लेखाकार और लागत सहायक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

प्रवेश परीक्षा दो विषयों में होगी और प्रत्येक विषय में 50—50 अंक होगे ।

पुस्तकपालक(बुक कीपिग)

सामान्य खाता, इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली, तलपट (ट्रायल वैलेस), सन्तुलन—पत्र,मूल्य हास पद्वति बैक सामान्य विवरण,उचित खाता, भुगतान की औसत दरें,विनियम—विशेष ,त्रुटियो और उनका सुधार ।

अंकगणितः—

त्रेमासिक नियम(रूल आफ थ्री),सरलीकरण,औसत,प्रतिशत क्षेत्रफल,आयतन,साधारण व्याज,चक्रवर्ती व्याज,अनुपात और समानुपात,लाभ और हानि,वर्गमूल और घनमूल,लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक ।

(टिप्पणी):—

लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नो का उत्तर देते समय अभ्यर्थियों को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही

दी जायेगी । उनको उत्तरपुस्तिकायें दी जायेगी किन्तु उन्हें कलम और स्याही इत्यादि की व्यवस्था करना होगी ।

परिशिष्ट ''ख''–भाग–2

(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवाये सांख्यिकीय सहायक,अन्वेषक–कम–संगणक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः–

प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित दो विषयों में होगी । जिनमें से प्रत्येक विषय में 50–50 अंक होगें :–

सांख्यिकीय विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकीः–

बारम्बरता–बंटन और आयत चित्र (फ्रिववेन्सी डिस्ट्रीव्यूशन एण्ड हिस्टोग्राम), केन्द्रीय प्रवृति और प्रसार का माप(मेजर्स आफ सेन्ट्ल टेंडेंसी एण्ड डिसपर्सन), परिधात,विधमत्ता और पुथैशोयेन्य(मोमेन्ट्स, स्पयूनेस एण्ड कुटीसिग)गुण सम्बन्ध और आरोग सारणी(एसोसिएशन एण्ड कन्टिनजेन्सी टेवल),कर्व फिटिंग, सहसंबंध(कोरिलेशन), सूंचकांक,समय श्रेणियों का विश्लेषण, आन्तरगणन(इन्टरपोलेशन), वृहत और लधु सन्यादर्श के परीक्षण ।

प्रतिचयन (सैम्पलिंग)

ससम्भाविक और असम्भाविक प्रतिचयन विधि(रेण्डम एण्ड नान रेण्डम सैम्पलिंग मैथड),प्रतिचयन और अप्रतिचयन विभ्रम(सैम्पलिंग एण्ड नान सैम्पलिंग एरर्स),जनसंख्या का आगणन,विभिन्न प्रतिचयन प्राविधियों के अन्तर्गत औसत स्तरित सम्भाविक प्रतिचयन(स्टडीफाईड रैण्डलिंग सैम्पलिंग),व्यवस्थित प्रतिचयन(सिस्टमैटिक सैम्पलिंग), द्विस्तरीय प्रतिचयन(टू स्टेज सैम्पलिंग),आंगणन और अनुपातिक विधि(रेसियोमैथड आफ स्टीमेशन) ।

टिप्पणीः– लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय अभ्यर्थियो को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही दी जायेगी । उनको उत्तर–पुस्तिकायें दी जायेगी, किन्तु उन्हें कलम या स्याही इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी ।

आज्ञा से,

वृजेश कुमार,
सचिव

संख्या–320 / XV–2 / 2(8) / 2006

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी(नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2007**

विषयः– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुर्नगठन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शा0दे0सं0–1081 / XXXVi(7) / 2006 दिनांक 03 जुलाई 2006 के क्रम में आपके पत्र संख्या–716 / स्था0 / चालक ग्रेड विभाजन / 2006–07 दिनांक 29 जुलाई 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डेयरी विकास विभाग के चालक संवर्ग के कुल स्वीकृत 19 पदों को निम्नानुसार 4 ग्रेडों में रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	ग्रेड पदनाम	वेतनमान	पदों का प्रतिशत	प्रतिशत के आधार पर विभाग के पदों का विभाजन
1	वाहन चालक ग्रेड–4	3050–75–3950–80–4590	35	06
2	वाहन चालक ग्रेड–3	4000–100–6000	30	06
3	वाहन चालक ग्रेड–2	4500–125–7000	30	06
4	वाहन चालक ग्रेड–1	5000–150–8000	05	01
		कुल योग		**19**

उक्तानुसार पदों के विभाजन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–1081 / XXXVi (7) / 2006 दिनांक 03 जुलाई 2006 एवं पदोन्नति से संबंधित समय–समय में जारी शासनादेशों में उपलब्ध व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रक्रियानुसार पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमावली में उक्तानुसार एवं शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2003 की व्यवस्थाा कराये जाने के बाद की जायेगी।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–572 / वित्त अनुभाग–4 / 2006 दिनांक 18 दिसम्बर 2006 के क्रम में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0 / –
(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव

पत्रांक (1) / XV–2 / 2(8) / 2008–तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिदेशक, डेयरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड।
2. सहायक निदेशक, डेयरी विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

ह0 / –
(जे0पी0जोशी)
उपसचिव